

छत्तीसगढ़ विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

फरवरी-मार्च, 2021 सत्र

सोमवार, दिनांक 08 मार्च, 2021

तारांकित प्रश्नोत्तर

स्कूल शिक्षा विभाग में एम.आई.एस. प्रशासक के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पद

1. (*क्र. 51) श्री गुलाब कमरो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) स्कूल शिक्षा विभाग में एम.आई.एस. प्रशासक के कुल कितने पद स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त है? कार्यरत में से कितने नियमित हैं एवं कितने अन्य संवर्ग के पदों से पदभार में है? (ख) क्या छत्तीसगढ़ राजपत्र क्रमांक 339 दिनांक 13 नवम्बर, 2009 के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटरों का एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान है? यदि हाँ, तो कितने डाटा एंट्री ऑपरेटरों को एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर पदोन्नत किया है? एवं नहीं तो क्यों?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एम.आई.एस. प्रशासक के 25 पदों के विरुद्ध 12 व्यक्ति कार्यरत हैं तथा 13 पद रिक्त है. एम.आई.एस. प्रशासक के पद पर कोई भी नियमित कर्मचारी पदस्थ नहीं है, कार्यरत 12 कर्मचारी अन्य संवर्गों से हैं. (ख) जी हाँ. निरंक. कोरोना के समय कार्यालय पूरी तरह से संचालित न हो सकने के कारण.

जांजगीर चांपा जिले में वन ग्रामों का राजस्व ग्राम में परिवर्तन

2. (*क्र. 97) श्री सौरभ सिंह : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चांपा जिले में कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया गया है? उपरोक्त गांव में कब-कब पटवारी नवशा और भूअधिकार अभिलेख तैयार किया गया है? (ख) कितने किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को अधिकार अभिलेख में इन्द्राज किया गया है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला जांजगीर चांपा अन्तर्गत 02 वन ग्राम कटरा एवं डोंगीपेण्डी को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया गया है. वर्ष 2016 में नवशा और भू-अभिलेखों का हस्तांतरण वन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को किया गया है. (ख) किसानों को प्रदत्त वन अधिकार पत्र की भूमि को भू-अधिकार अभिलेख में इन्द्राज कर लिया गया है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के आश्रम/छात्रावास/शालाओं हेतु अग्निशमन यंत्र की खरीदी

3. (*क्र. 1713) श्री चंदन कश्यप : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 04-02-2021 तक किन-किन शालाओं/आश्रम/छात्रावासों में अग्निशमन यंत्र खरीदी की स्वीकृति दी गई है? किस-किस मद से अग्निशमन यंत्र क्रय किया गया है? (ख) अग्निशमन यंत्र की खरीदी किस फर्म/एजेसी से कितने-कितने किलो की किस दर पर की गई है? किस प्रक्रिया के तहत उक्त खरीदी की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर जिले में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 04-02-2021 तक शालाओं, आश्रमों एवं छात्रावासों के लिये अग्निशमन यंत्र की खरीदी की स्वीकृति नहीं दी गई है और न ही अग्निशमन यंत्र क्रय किया गया है. (ख) प्रश्नांश "क" के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

केन्द्र द्वारा बारदाना की खरीदी हेतु उपलब्ध कराई गई राशि

4. (*क्र. 1528) **श्री रजनीश कुमार सिंह (श्री धरमलाल कौशिक)** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धान खरीदी हेतु केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध कराया जाता है? क्या केन्द्र द्वारा खरीदी के लिए कितनी राशि उपलब्ध करायी गई है? यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष में प्रति बारदाना क्रय हेतु कितनी राशि प्रावधानित की गई है? क्या केन्द्र सरकार के द्वारा निश्चित संस्था से ही बारदाना क्रय करने राज्य शासन को निर्देशित किया गया है या राज्य शासन स्वयं बारदाना क्रय करने में सक्षम है, इस संबंध में केन्द्र सरकार के क्या निर्देश हैं? (ख) राज्य शासन द्वारा प्रश्नांश “क” हेतु बारदाना क्रय के लिए कब-कब आदेश किस-किस संस्था को प्रदान किये गये व प्रदाय आदेश के विरुद्ध कितना बारदाना कब-कब संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया? (ग) क्या किसानों के द्वारा लाये गये बारदानों में भी धान का क्रय किया गया है? यदि हां, तो कुल कितने किसानों के कितने बारदानों में धान का क्रय किया गया है व इस हेतु प्रति बारदाना कितनी राशि दी गई है व कुल कितनी राशि का भुगतान किसानों को किया गया है व कितने का भुगतान किया जाना है? जिलेवार जानकारी देंगे?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केन्द्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता है. समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के कार्य हेतु प्रत्येक खरीफ विपणन वर्ष के लिए भारत सरकार द्वारा प्रावधिक लागत पत्रक जारी किया जाता है. इस लागत पत्रक के आधार पर चावल जमा करने पर चावल की राशि प्राप्त होती है, जिसमें बारदाना की दर शामिल होती है. वर्ष 2020-21 के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 17-02-2021 तक प्रावधिक लागत पत्रक जारी नहीं किये जाने के कारण राशि प्राप्त नहीं हुई है. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा बारदाना खरीदी के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार नये जूट बारदाना का क्रय करने हेतु उद्योग विभाग से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर जूट कमिश्नर कोलकाता से बारदाना क्रय किया जाता है तथा भारत सरकार के निर्देशानुसार जैम पोर्टल के माध्यम से नये एच.डी.पी.ई./पी.पी. बारदाने क्रय किया जाता है. विपणन संघ द्वारा जैम पोर्टल के माध्यम से ऑन लाईन ई-निविदा आमंत्रित कर एल-1 दर पर नये एच.डी.पी.ई./पी.पी. बारदाने क्रय किया गया है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ग) जी हां. प्रदेश में सहकारी समितियों द्वारा 5,54,822 किसानों के 4,05,10,362 नम (81021 गटान) बारदानों में धान का उपार्जन किया गया है. किसानों के बारदानों के लिये रुपये 15/- प्रति नम की दर निर्धारित की गई है. किसानों के बारदानों के भुगतान की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है.

रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में पेयजल/बाउंड्रीवाल एवं शौचालय विहीन शालाएं

5. (*क्र. 20) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में संचालित कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल दिनांक 23-1-2021 की स्थिति में पेयजल/बाउंड्रीवाल/शौचालय विहीन है? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में वर्ष 2019-20 तथा वर्ष 2020-21 में जनवरी, 2021 तक कितने प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में बाउंड्रीवाल/शौचालय का निर्माण किया गया है एवं कहां-कहां पर पेयजल की व्यवस्था की गई?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायपुर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में संचालित केवल 02 प्राथमिक और 01 हायर सेकेण्डरी स्कूल अहाता विहीन है, पेयजल विहीन तथा शौचालय विहीन की संख्या निरंक है. (ख) प्रश्नांश की अवधि में किसी भी शाला में अहाता का निर्माण नहीं किया गया है तथा शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कार्यवाही

6. (*क्र. 1214) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका क्षेत्र बेमेतरा एवं नगर पंचायत क्षेत्र बेरला में वर्ष 2019-20 से दिनांक 03-2-21 तक अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध किन-किन लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई? (ख) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग को रोके जाने हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार की योजना बनाई गई हा, तो जानकारी देंगे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगर पालिका परिषद बेमेतरा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2019-20 से दिनांक 03-2-21 तक अवैध प्लाटिंग करने वाले 24 व्यक्तियों को नगर पालिका परिषद बेमेतरा द्वारा कारण बताओ सूचना जारी किया गया है तथा श्रीमती सहोद्रा तिवारी पति चंदिका प्रसाद वार्ड क्र-05 मोहमट्टा के द्वारा किए अवैध प्लाटिंग को हटाया गया है. †† संलग्न परिशिष्ट पर है. (ख) छत्तीसगढ़ नगर पालिका निगम तथा नगर पालिका (कालोनाईजर) का रजिस्ट्रीकरण, निर्बंधन तथा शर्तें नियम, 2013 के नियम 14 एवं 15 के अंतर्गत शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है. इस संबंध में अवैध प्लाटिंग रोके जाने के लिए राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं नगर तथा ग्राम निवेश की संयुक्त टीम द्वारा सतत निरीक्षण कर कार्यवाही की जाती है.

जिला महासमुन्द में राजस्व प्रकरणों के लंबित प्रकरण

7. (*क्र. 1460) श्री किस्मतलाल नन्द : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में नामांतरण एवं त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण वर्ष 2017-2018 से दिनांक 04-02-2021 तक पंजीबद्ध किये गये? तहसील, न्यायालयों के नाम सहित पृथक-पृथक जानकारी देवे? (ख) प्रश्नांश “क” में पंजीबद्ध प्रकरणों में से कितने प्रकरणों का राजस्व न्यायालयों द्वारा निराकरण किया गया कितने प्रकरण लंबित है? राजस्व न्यायालय के नाम सहित वर्षवार जानकारी देवे? (ग) जिला महासमुन्द अंतर्गत विभिन्न तहसील, अनुविभागीय अधिकारी एवं जिला राजस्व न्यायालय में नामांतरण त्रुटि सुधार के कितने प्रकरण लंबित है? तहसील एवं जिला न्यायालय अनुसार जानकारी देवे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला महासमुन्द अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में वर्ष 2017-18 से दिनांक 04-02-2021 तक नामांतरण के 5883 एवं त्रुटि सुधार के 1113 प्रकरण दर्ज किये गये. तहसील न्यायालयवार जानकारी प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ख) पंजीबद्ध प्रकरणों में से नामांतरण के 3421 एवं त्रुटि सुधार के 406 प्रकरणों का निराकरण किया गया है एवं नामांतरण के 2462 एवं त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित है. राजस्व प्रकरण के नाम सहित वर्षवार जानकारी क्रमशः प्रपत्र “अ” , प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” पर † संलग्न है. (ग) जिला महासमुन्द अंतर्गत नामांतरण के 2462 त्रुटि सुधार के 707 प्रकरण लंबित है. न्यायालयवार जानकारी प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है.

जिला रायगढ़ में मुईया सॉफ्टवेयर में किसानों के जमीन का इद्राज

8. (*क्र. 337) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला रायगढ़ में मुईया सॉफ्टवेयर में कितने किसानों को जमीन दर्ज करना शेष है? तहसीलवार किसानों की संख्या एवं खसरा की जानकारी बताएं? (ख) क्या ऑनलाईन रिकार्ड में त्रुटि होने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो शिकायत का निराकरण किया गया है या नहीं? तहसीलवार पटवारी हल्कावार जानकारी देवे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला रायगढ़ में कुल 1485 ग्रामों के 1475 में कुल 378846 किसानों का मुईया सॉफ्टवेयर में दर्ज कर लिया गया है. एवं 10 ग्रामों का शेष है. 10 ग्रामों के अतिरिक्त किसी भी तहसील में किसानों की जमीन दर्ज करना शेष नहीं है. (ख) ऑनलाईन रिकार्ड में त्रुटि संबंधी शिकायत 1 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक प्राप्त हुई है. जो निम्नानुसार है. जिसका निराकरण कर लिया गया है :-

क्र.	तहसील का नाम	कुल पटवारी हल्का	कुल किसानों की संख्या	कुल सुधार किये गये खसरा नंबर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	रायगढ़	54	900	1884
2.	पुसौर	42	1046	1839
3.	खरसिया	41	589	2064
4.	सारंगढ़	23	665	2514
5.	बरमकेला	20	73	189
6.	धरघोड़ा	9	52	106
7.	तमनार	15	180	613
8.	लैलूंगा	22	96	146
9.	धरमजयगढ़	56	206	298
योग		282	3807	9653

तहसीलवार हल्कावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है.

प्रदेश में स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूल की स्वीकृति

9. (*क्र. 1590) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि प्रदेश में स्कूलों का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति दी गई है? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 04-2-21 तक किन-किन स्कूलों का उन्नयन किया गया है, व किन स्कूलों को चालू करने नवीन स्वीकृति जारी की गई है? विधानसभार जानकारी देवें? (ख) बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल का उन्नयन व नवीन स्कूलों की स्वीकृति प्रश्नांश “क” अवधि में दी गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. 01 जनवरी 2019 से दिनांक 04-02-2021 के मध्य 18 शा.पूर्व माध्यमिक स्कूलों को हाईस्कूल एवं 22 हाईस्कूलों को हायर सेकेण्ड्री स्कूलों में उन्नयन किया गया है. विधानसभार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) बिल्हा विधान सभा क्षेत्र में किसी भी स्कूल का उन्नयन अथवा नवीन स्कूलों की स्वीकृति प्रश्नांश “क” अवधि में नहीं दी गई है.

प्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन के अंतर्गत वितरित राशि

10. (*क्र. 1251) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में 05-02-2021 तक बाढ़ राहत आपदा प्रबंधन के अंतर्गत किस-किस जिले में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई? (ख) उक्त राशि में से कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई? जिलेवार जानकारी देवें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत कार्य कराने हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में बस्तर जिले को रुपये 100.00 लाख तथा कोण्डागांव जिले को रुपये 33.08 लाख का आवंटन दिया गया है, शेष जिलों को वित्तीय वर्ष 2018-19 में राशि आवंटित नहीं की गई है. वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-2021 तक किसी भी जिले को बाढ़ आपदा राहत प्रबंधन के अंतर्गत कोई राशि आवंटित नहीं की गई है. (ख) उक्त राशि में से जिला बस्तर एवं जिला कोण्डागांव में कराये गये कार्यों का विवरण †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है.

राजनांदगांव जिले में लंबित राजस्व प्रकरण

11. (*क्र. 1641) **श्रीमती छन्नी चन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुये? तहसील अनुसार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश “क” में प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया कितने आवेदन सीमांकन हेतु लंबित है? लंबित होने का कारण क्या है? वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी देवें? (ग) लंबित आवेदनों का कब तक निराकरण करते हुए सीमांकन किया जावेगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजनांदगांव जिले अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल 2019 से 31 जनवरी 2021 तक कुल 4340 आवेदन सीमांकन हेतु प्राप्त हुये है, जो निम्नानुसार है :-

क्र.	तहसील का नाम	सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन
1.	खुईखदान	203
2.	खैरागढ़	741
3.	डोंगरगढ़	595
4.	छुरिया	308
5.	राजनांदगांव	1408
6.	डोंगरगांव	336
7.	अं. चौकी	350
8.	मोहला	214
9.	मानपुर	185
योग		4340

(ख) कुल 4340 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें 3045 आवेदनों पर सीमांकन किया गया तथा 1295 सीमांकन हेतु लंबित है। लंबित होने का कारण तथा वर्षवार एवं तहसीलवार जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है। (ग) लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय-सीमा के तहत आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।

घोघरा डायवर्सन विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण का मुआवजा भुगतान

12. (*क्र. 1686) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला कबीरधाम के अंतर्गत घोघरा डायवर्सन विस्तारनाली, दशरंगपुर से लेकर अधियार बोर नहर नाली विस्तारीकरण के तहत ग्राम पुतकी कला, परसावाड़ा, पलानसरी एवं अधियार खोर के कितने किसानों की कितनी-कितनी भूमि कब अर्जित की गई? (ख) क्या यह सही है, कि कंडिका “क” के भू-अर्जन के विरुद्ध मुआवजा राशि, जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को वर्ष 2018, में अन्तरित कर दी गई? यदि हां, तो कितनी राशि कितने प्रकरणों के लिए? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका “क” के भू-अर्जन के विरुद्ध प्रभावित किसानों को अब तक मुआवजा का भुगतान लंबित है? यदि हां, तो क्यों, इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं, और कब तक मुआवजा भुगतान किया जाएगा?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम के अंतर्गत घोघरा डायवर्सन विस्तार नाली विस्तारीकरण के तहत ग्राम पुतकीकला, परसावारा, पलानसरी एवं अधियारखोल के कुल 78 किसानों की 21.21 एकड़ भूमि अनिवार्य भू-अर्जन हेतु दिनांक 25-04-2018 को कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी कबीरधाम को भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत प्रेषित की गई थी। जिसमें न्यायालय कलेक्टर जिला कबीरधाम के द्वारा 07-05-2018 को प्रकरण दर्ज कर जांच हेतु भू-अर्जन अधिकारी पण्डरिया को प्रेषित किया गया। जिसमें 08-07-2018 को सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल का गठन किया गया। जिसका अनुमोदन आदेश 31-07-2018 को किया गया था। किंतु दल गठन का रिपोर्ट अप्राप्त था। कार्यालय जल संसाधन उप संभाग पण्डरिया के पत्र क्रमांक/64/दिनांक 29-01-2019 के अनुसार अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण को निरस्त कर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2016 के तहत प्रकरण तैयार किए जाने के संबंध में पत्र प्रेषित किया गया। जिसके आधार पर दिनांक 31-01-2019 को भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रकरण को खारिज किया गया। प्रकरण नस्तीबद्ध पश्चात् जल संसाधन संभाग कवर्धा, जिला-कबीरधाम के पत्र क्रमांक/534, 536, 538 एवं 540 के माध्यम से उपरोक्त ग्रामों की भू-अर्जन हेतु आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 दिनांक 08-02-2019 को कुल 78 किसानों का सीमांकन पश्चात् 52 किसानों की 11.66 एकड़ (4.701 हेक्टेयर) भूमि की भू-अर्जन प्रकरण कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी कबीरधाम को प्रेषित की गई। (ख) जी हां, यह सही है कि कंडिका “क” को भू-अर्जन के विरुद्ध मुआवजा राशि, जल संसाधन विभाग द्वारा राजस्व विभाग को भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत भू-अर्जन किए जाने हेतु वर्ष 2018 में चेक क्रमांक 240158 राशि 28466374.00 दिनांक 25-04-2018 एवं चेक क्रमांक 304382 राशि 5586283.00 दिनांक 08-02-2019 को 80 प्रतिशत जमा कर दी गई है। (ग) भू-अर्जन प्रक्रिया भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विचाराधीन होने के कारण जल संसाधन विभाग द्वारा प्रकरण अतिशीघ्र निपटारा किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रस्तुत आवेदन के आधार पर प्रकरण नस्तीबद्ध कर आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति, 2016 के तहत प्रकरण प्रारंभ किया गया। वर्तमान में घोघरा व्यपवर्तन विस्तारीकरण के तहत ग्राम पलानसरी अवार्ड पारित हो गया है, ग्राम अधियारखोर का प्रकरण अवार्ड हेतु नियत है। ग्राम पुतकीकला एवं परसावारा का प्रकरण प्रारूप “क” हेतु नियत है। अवार्ड पारित पश्चात् प्रभावित कृषिकों को अतिशीघ्र ही भुगतान किया जावेगा। प्रकरण में हुआ विलंब प्रक्रियागत कारणों से है, इस हेतु कोई अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

धान खरीदी हेतु बारदानों का क्रय

13. (*क्र. 1633) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल कितने टन/विटल धान की खरीदी हुई? खरीदे हुए धान के लिए कितना गांठ/नग बोरा (बारदाना) कमीशनर से प्राप्त हुआ? उसकी लागत कितनी थी? (ख) पी.डी.एस. के कुल कितने बोरे (बारदाना) का उपयोग धान खरीदी में किया गया? (ग) खुले बाजार से कुल कितना नग बोरा (बारदाना) खरीदा गया उसकी लागत कितनी थी और खरीदने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी गयी? प्रति बोरा दर मूल्य कितना था?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 92.00 लाख मे. टन धान की खरीदी हुई है। धान खरीदी हेतु जूट कमीशनर कोलकाता को 145084 गठान बारदाने के जारी क्रय आदेश के विरुद्ध 1,09,696 गठान बारदाने प्राप्त हुए हैं, जिसकी लागत औसत दर 29,345.00 रु. प्रति गठान के मान से लगभग रुपये 321.90 करोड़ है। (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में

धान उपार्जन हेतु कुल 74,222 गठान पीडीएस बारदाना का उपयोग किया गया है. (ग) धान खरीदी हेतु खुले बाजार से बारदाना का क्रय नहीं किया गया. वरन खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में भारत सरकार/राज्य सरकार, खाद्य विभाग के निर्देशानुसार जैम पोर्टल पर खुली निविदा के माध्यम से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं से 70,000 गठान एचडीपीई/पीपी बारदाने क्रय हेतु क्रय आदेश जारी किये गये है. मात्रा एवं दर की जिलेवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिले का नाम	ब्यादेशित मात्रा (गठान में)	दर प्रति गठान	प्राप्त मात्रा (गठान में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	बालोद	5000	10399.00	2505
2.	बेनेतरा	5000	10351.00	2444
3.	धमतरी	4000	10351.00	702
4.	बिलासपुर	5000	10251.00	1220
5.	रायगढ़	4000	10399.00	2207
6.	गरियाबंद	3000	10545.00	3000
7.	बलौदाबाजार	6000	10399.00	4845
8.	मुंगेली	3000	10399.00	0
9.	दुर्ग	4000	10399.00	0
10.	रायपुर	6000	10700.00	7730
11.	महासमुंद	6000	10875.00	5477
12.	कबीरधाम	3000	10399.00	3510
13.	कोरबा	2000	10395.00	0
14.	जांजगीर-चांपा	8000	10451.00	1668
15.	राजनांदगांव	6000	10399.00	2204
योग		70000		37512

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ प्रभावितों को मुआवजा

14. (*क्र. 1376) श्री प्रकाश शंकाजीत नायक : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में कौन-कौन से गांव बाढ़ से प्रभावित हुए व किस-किस गांव में बाढ़ शिविर लगाया था? विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी दें? (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार बाढ़ शिविरों में कितनी-कितनी राशि खर्च की गई? मदवार जानकारी प्रदाय करें? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार कितने बाढ़ पीड़ित परिवारों को कितनी-कितनी मुआवजा राशि प्रदान की जा चुकी है? कितने लंबित है? लंबित के क्या कारण है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में बाढ़ से प्रभावित ग्रामों का नाम तथा बाढ़ शिविर लगाये गये ग्रामों का नाम विकासखण्डवार पृथक-पृथक जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार है. (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार विकासखण्ड बरमकेला में रुपये 14,50,132.00 तथा विकासखण्ड पुसौर में रुपये 29,08,260.00 इस प्रकार कुल रुपये 43,58,392.00 भोजन आदि पर व्यय किया गया है. (ग) विकासखण्ड बरमकेला के 3113 परिवारों को मकान क्षति में रुपये 1,54,61,800.00 एवं 406 परिवारों को फसल क्षति में रुपये 22,28,724.00 इस प्रकार कुल 3519 परिवारों को कुल राशि रुपये 1,76,90,524.00 का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है. विकासखण्ड पुसौर के 1400 परिवारों को मकान क्षति में रुपये 1,07,66,600.00 एवं 375 परिवारों को फसल क्षति में रुपये 12,43,646.00 इस प्रकार कुल 1775 परिवारों को कुल राशि रुपये 1,20,10,246.00 का मुआवजा राशि भुगतान किया गया है. कोई प्रकरण लंबित नहीं है. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

आ.जा.क. विभाग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त

15. (*क्र. 1228) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त में से राज्य विभाजन के बाद कितने अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत कार्यरत है? (ख) क्या इन अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों को उनके मूल विभाग पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वापस करने की मांग की गई है? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अविभाजित मध्यप्रदेश शासन में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा नियुक्त अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त में से राज्य विभाजन के बाद 36 अतिरिक्त सहायक आयुक्तों को छत्तीसगढ़ राज्य आवंटित किया गया. वर्ष 2020 की स्थिति में कुल 36 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों में से वर्तमान में पदोन्नति/सेवा निवृत्ति के पश्चात 24 अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदस्थ हैं. (ख) जी हां. नीतिगत निर्णय के लिए प्रक्रियाधीन है.

ग्राम जयरामनगर में शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल की स्थापना

16. (*क्र. 1599) **डॉ. कृष्णामूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी विद्यालय खोलने हेतु क्या कोई मापदण्ड निर्धारित है? (ख) क्या मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जयरामनगर में शासकीय कन्या हायर सेकेण्डरी स्कूल खोले जाना प्रस्तावित है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जी नहीं.

बस्तर संभागान्तर्गत आय, जाति एवं निवास प्रमाण-पत्र बनाये जाने की कार्यवाही

17. (*क्र. 1706) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में कितने बच्चों का आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने की कार्यवाही वर्ष 2020 में की गई है? कितने शेष है? (ख) शेष प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जायेगा? क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में वर्ष 2020 में आय, जाति एवं निवास प्रमाण पत्र बनाये जाने की कार्यवाही निम्नानुसार है :-

आय प्रमाण-पत्र		जाति प्रमाण-पत्र		निवास प्रमाण-पत्र	
पूर्ण	शेष	पूर्ण	शेष	पूर्ण	शेष
36118	92378	56350	127299	34202	98168

(ख) समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. जी नहीं.

चिरमिरी में एस.ई.सी.एल. को लीज में दी गई जमीन

18. (*क्र. 1702) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत शासन द्वारा कितनी जमीन, एस.ई.सी.एल. को लीज पर दी गई? जमीन लीज की अवधि क्या है? (ख) एस.ई.सी.एल. चिरमिरी द्वारा ओपनकास्ट खदान में कोयला उत्खनन पश्चात् कितने हेक्टेयर जमीन का समतलीकरण कर पौधारोपण किया गया? यदि किया गया तो अब तक कितने पौधे जीवित है? (ग) एस.ई.सी.एल. द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के भूमिगत खदानों में कोयला खनन के पश्चात् किन-किन खदानों में रेत मरी गई है? कितने टन रेत मारी गई है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राज्य शासन द्वारा एस.ई.सी.एल. चिरमिरी को वर्ष 1985 से वर्ष 2015 तक के लिए निम्नानुसार जमीन लीज पर दी गई है :-

(1) एन.सी.पी.एच. कॉलरी 1359.744 हेक्टेयर

(2)	चिरमिरी कॉलरी	1230.245 हेक्टेयर
(3)	कुरासिया कॉलरी	457.539 हेक्टेयर
(4)	वेस्ट चिरमिरी कॉलरी	725.300 हेक्टेयर
(5)	नार्थ चिरमिरी कॉलरी	777.000 हेक्टेयर

स.क्र. (1) से (4) तक की खदानों की लीज अवधि 2015 से आगामी 20 वर्षों तक के लिए नवीनीकरण करने हेतु कोयला मंत्रालय द्वारा पूर्वानुमोदन किया गया है, जो कि राज्य शासन के पास प्रक्रियाधीन है. स.क्र. (5) नार्थ चिरमिरी कॉलरी में कोयला उत्पादन बंद हो चुकी है, जिसका लीज क्षेत्र नवीनीकरण तकनीकी अध्ययन हेतु राज्य शासन के पास प्रक्रियाधीन है. (ख) एस.ई.सी.एल. चिरमिरी द्वारा ओपनकास्ट खदान में 234.53 हेक्टेर क्षेत्र में पौधरोपण किया गया है, जिसमें से 79 प्रतिशत पौधे जीवित है. ओपनकास्ट खदान क्षेत्र में लगभग 312.00 हेक्टेर भूमि में प्राकृतिक वनस्पति स्थित है. (ग) एस.ई.सी.एल.द्वारा चिरमिरी क्षेत्र के भूमिगत खदानों में खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा प्रदत्त केविंग द्वारा डिपिलेरिंग के साथ कोयला उत्पादन की अनुमति की शर्तों के अनुसार ही कार्य किया गया है. इस तकनीकी में रेट भरने की जरूरत नहीं होती है.

प्रदेश में समग्र शिक्षा के तहत संचालित पोटा केबिन

19. (*क्र. 860) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र शिक्षा अंतर्गत प्रदेश में कितने पोटा केबिन संचालित है एवं कितने छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है? (ख) उक्त प्रत्येक पोटा केबिन में कितनी-कितनी सीट्स स्वीकृत हैं? सभी पोटा केबिन में कितनी सीट्स भरी हुई है एवं कितनी रिक्त हैं विगत 3 वर्षों का बतावें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में दर्शित है.

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायत

20. (*क्र. 1448) श्री अरुण वीरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों में शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? (ख) इनमें से कितनी शिकायतों की जांच की गई? कितनी शिकायतें सही पाई गई? शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई? जिलेवार जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध विगत तीन वर्षों में 15 शिकायतें प्राप्त हुई. (ख) जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

जिला कांकेर को खेलगढ़ी योजना के तहत प्राप्त एवं व्यय राशि

21. (*क्र. 981) श्री संतराम नेताम : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला कांकेर को वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में खेलगढ़ी योजना के तहत कितनी राशि प्राप्त हुई है? (ख) प्रश्नांश “क” के संदर्भ में प्राप्त राशि से स्कूलों में कौन-कौन सी खेल सामग्री किस-किस दर पर किस-किस फर्म से खरीदी गई है? क्या क्रय खेल सामग्रियों का सत्यापन स्थानीय व जिला स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया गया है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) कांकेर जिले में खेलगढ़ी योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु. 1,94,40,000.00 (रु. एक करोड़ चौराबे लाख चालिस हजार मात्र) की राशि जारी की गई है. वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोई राशि जारी नहीं की गई है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में है.

जिला मुंगेली में पर्यावरण मद में आवंटित राशि

22. (*क्र. 1645) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष 2018-19 में मुंगेली जिले के 80 ग्रामों के विभिन्न निर्माण कार्य हेतु पर्यावरण मद में 4 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई थी? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु जिला प्रशासन मुंगेली में कितनी राशि का आवंटन किया गया था? (ख) क्या यह भी सही है, कि उपरोक्त स्वीकृत कार्य को शासन द्वारा निरस्त किया गया है? यदि हां, तो क्यों? (ग) क्या उक्त स्वीकृत कार्य का नवीनीकरण किये जाने हेतु शासन स्तर पर कोई कार्यवाही की जा रही है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. वर्ष 2018-19 में जिला मुंगेली के अंतर्गत कुल 93 निर्माण कार्यों हेतु कुल राशि रुपये 620.61 लाख की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसमें मान. विधायक जी के 80 निर्माण कार्यों हेतु 4.00 करोड़ का प्रस्ताव शामिल था. कुल स्वीकृत कार्यों की 40 प्रतिशत राशि रुपये 248.24 लाख का आवंटन जारी किया गया. कलेक्टर मुंगेली द्वारा उक्त राशि का आहरण कर लिया गया. (ख) जी नहीं. प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू होने के फलस्वरूप विभागीय पत्र दिनांक 29-08-2019 द्वारा आहरित राशि का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त किसी भी कार्य अथवा मद में नहीं किये जाने हेतु निर्देशित किया गया. (ग) जी हां. विभागीय पत्र दिनांक 27-02-2019 द्वारा उक्त स्वीकृति आदेश को संशोधित करते हुए आहरित राशि से व्यय हेतु 12 कार्यों (सी.सी. रोड निर्माण) हेतु रुपये 60.00 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई जिसमें से 06 कार्य माननीय विधायक जी की अनुशांसा अनुसार संशोधित स्वीकृति जारी की गई तथा शेष राशि रुपये 188.24 लाख का उपयोग, जिला कलेक्टर मुंगेली से प्राप्त प्रस्ताव "स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, दाऊपारा, मुंगेली के निर्माण कार्य" में व्यय किये जाने की सहमति दी गई.

हाथकरघा संघ के सदस्यों द्वारा त्याग पत्र

23. (*क्र. 1682) **श्री नारायण चंदेल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. प्रदेश में हाथकरघा संघ के वर्तमान अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली संचालक मण्डल के 12 सदस्यों वाली कमेटी में से वर्तमान में कितने सदस्यों ने अपना त्याग पत्र कब दिया? (ख) प्रश्नांश "क" के संदर्भ में संचालक मण्डल के सदस्यों के त्याग पत्र को मंजूर किये जाने के उपरांत क्या संचालक मण्डल अल्प मत में आ गया है? यदि हां, तो संचालक मण्डल को अल्प मत में आने से क्या मंग किये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक संचालक मण्डल को विधिवत रूप से मंग किया जावेगा? (ग) क्या हाथकरघा संघ के अध्यक्ष द्वारा वर्तमान में अल्पमत में आने के बाद भी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो इस हेतु दोषी कौन है? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है? (घ) सहकारिता विभाग के नियमों के तहत अध्यक्ष को कब तक बर्खास्त किया जायेगा?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन संघ मर्यादित, रायपुर के 07 संचालक सदस्यों द्वारा दिनांक 16-12-2020 को सामूहिक त्यागपत्र दिया है. (ख) बोर्ड के सदस्यों के त्यागपत्र पर विचार हेतु बोर्ड की बैठक दिनांक 26-03-2021 को आहूत की गयी है. बैठक के पश्चात् ही कोरम की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. यदि किसी संस्था में कोरम का अभाव होता है तो, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने का प्रावधान है. संस्था के बोर्ड की बैठक में निर्णय के पश्चात् ही विधि अनुरूप कार्यवाही की जा सकेगी. (ग) वर्तमान में बोर्ड के सदस्यों द्वारा दिये गये त्यागपत्र पर बोर्ड की बैठक में निर्णय नहीं हुआ है. अतएव शेष प्रश्नांश उत्पन्न नहीं होता. (घ) संस्था के बोर्ड द्वारा लिए गये निर्णय उपरांत विधि अनुरूप कार्यवाही की जावेगी.

धान खरीदी का लक्ष्य/बारदाना खरीदी

24. (*क्र. 1718) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वर्ष 2020-21 में धान खरीदी का लक्ष्य क्या था? कितने बारदाना की आवश्यकता थी व सरकार के पास कितने बारदाना उपलब्ध थे? (ख) धान खरीदी लक्ष्य किस तिथि को निर्धारित की गई? बारदाना खरीदी के लिए कब-कब क्या-क्या कार्यवाही की गई? कब-कब बारदाने की सप्लाई किस-किस दर पर हुई? (ग) कितना बारदाना नया, कितना उपयोग किया हुआ व कितना बारदाना किसानों से लिया गया है, किस-किस दर पर, दर सहित बतावे? (घ) क्या धान खरीदी हेतु किसानों से भी अपने बारदाना में भी धान लाने कहा गया? यदि हां तो किसानों को किस दर पर भुगतान किया जायेगा? तथा कितने बारदाने किसानों द्वारा उपलब्ध करवाये गये?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं था, अपितु अनुमानित 89 लाख मे. टन धान उपार्जन के मान से 4 लाख 45 हजार गटान बारदाने की आवश्यकता थी. धान खरीदी हेतु पूर्व वर्ष 2019-20 के शेष नये बारदाने 4202 गटान एवं मिलर के एकमूर्ती बारदाने 19206 गटान कुल 23408 गटान बारदाने उपलब्ध थे. (ख) शासन द्वारा धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया. खरीफ वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान

उपार्जन हेतु बारदाने क्रय के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) नया बारदाना, उपयोग किया हुआ बारदाना, किसानों से लिया हुआ बारदाना एवं दर की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विवरण	मात्रा (गठान में)	दर
1.	नया जूट बारदाना वर्ष 2019-20 के उपलब्ध 4202 गठान में से उपयोग जूट बारदाने. वर्ष 2020-21 के प्राप्त नये 109696 गठान जूट बारदाने में से उपयोग बारदाने.	3170 106217	109387 औसत दर रुपये 29345.32 प्रति गठान.
2.	नया एचटीपीई / पीपी बारदाना. प्राप्त नया एचटीपीई / पीपी बारदाना गठान में से उपयोग बारदाना.	37512	35400 रुपये 10251 से 10875 तक प्रति गठान.
3.	एकभर्ती एचडीपीई / पीपी बारदाना.		9084 -
4.	उपयोग किए हुए बारदाने. मिलरों से प्राप्त 19206 गठान एकभर्ती बारदाने में से उपयोग बारदाने. मिलरों से प्राप्त पुराने बारदाने पीडीएस के बारदाने समितियों से प्राप्त बारदाने	17621 132270 74222 1027	225140 रुपये 15 प्रति नग
5.	किसानों के बारदाने		81021

(घ) किसानों के द्वारा लाये गये बारदाने में भी धान का क्रय किया गया है. पंजीयक, सहकारी संस्थाएं द्वारा निर्धारित राशि रु. 15.00 प्रति नग बारदाने की दर से किसानों को मुगतान किया जा रहा है. किसानों द्वारा 81,021 गठान बारदाने उपलब्ध कराया गया है.

जिला बालोद में अवैध प्लाटिंग पर की गई कार्यवाही

25. (*क्र. 1657) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालोद जिला के अंतर्गत किन-किन ग्रामों एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों में किन-किन के विरुद्ध अवैध प्लाटिंग किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है? तहसीलवार जानकारी दें? (ख) कण्डिका “क” में प्राप्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? जांच में क्या पाया गया? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बालोद जिला के अंतर्गत तहसील बालोद, गुरुर, अर्जुन्दा, गुण्डरदेही, डौणडी, डौणडीलोहारा के किसी भी ग्राम एवं नगरीय निकाय क्षेत्रों से अवैध प्लाटिंग के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

भरतपुर-सोनहत वि.स. क्षेत्र में किसानों की कर्ज माफी

1. (क्र. 50) श्री गुलाब कमरो : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत के सहकारी सोसायटी सोनहत एवं केल्हारी अन्तर्गत पंजीकृत कितने किसानों का वर्ष 2018 से 21-01-2021 तक कर्ज माफ हुआ है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : “अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना, 2018” अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र भरतपुर-सोनहत के सहकारी सोसायटी सोनहत में 1054 कृषकों का राशि रुपये 236.34 लाख एवं सहकारी सोसायटी केल्हारी में 1103 कृषकों का राशि रुपये 201.18 लाख ऋण माफ किया गया है.

जिला विपणन कार्यालय में परिवहन एवं हमाली कार्य हेतु आमंत्रित निविदा

2. (क्र. 98) श्री सौरभ सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला विपणन कार्यालय जांजगीर-चांपा में परिवहन एवं हमाली कार्य हेतु वर्ष 2015-16 से अक्टूबर 2020 तक के लिए कब-कब निविदा आमंत्रित की गई ? कौन-कौन निविदाकार सम्मिलित हुए ? (ख) किस, संस्था, फर्म को किस दर पर कार्यदेश जारी किया गया ? कुल कितनी राशि का भुगतान किस-किस संस्था/फर्म को किस दर पर दिया गया ? नाम व पता सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश “क” के कार्य हेतु शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? शिकायतों में क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † सलग्न प्रपत्र “अ” अनुसार है. (ख) जानकारी † सलग्न प्रपत्र “ब” अनुसार है. (ग) प्रश्नांश “क” के कार्य हेतु शिकायतें संज्ञान में नहीं आयी है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था

3. (क्र. 181) श्री शैलेश पाण्डे : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितने शासकीय स्कूलों में पढ़ाई के लिये स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था है ? (ख) कितने स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था है ? (ग) सभी शासकीय स्कूलों में स्मार्ट क्लास बनवाने की शासन की क्या योजना है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश के 2606 शासकीय स्कूलों में पढ़ाई के लिए स्मार्ट क्लास रूम की व्यवस्था है. (ख) 1920 स्कूलों में इंटरनेट की व्यवस्था है. (ग) कोई योजना नहीं है.

प्रदेश में पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) एवं स्टांप ड्यूटी से प्राप्त राजस्व

4. (क्र. 256) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छ.ग. राज्य में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक में पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) एवं स्टांप ड्यूटी से कितनी आय हुई ? पृथक-पृथक जिलेवार जानकारी दें ? (ख) वर्ष 2020-21 में जिला पंजीयन कार्यालयों के लिए ही गाईड लाईन रेट कब जारी हुई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में 28 जनवरी, 2021 तक वर्षवार एवं जिलेवार राजस्व प्राप्ति की पृथक-पृथक जानकारी क्रमशः प्रपत्र “अ” एवं प्रपत्र “ब” में †† सलग्न है. (ख) वर्ष 2020-21 में जिला पंजीयन कार्यालयों के लिए वर्ष 2019-20 की गाईड लाईन दरों को यथावत रखा गया है. शासनादेश की प्रति प्रपत्र “स” एवं प्रपत्र “द” में †† सलग्न है.

जिला रायपुर में जिला निर्माण समिति के माध्यम से आमंत्रित निविदा

5. (क्र. 269) **श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में जिला निर्माण समिति के माध्यम से वर्ष 2018 से 2020 तक कितने कार्यों की निविदा आमंत्रित की गई है ? विभागवार, वर्षवार बतावें ? (ख) क्या जिला निर्माण समिति द्वारा निविदा ऑफलाइन आमंत्रित की गई है ? यदि हां तो तत्संबंधी राज्य शासन के आदेशों की जानकारी दी जावे ? (ग) उक्त दिनांक तक आमंत्रित निविदा किन-किन निविदाकारों को आबंटित की गई, वर्षवार, विभागवार जानकारी दी जावे ? साथ ही लोक निर्माण विभाग एसओआर में उक्त कार्यों को कितने प्रतिशत अधिक या न्यूनतम में आबंटित किया गया ? (घ) उक्त दिनांक तक आमंत्रित निविदा के कार्यों का ले-आउट किन तिथियों को दिया गया एवं कार्य किस तिथियों को दिया गया एवं कार्य किस तिथि पूर्ण हुए ? अगर नहीं तो कारण बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) निरंक. (ख) से (घ) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

एस.ई.सी.एल. रायगढ़ द्वारा अधिग्रहित भूमि

6. (क्र. 338) **श्री लालजीत सिंह राठिया** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) एस.ई.सी.एल. रायगढ़ द्वारा जनवरी 2021 की स्थिति में ग्राम पंचायत बरौद, जायपाली, औरामुड़ा, छाल चंद्रशेखरपुर, खेदापाली में कितनी-कितनी भूमि अधिग्रहित की गई है ? ग्रामवार जानकारी देवें. (ख) जनवरी 2021 तक कितने प्रभावित भूमिस्वामियों को छ.ग. पुनर्वास योजना अंतर्गत नौकरी प्रदान किया गया है कितने प्रकरण शेष हैं ? (ग) कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अधिग्रहित भूमि निम्नानुसार है :-

ग्राम पंचायत बरौद :-

बरौद खुली खदान (1 एमटीवाय) हेतु - 17.117 हे.

बरौद खुली खदान (3 एमटीवाय) हेतु - 395.542 हे.

कुल - 412.659 हे.

ग्राम पंचायत कुडुमकेला (जामपाली, सिंगमौजा एवं डुमरपाली) - जामपाली खुली खदान हेतु - 250.615 हेक्टर है.

ग्राम पंचायत फगुरम (औरामुड़ा) :-

बरौद खुली खदान (1 एमटीवाय) हेतु - 93.626 हे.

बरौद वाशरी हेतु - 15.189 हे.

कुल - 108.25 हे.

ग्राम पंचायत छाल :-

छाल खुली खदान (3 एमटीवाय) हेतु - 9.035 हे.

छाल खुली खदान (6 एमटीवाय) हेतु - 95.629 हे.

कुल - 104.661 हे.

ग्राम पंचायत चन्द्रशेखरपुर :-

छाल खुली खदान (6 एमटीवाय) हेतु - 73.178 हे.

ग्राम पंचायत खेदापाली (खेदापाली, बांधापाली)

छाल खुली खदान (6 एमटीवाय) हेतु - 171.765 हे.

(ख) एस.ई.सी.एल. की परियोजनाओं हेतु अधिग्रहित निजी भूमि के एवज में प्रभावितों को रोजगार लाभ प्रदान करने हेतु कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा नौकरी के संबंध में गठित जिला स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा नौकरी के संबंध में निर्णय लिया जाता है. एस.ई.सी.एल. रायगढ़ द्वारा अधिग्रहित समस्त परियोजनाओं हेतु जिला स्तरीय पुनर्वास समिति द्वारा प्रभावित ग्रामीणों द्वारा चुने गए विकल्प के अनुसार कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत नौकरी देने की अनुशंसा की गई है. अभी तक कोल इंडिया पुनर्वास नीति के तहत प्रदत्त नौकरियों की संख्या निम्नानुसार :-

परियोजना का नाम	अनुमोदित नौकरी के बदले मुआवजों की संख्या		
	नौकरी	नौकरी के बदले मुआवजा	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)
बरौद खुली खदान (1 एमटीवाय) हेतु	85	38	123

(1)	(2)	(3)	(4)
बरौद खुली खदान (3 एमटीवाय) हेतु	66	86	152
जामपाली खुली खदान	69	118	187
बरौद वाशरी	कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पुनर्वास समिति की बैठक दिनांक 01-03-2021 को निर्धारित है.		
छाल खुली खदान (3 एमटीवाय)	270	17	287
छाल खुली खदान (6 एमटीवाय)	46	0	46

(ग) एस.ई.सी.एल. द्वारा सभी पात्र प्रभावित व्यक्तियों को नौकरी हेतु आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज जमा करने हेतु कई बार सूचना दी जा चुकी है एवं जिन व्यक्तियों द्वारा नौकरी हेतु आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन जमा किया जाता है, उनके नौकरी हेतु त्वरित कार्यवाही की जाती है.

जिला उत्तर बस्तर कांकेर में आश्रम/छात्रावासों को आदर्श संस्था के रूप में विकसित करने हेतु चयन

7. (क्र. 429) श्री पमोद कुमार शर्मा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला उत्तर कांकेर में वित्तीय वर्ष 2020-21 में क्या आश्रम/छात्रावासों को आदर्श संस्था (माडल) के रूप में विकसित करने के लिए चयन किया गया है ? यदि हां तो कितने आश्रम/छात्रावास ? नाम सहित जानकारी दें ? (ख) चयनित आश्रम-छात्रावासों को विकसित करने के लिए कुल कितनी राशि किस-किस मद में स्वीकृत की गई एवं किस-किस कार्य में खर्च की जा रही है ? आश्रम/छात्रावासवार बताएं ? (ग) क्या उक्त कार्यों के लिए निविदा प्रक्रिया का पालन किया गया ? यदि हां तो किन अखबारों में निविदा का प्रकाशन कराया गया, यदि नहीं तो क्यों ? और कौन-कौन फर्म को कार्य कितनी-कितनी लागत का दिया गया एवं कितना भुगतान किया गया, कार्य की अद्यतन स्थिति क्या है ? (घ) आश्रम/छात्रावासों के अधीक्षकों को कुल कितनी राशि खर्च करने की अथॉरिटी है, एवं प्रश्नांकित अवधि में अधिक व्यय करने संबंधी प्रकरण विभाग को ज्ञात हुआ है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां, 10 आश्रम/छात्रावासों का चयन किया गया है, नाम सहित जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	चयनित संस्था का नाम	विकासखण्ड
1.	प्री. मै. आदिवासी बालक छात्रावास, लखनपुरी	चारामा
2.	प्री. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, कापसी	कोयलीबेड़ा
3.	पो. मै. आदिवासी कन्या छात्रावास, नरहरपुर	नरहरपुर
4.	आदिवासी बालक आश्रम, मर्दापोटी	कांकेर
5.	आदिवासी बालक आश्रम, कुलगांव	कांकेर
6.	आदिवासी कन्या आश्रम, कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा
7.	आदिवासी कन्या आश्रम, मानबेड़ा	मानुप्रतापपुर
8.	आदिवासी कन्या आश्रम, हाटकोदल	दुर्गकोदल
9.	आदिवासी कन्या आश्रम अंतागढ़	अंतागढ़
10.	आदिवासी बालक आश्रम सोनपुर	नरहरपुर

(ख) चयनित छात्रावास/आश्रमों को विकसित करने के लिए निम्नानुसार मदवार राशि स्वीकृत की गयी है :-

क्र.	मद का नाम	स्वीकृत राशि (लाखों में) वर्ष 2020-21
1.	495/2202 आश्रम शालाएं अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	187.86
2.	1395/2202 छात्रावास अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य	65.66
योग		253.52

छात्रावास/आश्रमवार स्वीकृत कार्य एवं व्यय की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ग) जी नहीं, अतएव शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. (घ) आश्रम/छात्रावासों के अधीक्षकों को राशि खर्च करने की कोई अथार्टी निश्चित नहीं है. उक्त अवधि में अधिक व्यय करने संबंधी प्रकरण विभाग को ज्ञात नहीं हुआ है.

बिलासपुर संभाग अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में कर्मचारियों की भर्ती

8. (क्र. 861) **श्री अजय चन्दाकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर संभाग अंतर्गत वर्ष 2018 व 2019 में कौन-कौन से धान खरीदी केंद्रों में किन-किन पदों पर कितने कर्मचारियों की भर्ती की गयी है? क्या इस भर्ती में छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 55(1) के उपबंधों के अधीन, सेवानियम 2018 का पालन किया गया है? इस नियुक्ति प्रक्रिया में किनका-किनका अनुमोदन व अनुशांसा की जरूरत होती है तथा किनका-किनका अनुमोदन व अनुशांसा लिया गया है? (ख) उक्त भर्ती किसके अनुमोदन से करायी गयी है? क्या वे इसके लिये पूर्ण सक्षम थे? (ग) क्या उक्त भर्ती के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है यदि हां, तो क्या कार्यवाही किन-किन अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कब की गयी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिलासपुर संभाग अंतर्गत वर्ष 2018 व 2019 में धान खरीदी केंद्रों में रखे गये कर्मचारियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. धान खरीदी सीजन में आवश्यकता अनुसार अस्थायी कर्मचारियों को धान खरीदी केंद्रों में रखा जाता है, जिन पर सोसाइटी कर्मचारियों हेतु जारी सेवानियम लागू नहीं होते हैं. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) एवं (ग) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला जांजगीर चाम्पा में संचालित स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती

9. (क्र. 902) **श्री केशव प्रसाद चंद्रा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जैजैपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूल/हाई स्कूल/पूर्व माध्यमिक शाला एवं प्राथमिक शाला में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने पदों पर भर्ती की गयी है? कितने पद रिक्त हैं, रिक्त पदों पर भर्ती कब तक कर दी जावेगी?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. अभी रिक्त पदों पर भर्ती नहीं की गई है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला धमतरी में आदिवासियों की भूमि की खरीदी-बिक्री हेतु प्रदत्त अनुमति

10. (क्र. 982) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में विगत 05 साल में कितने आदिवासी किसानों की कृषि भूमि गैर-आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई है सूची देवे? (ख) क्या आदिवासी कृषि भूमि को गैर-आदिवासी को विक्रय का प्रावधान है?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) धमतरी जिले में विगत 5 साल में कुल 241 प्रकरणों में आदिवासी किसानों की कृषि भूमि गैर-आदिवासी को बेचने की अनुमति दी गई है, जिसकी सूची वर्षवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर पृथक से है. वर्षवार प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	प्रकरण
1.	2015-16	52
2.	2016-17	61
3.	2017-18	93
4.	2018-19	28
5.	2019-20 से अंत तक	07
कुल योग		241

(ख) छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (6)(2) के प्रावधानों के अंतर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासी को भूमि विक्रय की अनुज्ञा दिये जाने का प्रावधान है.

बेमेतरा विधान सभा क्षेत्र में संचालित सहकारी बैंक

11. (क्र. 1215) **श्री आशीष कुमार छाबड़ा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र में कितने सहकारी बैंक संचालित हैं? तथा सहकारी बैंक प्रारंभ किये जाने हेतु क्या मापदण्ड हैं? (ख) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम-सरदा में सहकारी बैंक की नवीन शाखा प्रारंभ किये जाने की योजना हो तो जानकारी दें?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित है. सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रारंभ किये जाते हैं. (ख) बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम सरदा अथवा कोशपातर विकासखण्ड बेरला में सहकारी बैंक की शाखा प्रारंभ किये जाने का मांग पत्र दिनांक 24-02-2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें कार्यवाही प्रक्रियाधीन है.

विभाग में कार्यरत अति. सहायक विकास आयुक्तों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थापना

12. (क्र. 1229) **श्री सत्यनारायण शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग में कार्यरत अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों को मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है? यदि हां तो किस आधार पर? (ख) क्या अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों का संविलियन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर किया गया है अथवा पदोन्नति दी गई है? शासनादेश एवं नियमों की जानकारी दें? (ग) विभाग में मूल रूप से कार्यरत मुख्य कार्यपालन अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में क्या प्रावधान है?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. मध्यप्रदेश आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-4-87/98/1/25 दिनांक 26-06-1998 द्वारा चयनित अतिरिक्त सहायक आयुक्तों को अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त पदेन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पद पर पदस्थ किया गया है. (ख) अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्तों को सहायक संचालक एवं अन्य उच्च पदों पर पदोन्नति दी गई है. विभागीय भर्ती नियम-2006 यथा संशोधित सेवा भर्ती नियम 2011 अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदोन्नति (संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर) किये जाने का प्रावधान है. (ग) विभागीय भर्ती नियम-2006 यथा संशोधित भर्ती नियम 2011 अनुसार विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी/मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पदोन्नति (संयुक्त वरिष्ठता सूची के आधार पर) किये जाने का प्रावधान है.

राज्य में संचालित शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय

13. (क्र.1242) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय (शासकीय प्रेस) कितने स्थानों में स्थित है? कृपया स्थानवार जानकारी दें? (ख) क्या शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव को स्थानांतरित करने की कोई योजना है? बतावे?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग के अंतर्गत दो शासकीय प्रेस संचालित हैं.

1. शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, चिखली, राजनांदगांव.
2. शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर.

(ख) शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय राजनांदगांव को स्थानांतरित करने संबंधी वर्तमान में कोई योजना नहीं है.

अमनपुर तथा गोबरा नवापारा तहसील में घास चरणोई भूमि एवं सामिलात चारागाह की भूमि

14. (क्र.1252) **श्री धनेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले की अमनपुर एवं गोबरा नवापारा तहसील के ग्रामों-1, उपरवारा, 2. निमोरा, 3. धुसेरा, 4. भेलवाडीह, 5. पचेड़ा, 6. खण्डवा, 7. नवागाँव (कठिया), 8. कठिया, 9. घोरभट्टी, 10. उगेतरा, 11. तर्रा, 12. कुरू में चकबंदी उपरांत कुल कितने-कितने रकबे की घास चरणोई भूमि एवं सामिलात चारागाह की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी? (ख) बंदोबस्त किये जाने के उपरांत उपरोक्त ग्रामों में कितने-कितने रकबों में घास चरणोई भूमि दर्ज है तथा वर्तमान में उपरोक्त उल्लेखित ग्रामों में कितने-कितने रकबों में घास चरणोई भूमि एवं सामिलात चारागाह की भूमि शेष बची है? (ग) उपरोक्त ग्रामों में कुल कितने-कितने रकबों में से किस-किस व्यक्तियों को कौन-कौन सी खसरा नं. की कितने-कितने रकबे की भूमि काबिल काश्त पट्टा प्रदान किया गया था? तथा किस-किस तारीख को? कृपया ग्रामवार अलग-अलग जानकारी दें?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले की अमनपुर एवं गोबरा नवापारा तहसील के ग्रामों की घास चरणोई भूमि एवं सामिलात चारागाह भूमि की चकबंदी उपरांत ग्रामवार/रकबावार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	घास चरणोई भूमि		सामिलात चारागाह भूमि	
		कुल खसरा	कुल रकबा (एकड़ में)	कुल खसरा	कुल रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपरवारा	116	806.19	निरंक	निरंक
2.	निमोरा	05	11.766	निरंक	निरंक
3.	धुसेरा	19	76.99	निरंक	निरंक
4.	भेलवाडीह	152	137.70	निरंक	निरंक
5.	पचेड़ा	78	376.45	02	11.78
6.	खण्डवा	59	221.52	निरंक	निरंक
7.	नवागाँव (कठिया)	32	78.15	निरंक	निरंक
8.	कठिया	101	248.22	01	57.91
9.	घोरभट्टी	38	59.62	04	5.49
10.	उगेतरा	निरंक	निरंक	05	10.63
11.	तर्रा	33	348.45	निरंक	निरंक
12.	कुरू	20	316.30	निरंक	निरंक

(ख) बंदोबस्त उपरांत ग्रामवार/रकबावार दर्ज भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	घास चरनोई भूमि		सामिलात चारागाह भूमि	
		कुल खसरा	कुल रकबा (हेक्टर में)	कुल खसरा	कुल रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपरवारा	174	186.80	निरंक	निरंक
2.	निमोरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
3.	धुसेरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
4.	भेलवाडीह	26	20.17	निरंक	निरंक
5.	पचेड़ा	116	98.83	02	4.41
6.	खण्डवा	42	107.5	निरंक	निरंक
7.	नवागांव (कठिया)	57	65.22	निरंक	निरंक
8.	कठिया	77	58.19	01	24.03
9.	घोरभट्टी	19	9.34	04	1.84
10.	उगेतरा	38	96.56	निरंक	निरंक
11.	तर्रा	29	71.61	निरंक	निरंक
12.	कुरू	51	62.56	निरंक	निरंक

(ग) काबिलकास्त भूमि पर भूमिस्वामी पट्टा प्राप्त व्यक्तियों की सूची निम्नानुसार है :-

क्र.	ग्राम का नाम	व्यक्ति का नाम	खसरा नंबर	रकबा (एकड़ में)	पट्टा प्रदाय करने की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	धुसेरा	भीखम पिता सुखरू	284/13	1.011	12-8-1984
2.	धुसेरा	पुनितराम पिता परसा	284/12	1.064	12-8-1984
3.	धुसेरा	मोहनलाल पिता मनराख	597/8	1.011	12-8-1984
4.	धुसेरा	कंगलू पिता खेदू	597/9	1.011	12-8-1984
5.	धुसेरा	मिखारी पिता रूपराय	477	1.453	12-8-1984

शेष 11 ग्रामों में काबिल कास्त पट्टे की भूमि वितरण की जानकारी वर्तमान में उपलब्ध नहीं है.

वन अधिकार पत्र का वितरण

15. (क्र. 1291) श्री डमरूधर पुजारी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वन अधिकार का पत्र का वितरण किया जा रहा है ? यदि हां तो 01 दिसम्बर, 2018 के पश्चात् दिनांक 03-02-2021 तक कितने वन अधिकार पत्र का वितरण किया गया है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ख) 01 जनवरी, 2019 के पश्चात् वन अधिकार पत्र के संबंध में कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? साथ ही निरस्त वन अधिकार पत्रों के संबंध में शासन द्वारा की कार्यवाही की अद्यतन स्थिति क्या है ? जिलेवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. 01 दिसंबर 2018 के पश्चात् दिनांक 03-02-2021 तक कुल 47024 वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है. जिलावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “अ” पर दर्शित है. (ख) 01 जनवरी 2019 पश्चात् छत्तीसगढ़ राज्य अंतर्गत वन अधिकार पत्र हेतु कुल 64891 दावे प्राप्त हुए हैं. प्राप्त दावों में से 51565 दावे स्वीकृत किए गए हैं एवं 57 दावे निरस्त किए गए हैं. 13269 दावे प्रक्रियाधीन हैं. जिलावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “ब” पर दर्शित है. निरस्त वन अधिकार पत्रों के संबंध में शासन द्वारा की गई कार्यवाही की जिलावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र “स” पर दर्शित है.

प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती

16. (क्र. 1456) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 14580 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन दिनांक 09 मार्च 2019 को जारी किया गया था ? यदि हां, तो उनमें से कितने पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? शिक्षकों को नियुक्ति आदेश कब तक जारी कर दिये जायेंगे ? (ख) प्रश्नांश “क” के व्याख्याता के 3177 पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन का कार्य कब-कब किया गया है ? जिनका दस्तावेज सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है क्या उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं कब तक जारी किया जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जी हां. व्याख्याता के 2671 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी किये गये हैं. निश्चित समय-सीमा बताना संभव नहीं है. (ख) व्याख्याता के 3177 पदों हेतु दस्तावेज सत्यापन का कार्य दिनांक 05-11-2019 से 06-02-2021 तक किया गया तथा 2671 को नियुक्ति पत्र जारी किया जा चुका है. निश्चित समय अवधि बताना संभव नहीं है.

जी एम आर पावर लिमिटेड रायखेड़ा की खरीदी में प्राप्त राजस्व

17. (क्र.1476) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जी एम आर (GMR) पावर लिमिटेड रायखेड़ा, जिला-रायपुर को किस कंपनी द्वारा कब एवं कितने में खरीदा गया ? क्या खरीदी हेतु अधिसूचना/इशितहार जारी किया गया था ? यदि हां तो कब किस माध्यम से कृपया जानकारी प्रदान करें ? (ख) खरीदी हेतु कितनी राशि की स्टॉम्प ड्यूटी किस दर से लगी एवं इससे शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) उप पंजीयक कार्यालय तिल्दा में अभिलेखों के निरीक्षण उपरांत संबंधित जानकारी निरंक है. (ख) जानकारी निरंक.

कृषकों का रकबा शून्य करने की प्राप्त शिकायतें

18. (क्र.1597) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि विकासखण्ड मस्तूरी के कई किसानों ने के.सी.सी. ऋण लिया लेकिन उनका रकबा शून्य बताया गया जिससे इनके द्वारा धान नहीं बेचा जा सका ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार क्या रकबा शून्य/कम करने की शिकायत कृषकों द्वारा की गई है ? यदि हां, तो कितने कृषकों द्वारा की गई व उन पर क्या कार्यवाही की गई ? जिलेवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां. विकासखण्ड मस्तूरी में किसानों द्वारा के.सी.सी. ऋण लिया गया लेकिन तकनीकी कारणों जैसे-खाता विभाजन/फौती नामांतरण/समिति माइयल में तकनीकी त्रुटि/गिरदावरी रकबा में पड़त भूमि/किसानों द्वारा रकबा संशोधन हेतु आवेदन नहीं देने से उनका रकबा शून्य बताया गया जिससे इनके द्वारा धान नहीं बेचा जा सका. (ख) जी हां. जिले में 2595 कृषकों द्वारा रकबा शून्य/कम करने की शिकायत की गई जिसमें जांच करने पश्चात् 2384 कृषकों के रकबे में सुधार किया गया. जिलेवार जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर है.

मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में विद्यालयों को प्रदत्त अनुदान राशि

19. (क्र. 1600) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र में जनवरी, 2019 से दिनांक 04-02-2021 तक शाला अनुदान किस-किस विद्यालयों में कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में दर्शित है.

ग्राम देमार के जमीन में नामांतरण की प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही

20. (क्र. 1634) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि देमार विकास खण्ड धमतरी, जिला धमतरी में स्थित खसरा नं. 517, 517 का भाग एवं कुल रकबा लगभग 22.29 हेक्टेयर जिसका वर्तमान खसरा नं. 519, 1303, 1308, 1310 कुल रकबा लगभग 22.29 हेक्टेयर लगभग 114-115 व्यक्तियों के नाम दर्ज था, का नामांतरण एक व्यक्ति के नाम पर नामांतरित किया गया है ? यदि हां, तो वर्तमान में जमीन अभिलेख किस नाम से दर्ज है एवं किस स्तर के अधिकारी के द्वारा आदेश पारित किया गया है ? (ख) क्या उक्त खसरा नं. के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ? क्या यह सही है कि तहसील द्वारा मूराजस्व का उल्लंघन कर क्षेत्राधिकार से बाहर व नियम विरुद्ध नामांतरण किया है ? यदि हां, तो दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) ग्राम देमार विकास खण्ड धमतरी, स्थित भूमि पुराना खसरा नंबर 517, 517 का भाग एवं 519 रिजर्विंग वर्तमान खसरा नं. 1303, 1308, 1310 कुल रकबा 22.29 हेक्टेयर भूमि वर्ष 1942-43 के चकबंदी अभिलेख अनुसार कालम 03 में 05 व्यक्तियों का तथा कालम 12 कैफियत खाने में 114 व्यक्तियों का नाम अंकित था जो बंदोबस्त पश्चात् मिसल अभिलेख वर्ष 1995-96 में कालम नंबर 03 में विनोदपुरी पिता आनंदपुरी व अन्य 24 व्यक्तियों का नाम अंकित है जिसे न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 धमतरी पीठासीन अधिकारी श्रीमान अभिनव डहरिया के द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 51 ए/13 विनोदपुरी एवं अन्य वितरीत ललितपुरी एवं अन्य के विधिवत् सुनवाई कर दिनांक 16-05-2019 को पारित निर्णय एवं डिक्री के परिपालन में न्यायालय तहसीलदार धमतरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 175 अ/6 वर्ष 2018-19 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2019 के परिपालन में आवेदक विनोदपुरी गोस्वामी पिता आनंदपुरी गोस्वामी के नाम दर्ज किया गया जो कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी के अपील प्रकरण क्रमांक 34 अ/6 वर्ष 2018-19 अपीलार्थी लखन पिता लीलाराम ठेठवार वगै. विरुद्ध विनोदपुरी पिता आनंदपुरी गोस्वामी में पारित आदेश दिनांक 06-12-2019 के परिपालन में खाता को पूर्ववत् विनोदपुरी पिता आनंदपुरी व अन्य 24 के नाम पर दर्ज किया गया, जो कि वर्तमान में विनोदपुरी पिता आनंदपुरी व अन्य 24 के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है. (ख) जी नहीं उक्त खसरा नं. के संबंध में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. न्यायालय तहसीलदार धमतरी द्वारा व्यवहार न्यायालय धमतरी में व्यवहार वाद में पारित निर्णय, डिक्री दिनांक 16-05-2019 के परिपालन में राजस्व प्रकरण क्रमांक 175 अ/6 वर्ष 2018-19 में पारित आदेश दिनांक 10-06-2019 द्वारा नामांतरण आदेश पारित किया गया था जो वर्तमान में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धमतरी के आदेश दिनांक 06-12-2019 द्वारा पूर्ववत् विनोदपुरी पिता आनंदपुरी व अन्य 24 के नाम दर्ज है.

प्राथमिक सहकारी समितियों में धान की सूखत

21. (क्र. 1637) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में कितनी प्राथमिक सहकारी समितियों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन (खरीदी) किया जाता है ? (ख) जिन उपार्जन केन्द्रों में धान खरीदा जाता है वहां शासन द्वारा धान की कितनी सूखत स्वीकार की जाती है ? (ग) सत्र 2019-20 व 2020-21 में जिला सहकारी बैंक रायपुर के अंतर्गत संचालित कितनी प्राथमिक सहकारी समितियों में धान उठाव के दौरान कितनी सूखत दर्ज की गयी थी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 2009 समितियों के 2311 उपार्जन केन्द्रों द्वारा समर्थन मूल्य पर धान का उपार्जन (खरीदी) किया गया है. (ख) धान उपार्जन नीति अनुसार उपार्जन केन्द्रों के लिए धान की सूखत मान्य नहीं है. (ग) सत्र 2019-20 में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के अंतर्गत 340 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में धान उठाव के दौरान 242542.25 विंटल सूखत/कमी की मात्रा दर्ज की गयी. वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान के संपूर्ण उठाव पश्चात् संयुक्त लेखा मिलान होने पर कमी/सूखत की मात्रा ज्ञात हो सकेगी.

शिक्षाकर्मी की भर्ती में पात्रता

22. (क्र. 1638) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2 व 3 की भर्ती में शासन द्वारा क्या-क्या पात्रता निर्धारित की गयी थी ? (ख) क्या उक्त पात्रता में बी.ई. (बेचलर ऑफ इंजीनियरिंग सभी कैटेगिरी) को भी मान्य किया गया है ? यदि नहीं तो मान्य न करने के क्या कारण है ? (ग) सत्र 2019-20 तथा 2020-21 में शिक्षा विभाग में किस-किस पद पर कितनी-कितनी भर्तियां हुई हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) जी हां. शेषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता. (ग) 14580 व्याख्याता/शिक्षक/सहायक शिक्षक के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें 2671 व्याख्याताओं के नियुक्ति पत्र जारी किये गये.

वन पट्टा धारियों की धान खरीदी

23. (क्र. 1642) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु कितने वन अधिकार पट्टा धारियों का पंजीयन किया गया है ? (ख) उक्त में से कितने वन पट्टा धारियों का धान खरीदी किया गया है एवं कितने धान बेचने से वंचित हो गये और क्यों ? विकासखंडवार, सोसायटीवार जानकारी उपलब्ध करावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राजनांदगांव जिले में वर्ष 2020-21 में धान खरीदी हेतु 3911 वन अधिकार पट्टाधारियों का पंजीयन किया गया है. (ख) उक्त में से 3448 किसानों का धान खरीदा गया, शेष पंजीकृत 463 किसानों द्वारा धान विक्रय करने धान उपार्जन केन्द्र में नहीं लाया गया. विकासखण्डवार, सोसायटीवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

अनाबद्ध मद में केन्द्र शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि

24. (क्र. 1646) **श्री पुन्नुलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार द्वारा अनाबद्ध मद में निर्माण कार्य हेतु राज्य शासन को कितनी राशि उपलब्ध कराई गई थी ? (ख) क्या राशि का आबंटन जिले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आबादी अनुरूप किया गया है, किन-किन जिलों में कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2018-19 से प्रश्न दिनांक तक केन्द्र सरकार द्वारा अनाबद्ध मद में अधोसंरचनात्मक विकास कार्य हेतु राज्य शासन को उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)		
क्रमांक (1)	वर्ष (2)	भारत सरकार से प्राप्त राशि (3)
1.	2018-19	-
2.	2019-20	240.62
3.	2020-21	-

(ख) जानकारी इस प्रकार है :-

राशि का आबंटन जिले में अनुसूचित जाति की आबादी के अनुरूप नहीं किया गया है, बल्कि राशि का आबंटन 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति की आबादी बाहुल्य ग्रामों के अनुसार किया गया है. जिलों में स्वीकृत की गयी राशि का विवरण परिशिष्ट अनुसार ‡ संलग्न है.

जिला जांजगीर-चांपा में शासकीय जमीन का विक्रय

25. (क्र. 1683) **श्री नारायण चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कितने एकड़ सरकारी जमीन का विक्रय किया गया है ? उसमें कितनी राशि शासन को प्राप्त हुई है ? जमीन विक्रय करने का आधार क्या है ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में उक्त जिले में कितनी सरकारी जमीन को विक्रय करने का लक्ष्य शासन द्वारा रखा गया है ? लक्ष्य तय करने का मापदण्ड क्या है ? (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में उक्त जिले में किन-किन व्यक्तियों को कितनी जमीन किस दर पर विक्रय किया गया है ? कब-कब जमीन की निलामी हुई है व कितने बार निलामी रद्द हुई है ? यदि निलामी रद्द की गई है तो इसका क्या कारण है ? (घ) क्या उक्त जिले की जमीन को विक्रय करने में शासन के नियमों की अवहेलना करने व नियम विरुद्ध विक्रय किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो इस हेतु कौन दोषी हैं ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चाम्पा जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में सरकारी जमीन का विक्रय नहीं किया गया है। जिससे कोई भी राशि प्राप्त नहीं हुई है। नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन, शासकीय भूमि के आबंटन के संबंध में राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत जारी ज्ञापन क्रमांक एफ-4-07/सात-1/2019 दिनांक 11-09-2019 को निर्देश जारी किया गया है। (ख) जी नहीं। (ग) प्रश्न “क” एवं “ख” के संदर्भ में जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को जमीन का विक्रय नहीं किया गया है। जमीन की नीलामी की कार्यवाही एवं नीलामी रद्द की जानकारी निम्नानुसार है :-

1. जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत अनुविभाग जांजगीर में दिनांक 22-3-2020, सवती में 23-3-2020, पामगढ़ में 24-3-2020, डमरा व चांपा में 25-3-2020 को नीलामी की तिथि निर्धारित की गई थी। जिसे कोरोना आपदा के कारण नीलामी की प्रक्रिया को स्थगित किया गया।
2. नगर चांपा में दिनांक 4-7-2020 को पुनः आयोजित किया गया। नीलामी की कार्यवाही में बोली हेतु केवल एक बोलीदार के भाग लेने से नीलामी की कार्यवाही स्थगित की गई।
3. नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला अंतर्गत नीलामी प्रक्रिया दिनांक 30-6-2020 को पुनः आयोजित किया गया, किन्तु प्रस्तावित भूमि की नीलामी प्रक्रिया में लगाई गई बोली अधिकतम प्रतीत नहीं होने के कारण नीलामी प्रक्रिया रद्द की गई।
4. अनुविभाग डमरा अंतर्गत नगर पंचायत चंद्रपुर की शासकीय भूमि की नीलामी हेतु दिनांक 06-07-2020 को पुनः नीलामी की कार्यवाही हेतु रखी गई थी जिसमें कोई भी आवेदक अथवा नीलामी में लेने हेतु कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होने के कारण नीलामी की कार्यवाही रद्द की गई।

(घ) जी नहीं।

रायपुर नगर में नामांतरण भू-अभिलेख में नाम दर्ज करने पारित आदेश

26. (क्र. 1687) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर नगरी क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2018, 2019, 2020 की अवधि में कितने राजस्व प्रकरणों में नामांतरण/भू-अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए, वर्षवार प्रकरणवार, ब्यौरा दें ? (ख) कंडिका “क” के क्षेत्र में प.ह.नं. 46/62 रायपुर खास, भू-अर्जन क्र. 195 दिनांक 02-02-1960 के प्रकरण में कितनी-कितनी भूमि किन-किन के नाम दर्ज की गयी ? कितने प्रकरण लंबित है, और क्यों ? (ग) क्या कंडिका “ख” के प्रकरण में पारित आदेश के विरुद्ध नाम दर्ज किए जाने की शिकायत मिली है, हां तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर में नगर निगम रायपुर क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 की अवधि में कुल 8606 राजस्व प्रकरणों में नामांतरण/भू-अभिलेख में नाम दर्ज करने के आदेश पारित किए गए हैं जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. (1)	न्यायालय का नाम (2)	वर्ष 2017-18 (3)	वर्ष 2018-19 (4)	वर्ष 2019-20 (5)	योग (6)
1.	श्री अमित बेक	1174	1412	472	3058
2.	श्री अश्वनी कंवर	424	641	329	1394
3.	श्री राकेश देवांगन	164	478	316	958
4.	श्री अश्वनी कंवर	660	849	153	1662
5.	श्रीमती डॉ. अंजली शर्मा	131	102	25	258
6.	श्रीमती नाविता सिन्हा	425	654	197	1276
योग		2978	4136	1492	8606

वर्षवार प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है। (ख) भू-अर्जन क्रमांक 195 दिनांक 02-02-1960 के प्रकरण के संबंध में भू-अर्जन की दायरा पंजी वर्ष 1959-60 एवं 1960-61 में कोई प्रविष्टि दर्ज नहीं होना पाया गया। (ग) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायपुर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 67 अ/6 वर्ष 2018-19 में पारित आदेश दिनांक 24-10-2019 के परिपालन में नामांतरण हेतु अतिरिक्त तहसीलदार रायपुर के न्यायालय में मामला क्रमांक 99 अ/6 वर्ष 2019-20 वर्तमान में विचाराधीन है।

जांजगीर-चांपा जिला में संचालित शालाएं

27. (क्र. 1690) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल, हाई स्कूल, माध्यमिक शाला व प्राथमिक शाला संचालित हैं ? ब्लॉकवार जानकारी देवें ? (ख) क्या जांजगीर-चांपा जिला में नये हायर सेकेण्डरी, हाई स्कूल खोलने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कौन-कौन सा स्कूल, ब्लॉक वार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) † सलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है. (ख) जी नहीं. प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

प्रदेश में संचालित हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ग्रंथपाल के रिक्त पद स्वीकृत पद

28. (क्र. 1691) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित हैं, और कितने हायर सेकेण्डरी स्कूल में ग्रंथपाल हैं ? प्रदेश में कुल कितने ग्रंथपाल के पद स्वीकृत हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त हैं, रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा ? जिलेवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जिलेवार जानकारी परिशिष्ट में †† सलग्न है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

स्कूल शिक्षा विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति

29. (क्र. 1707) **श्री बघेल लखेश्वर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में शिक्षकों एवं व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु कितने-कितने पदों में भर्ती हेतु अनुमति प्राप्त हुई है व इस समय कितने पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है ? (ख) उक्त पदों में भर्ती हेतु शासन के द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया क्या है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक, सेकेण्डरी एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 983 शिक्षकों एवं 197 व्यायाम शिक्षकों के रिक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु अनुमति प्राप्त हुई है और इन पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रचलन में है. (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में (पृष्ठ क्रमांक 01 से 19 तक) जानकारी दर्शित है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

30. (क्र. 1710) **श्री राजमन बेजाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के कितने दिवंगत शिक्षकों के परिवार के अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरण दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में लंबित है ? विकासखण्डवार जानकारी देवें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : चित्रकोट विधान सभा क्षेत्र के कुल 07 दिवंगत शिक्षकों के परिवार के अनुकम्पा नियुक्ति के दिनांक 10-02-2021 की स्थिति में 07 प्रकरण लंबित है. विकासखण्ड तोकापाल के 05, लोहण्डीगुड़ा का 01, बास्तानार का 01 प्रकरण.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति व मानदेय भुगतान

31. (क्र. 1711) **श्री राजमन बेजाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019 से 04-02-2021 तक कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, वर्षवार विकासखण्डवार जानकारी देवें? (ख) प्रश्नांश “क” नियुक्त अतिथि शिक्षकों में से ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है और इनको भुगतान कब तक किया जायेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है, अपितु चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2019-20 में शाला प्रबंधन समिति के माध्यम से 49 अतिथि शिक्षकों द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था की गई है. वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के कारण दिनांक 14-02-2021 तक शालाएं बंद थी, जिसके कारण अतिथि शिक्षक की सेवाएं नहीं ली गईं. वर्षवार विकासखंड वार जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	विकासखंड का नाम			
	बास्तानार	लोहणडीगुड़ा	तोकापाल	दरभा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2019-20	16	14	13	6
2020-21	निरंक			

(ख) प्रश्नांश “क” के अतिथि शिक्षकों को कर्तव्य अवधि तक का शतप्रतिशत मानदेय भुगतान किया जा चुका है.

बस्तर संभाग अंतर्गत आश्रम/छात्रावासों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना

32. (क्र. 1714) **श्री चंदन कश्यप** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में बस्तर संभाग अंतर्गत समस्त आश्रम/छात्रावासों में कम्प्यूटर लैब की स्थापना हेतु कितनी-कितनी राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई ? जिलेवार आश्रम/छात्रावासों की संख्या एवं स्वीकृत राशि की जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार स्वीकृत कम्प्यूटर लैब हेतु क्या-क्या सामग्री, कितनी-कितनी मात्रा में कितने-कितने दर पर किस-किस फर्म/संस्था से क्रय किया गया ? कितना भुगतान किया गया ? सामग्री का मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता कौन-कौन थे ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) क्या समस्त आश्रम/छात्रावासों में कम्प्यूटर लैब स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कार्य अपूर्ण होने का क्या कारण है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी प्रपत्र “अ” पर † संलग्न है. (ख) जानकारी प्रपत्र “ब” पर † संलग्न है. (ग) जी, नहीं. कार्य अपूर्ण होने के कारण की जानकारी प्रपत्र “स” पर † संलग्न है.

जिला राजनांदगांव में अवैध प्लॉटिंग पर कार्यवाही

33. (क्र. 1721) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 2018-19 से 4-2-21 तक राजनांदगांव जिले में कालोनाइजरो द्वारा निर्मित कालोनी/प्लॉट को अवैध घोषित किया गया ? यदि हां तो किन-किन तहसीलों के कौन-कौन से खसरा नंबर को अवैध घोषित कर कालोनाइजरो पर क्या कार्यवाही की गयी है ? घोषित अवैध प्लॉट/कालोनी को किस अधिकारी द्वारा कब और किन नियमों के तहत वैध करने की अनुमति प्रदान की गयी ? वर्षवार, तहसीलवार, खसरा नंबर एवं रकबावार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जी नहीं. शेष अंश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

जिला राजनांदगांव में स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

34. (क्र. 1722) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 से 4-2-21 तक राजनांदगांव जिले के स्कूल शिक्षा विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के कितने प्रकरण पद रिक्त नहीं होने एवं न्यायालयों से निर्णय/आदेश पारित होने के बाद भी लंबित हैं ? क्या उक्त प्रकरणों के निराकरण हेतु सेटअप या पदों की मांग की गयी है ? लंबित प्रकरणों का निराकरण कब तक कर लिया जावेगा ? वर्षवार विकासखण्डवार, लंबित प्रकरणवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : लंबित प्रकरण की जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. जी नहीं. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में मध्याह्न भोजन का संचालन

1. (क्र. 132) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अकलतरा विधानसभा क्षेत्र के स्कूलों में मध्याह्न भोजन के संचालन के लिए कितने किचन शेड का निर्माण किया गया है ? (ख) कहां-कहां पर शेड निर्माण का कार्य अधूरा और अप्रारंभ है और किन-किन शालाओं में शेड निर्माण का कार्य स्वीकृत है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट में दर्शित है.

मध्याह्न भोजन के संचालन पर अनुदान

2. (क्र. 133) **श्री सौरभ सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए राशन परिवहन पर प्रति विवंटल कितना अनुदान निर्धारित किया है ? (ख) उपरोक्त मद के अंतर्गत पिछले 3 वित्तीय वर्ष और वर्तमान वित्तीय वर्ष में कितनी राशि प्राप्त हुई है ? और कितनी लंबित है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को मध्याह्न भोजन योजना के संचालन के लिए राशन परिवहन पर अनुदान नहीं दिया जाता है, अपितु राशन परिवहन पर किराया भुगतान किया जाता है. परिवहन दर 131.50 रु. प्रति विवंटल है. (ख) राशन परिवहन हेतु राशि रु. 3482.49 लाख प्राप्त हुई है एवं लंबित राशि निरंक है.

प्रदेश के शासकीय स्कूलों अन्तर्गत खेलकूद की व्यवस्था

3. (क्र. 226) **श्री शैलेश पाण्डे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं को खेल कूद हेतु कौन सी योजनायें हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : प्रदेश में शासकीय स्कूलों में छात्र-छात्राओं को खेलकूद हेतु “खेलगढ़िया योजना” संचालित है.

जिला रायपुर में कृषि/आवासीय भूमि की रजिस्ट्री

4. (क्र. 260) **श्री कुलदीप जुनेजा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर जिले में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में दिनांक 28 जनवरी, 2021 तक कृषि भूमि की कितनी रजिस्ट्री हुई ? (ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित में आवासीय भूमि की कितनी रजिस्ट्री हुई ? (ग) इससे शासन को कितना राजस्व प्राप्त हुआ.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिले में वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में दिनांक 28 जनवरी 2021 तक रजिस्ट्री हुई कृषि भूमि की जानकारी निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2019-20	वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-1-2021 तक	कुल योग
कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज	कृषि भूमि से संबंधित दस्तावेज	
17536	12960	30496

(ख) प्रश्नांश “क” में उल्लेखित आवासीय भूमि की रजिस्ट्री की जानकारी निम्नानुसार है.

आवासीय भूमि से संबंधित दस्तावेज	आवासीय भूमि से संबंधित दस्तावेज	कुल योग
22594	15559	38153

(ग) शासन को निम्नानुसार राजस्व प्राप्त हुआ है :-

कृषि भूमि से प्राप्त आय		आवासीय भूमि से प्राप्त आय	
स्टाम्प शुल्क	पंजीयन शुल्क	स्टाम्प शुल्क	पंजीयन शुल्क
वित्तीय वर्ष 2019-20		वित्तीय वर्ष 2019-20	
961015132	403275832	1948840279	710890680
1364290964		2659730959	
वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-1-2021 तक		वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 28-1-2021 तक	
676380837	396518429	1347663391	629341200
1072899266		1977004591	

रायपुर अनुविभागीय क्षेत्र में डायवर्सन के प्राप्त प्रकरण

5. (क. 261) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायपुर अनुविभागीय क्षेत्र में औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के कितने प्रकरण वर्ष 2020 में प्राप्त हुए हैं ? (ख) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत कितने प्रकरण प्राप्त हुए कितने का निराकरण ले आउट सहित किया गया है एवं कितने प्रकरणों का निराकरण बिना ले आउट किया गया है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर अनुविभागीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2020 में औद्योगिक प्रयोजन हेतु डायवर्सन के 198 प्रकरण प्राप्त हुए हैं. (ख) निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 141 प्रकरण प्राप्त हुए. इनमें से 27 प्रकरण ले-आउट सहित एवं बिना ले-आउट के 114 प्रकरण निराकरण किया गया है.

जिला रायगढ़ अंतर्गत कर्जमाफी योजना के तहत लाभान्वित कृषक

6. (क. 370) श्री लालजीत सिंह राठिया : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कर्जमाफी योजना के तहत जिला रायगढ़ में कितने किसानों की कितनी राशि सहकारी बैंकों से एवं कितनी व्यवसायिक बैंकों से कर्जमाफी की गयी ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) कितने किसानों की कर्जमाफी किया जाना शेष है, कब तक कर दी जावेगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के तहत किसानों के ऋण माफी की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

विकासखण्ड	सहकारी बैंक		ग्रामीण बैंक एवं व्यवसायिक बैंक	
	किसान संख्या	राशि (करोड़ में)	किसान संख्या	राशि (करोड़ में)
रायगढ़	7357	19.95	7462	70.70
पुसौर	6982	17.99	4486	38.30
सारंगढ़	11878	29.19	6530	44.90
बरमकेला	11377	37.89	9466	72.70
खरसिया	8604	25.91	4756	36.00
धर्मजयगढ़	5151	09.71	3060	21.90
घरघोड़ा	1980	04.38	2332	18.70
तमनार	3501	06.71	2184	14.70
लौलूगा	3222	06.92	2951	18.90
योग	60052	158.65	43227	336.80

(ख) अल्पकालीन कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत रायगढ़ जिले में पात्र किसानों का कर्ज माफ किया जाना शेष नहीं है।

किसानों की भूमि रकबा कटौती एवं कृषि भूमि पंजीयन

7. (क्र. 870) श्री अजय चन्द्राकर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2019-20 व 2020-21 में किसानों की कितनी भूमि रकबा कटौती की गयी है ? रकबा में किन-किन प्रकारों की भूमि का कटौती की गई ? वर्षवार बताये . (ख) उक्त वर्ष में कृषि भूमि का पंजीयन किस प्रक्रिया से, कौन-कौन सी संस्था द्वारा कराया गया ? जिन संस्था द्वारा कराया गया वह स्थानीय सर्वे किया गया था ? यदि नहीं तो किस आधार पर कृषि भूमि का पंजीयन कराया गया ? (ग) वर्ष 2020-21 में कृषि भूमि पंजीयन में किन-किन प्रकार की त्रुटि पायी गयी तथा क्या वह सभी त्रुटि सुधार दी गई हैं ? तथा सुधार करने में कितने दिनों का समय लगता है ? कितने किसानों की त्रुटि सुधार हो गये हैं ? 31 जनवरी 2021 की स्थिति में जिलावार बतावे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) खरीफ वर्ष 2019-20 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” में एवं खरीफ वर्ष 2020-21 की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “ब” में जिलेवार है. (ख) प्रश्नांक (ख) की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “अ” एवं “ब” में है. (ग) प्रश्नांक (ग) की जिलेवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट “स” में है.

केन्द्र सरकार द्वारा खेलगढ़ी योजनांतर्गत राज्य सरकार को प्राप्त राशि

8. (क्र. 871) श्री अजय चन्द्राकर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खेलगढ़ी योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में केन्द्र सरकार से कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुयी है ? प्राप्त राशि से उक्त वर्षों में कितना खर्च किया गया कितनी किन कारण से शेष बची ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. कोरोना महामारी में स्कूल बंद रहने के कारण.

जिला जांजगीर चांपा में भवन विहीन जर्जर शाला भवन

9. (क्र. 912) श्री केशव प्रसाद चंद्रा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि विधानसभा क्षेत्र जैजैपुर में कितने स्कूल भवन विहीन एवं कितने जर्जर हैं, विकासखण्डवार जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी निम्नानुसार है :-

स. क्र.	विकासखण्ड	शाला भवनों की स्थिति	
		विहीन	जर्जर
1.	बम्हनीडीह	2	14
2.	जैजैपुर	0	42
3.	मालखरौदा	0	13
	योग	2	69

जिला जांजगीर चांपा में संपादित रजिस्ट्री

10. (क्र. 913) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जांजगीर चांपा में वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कितनी रजिस्ट्री की गयी है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जिला जांजगीर-चांपा के अंतर्गत 09 उप पंजीयक कार्यालयों द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक कुल 11,449 दस्तावेजों का पंजीयन किया गया है.

केशकाल एवं फरसगांव नगर पंचायत क्षेत्र में पट्टा वितरण

11. (क्र. 1001) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या राजस्व विभाग के अंतर्गत केशकाल एवं फरसगांव नगरपंचायत क्षेत्र में शासन से प्राप्त निर्देशों का पालन करते हुए शासकीय भूमि, घास भूमि, आबादी व प्रचलित आबादी का सर्वे किया गया ? (ख) यदि हां तो, कितने हितग्राहियों को मुख्यमंत्री आबादी पट्टा एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरित किया गया है ? कितने लोगों का पट्टा वितरण लंबित है ? लंबित प्रकरणों की जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हाँ. (ख) मुख्यमंत्री आबादी पट्टा 117 एवं राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत 52 हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया है. पट्टा वितरण के कोई प्रकरण लंबित नहीं है.

कोण्डागांव जिला में धान परिवहन हेतु अधिकृत एजेंसी

12. (क्र. 1002) **श्री सन्तराम नेताम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि कोण्डागांव जिला अंतर्गत विगत 3 वर्ष में धान परिवहन हेतु किस एजेंसी को अधिकृत किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : कोण्डागांव जिला अंतर्गत विगत 3 वर्षों में धान परिवहन हेतु परिवहनकर्ता/अधिकृत एजेंसी की जानकारी निम्नानुसार है :-

खरीफ विपणन वर्ष	अधिकृत एजेंसी/परिवहनकर्ता
2018-19	मो. इकबाल भाई, रजा नगर केशकाल
2019-20	मेसर्स धनवंतसिंह गिल, दुर्ग
2020-21	मेसर्स दमनदीन रोडलाईन्स, राजनांदगांव

उपतहसील कुकदुर में वनाधिकार पट्टा का निरस्त करण

13. (क्र. 1073) **श्रीमती ममता चन्द्राकर** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2016-2017 में उपतहसील कुकदुर के अंतर्गत कितना वनाधिकार पट्टा बांटा गया था ? वर्तमान में उन पट्टों में से कितने को निरस्त किया गया है ? निरस्त का कारण बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के तहत उप तहसील कुकदुर के अंतर्गत कुल 617 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरित किए गए थे. वर्तमान में उन वितरित वन अधिकार पत्रों में से अनुसूचित जनजाति के 02 तथा अन्य परंपरागत वन निवासी के 01 वन अधिकार पत्र, इस प्रकार कुल 03 वन अधिकार पत्र निरस्त किए गए हैं. वन अधिकार अधिनियम, 2006 की धारा 2 (ग) एवं 2 (ण) की अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाए जाने के कारण इन्हें निरस्त किया गया है.

राज्य में अवैध प्लानिंग पर कार्यवाही

14. (क्र. 1154) **डॉ. रमन सिंह** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 03-02-2021 तक राज्य में अवैध प्लानिंग के कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं ? जिलेवार जानकारी दें. (ख) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत उल्लेखित अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांक “क” के अंतर्गत अवैध प्लानिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई तथा शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) से (ग) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

सहायक आयुक्त के रिक्त पद

15. (क्र. 1155) डॉ. रमन सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के कुल कितने पद स्वीकृत हैं ? (ख) स्वीकृत पदों के विरुद्ध कितने सहायक आयुक्त कार्यरत हैं ? (ग) किन-किन जिलों में सहायक आयुक्त के पद रिक्त हैं ? (घ) किन-किन जिलों में सहायक आयुक्त के पदों पर उनसे कनिष्ठ अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रभार दिया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में विभाग अंतर्गत सहायक आयुक्तों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 32 है. (ख) प्रदेश में विभाग अंतर्गत सहायक आयुक्तों के कुल स्वीकृत पदों के विरुद्ध 15 सहायक आयुक्त कार्यरत हैं. (ग) विभाग अंतर्गत जिला-दुर्ग, बालोद, कवर्धा, मुंगेली, जांजगीर-चांपा, कोरबा, जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, कांकेर, जगदलपुर, कोण्डागांव, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में सहायक आयुक्त का पद रिक्त है. (घ) विभाग अंतर्गत जिला मुंगेली में सुश्री शिल्पा साय, सहायक संचालक एवं जिला-दुर्ग में श्रीमती प्रियंवदा रामटेके, क्षेत्र संयोजक को सहायक आयुक्त का प्रभार दिया गया है.

जिला कांकेर में आपदा प्रबंधन से स्वीकृत राशि तथा कार्य

16. (क्र. 1195) श्री अनूप नाग : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आपदा प्रबंधन मद से जिला कांकेर को 01 जनवरी, 2018 से दिसंबर, 2020 तक कितनी राशि आबंटित की गई है ? कृपया वर्षवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांक “क” के अनुसार उक्त अवधि में जिला में प्राप्त राशि से कुल कितने व कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किए गए ? कृपया विकासखंडवार सूची उपलब्ध करावें ? (ग) स्वीकृत कार्यों की निर्माण एजेंसी कौन-कौन है ? स्वीकृत कार्यों में कौन-कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण हैं तथा कितनी राशि एजेंसी को भुगतान की गई है ? कृपया विकासखंडवार सूची उपलब्ध करावें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में कांकेर जिले को राज्य आपदा मोचन निधि से कार्यों की स्वीकृति हेतु कोई राशि आबंटित नहीं की गई है. (ख) कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया गया है. अतः विकासखंडवार सूची उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं है. (ग) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है.

प्रदेश के विभिन्न जिलों में राजस्व की प्राप्ति

17. (क्र. 1265) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जनवरी, 2021 तक वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) के तहत किस-किस जिले में कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति हुई ? कृपया वर्षवार एवं जिलेवार अलग-अलग जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में जनवरी, 2021 तक वर्षवार एवं जिलेवार राजस्व प्राप्ति की अलग-अलग जानकारी क्रमशः प्रपत्र “अ”, प्रपत्र “ब” एवं प्रपत्र “स” में † संलग्न है.

जिला रायपुर में राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन विभाग के अंतर्गत मृत्योपरांत सहायता राशि के लंबित प्रकरण

18. (क्र. 1266) श्री धनेन्द्र साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राष्ट्रीय आपदा एवं प्रबंधन विभाग द्वारा किस-किस प्रकार की घटनाओं में मृत्यु होने पर परिवार को कितनी-कितनी सहायता राशि प्रदान की जाती है ? (ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में रायपुर जिले में कितने परिवारों को सहायता राशि प्रदान की गई ? कितने आवेदकों के आवेदन लंबित है तथा प्रकरण लंबित होने के क्या कारण है ? लंबित आवेदकों का निराकरण कब तक कर दिया जावेगा.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा नैसर्गिक विपत्तियों के कारण एवं गड्ढे में गिरने से मृत्यु होने पर, सर्प, बिच्छू, गुहेरा या मधुमक्खी के काटने, नदी तालाब, बांध कुआं, नहर, नाला से डूबने से, अथवा नाव दुर्घटना, रसोई गैस का सिलेंडर फटने, खदान धसकने, लू, आग से जलने से मृत्यु हो जाने पर मृत व्यक्त के परिवार के निकटतम व्यक्ति/वारिस को रुपये 4.00 लाख देने का प्रावधान है तथा बस या अधिकृत अन्य पब्लिक ट्रान्सपोर्ट आदि नदी या पहाड़ी खड्ड में गिरने के कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर निकटतम व्यक्ति/वारिस को रुपये 2.00 लाख देने का प्रावधान है. (ख) पिछले 3 वित्तीय वर्षों में रायपुर जिले में 353 परिवारों को कुल राशि रुपये 20,17,50,000.00 सहायता राशि प्रदान की गई है. कोई आवेदन लंबित नहीं है. विस्तृत जानकारी देने का प्रश्न ही नहीं है.

जिला बस्तर में वनाधिकार पट्टों का वितरण

19. (क्र. 1355) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर अंतर्गत कुल कितने व्यक्तियों को वनाधिकार पट्टा दिये जाने हेतु पंजीकृत किया गया ? विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ख) कुल कितने लोगों को वनाधिकार पट्टा दे दिया गया है व कितने शेष है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बस्तर जिले में दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु 51053 दावे/आवेदन प्राप्त हुए हैं. विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	विकासखण्ड	व्यक्तिगत वन अधिकार हेतु प्राप्त आवेदनों/दावों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	जगदलपुर	8406
2.	लोहण्डीगुड़ा	1333
3.	दरमा	8544
4.	बास्तानार	987
5.	तोकापाल	5889
6.	बस्तर	14493
7.	बकावण्ड	11401
	योग	51053

(ख) जिले में दिनांक 31-01-2021 की स्थिति में 34586 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है. 302 दावे/आवेदन निरस्त किए गए हैं, 16165 प्रकरण विचाराधीन/शेष हैं.

रायगढ़ विधानसभा के जर्जर/अतिजर्जर स्कूल भवन हेतु भवन व्यवस्था

20. (क्र. 1386) श्री प्रकाश शंकराजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन विकासखण्डों में कितने स्कूल भवन जर्जर/अतिजर्जर हैं ? विकासखण्डवार जानकारी देवे. (ख) प्रश्नांक “क” अनुसार उक्त अतिजर्जर भवनों में नवीन भवन की स्वीकृति कब तक प्रदान की जावेगी ? (ग) प्रश्नांक “क” अनुसार उक्त अतिजर्जर भवनों में छात्र-छात्राओं के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विकासखण्ड पुसौर, रायगढ़ एवं बरमकेला में क्रमशः 6, 3 एवं 3 स्कूल भवन जर्जर है. (ख) समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा खेलगढ़िया योजना के तहत स्वीकृत राशि

21. (क्र. 1387) श्री प्रकाश शंकराजीत नायक : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रायगढ़ जिले में स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 2019-20 व 2020-21 में खेलगढ़िया योजनांतर्गत विभिन्न शालाओं में खेल सामग्री हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गयी ? विकासखण्डवार जानकारी देवे ? (ख) स्वीकृत राशि से खेल सामग्री खरीदने हेतु क्या-क्या दिशा-निर्देश जारी किये गये थे ? नियमानुसार खरीदी न करने वाले स्कूलों के प्रचारियों पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? कृत कार्यवाही से अवगत करावे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वर्ष 2019-20 में विभिन्न शालाओं में खेल सामग्री हेतु राशि रु. 25110000/- (रु. दो करोड़ इक्यावन लाख दस हजार रुपये मात्र) स्वीकृत की गई तथा वर्ष 2020-21 में प्रश्न दिनांक तक कोई राशि स्वीकृत नहीं की गई.(ख) निर्देश †† संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. नियमानुसार क्रय न करने की कोई शिकायत नहीं मिली. अतः कार्यवाही का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग में धान, खाद्य एवं बीज परिवहन हेतु भुगतान

22. (क्र. 1454) श्री अरुण वीरा : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2016 से 2020 तक सहकारी केन्द्रीय बैंक दुर्ग में धान, खाद्य एवं बीज परिवहन हेतु टेण्डर कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर को दिया गया ? वर्षवार जानकारी दें ? (ख) इस अवधि में कौन-कौन से ट्रांसपोर्टर को कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग द्वारा धान, खाद्य एवं बीज का परिवहन नहीं किया जाता. (ख) प्रश्नांश “क” के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

दुर्ग संभाग में कृषकों की भूमि अधिग्रहित का मुआवजा भुगतान

23. (क्र. 1455) श्री अरुण वीरा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि दुर्ग संभाग में वर्ष 2018, 2019 एवं 2020 तक कितने कृषकों की भूमि किस-किस प्रयोजन के लिये अधिग्रहित की गई ? कितने कृषकों को कितना मुआवजा भुगतान किया गया ? कितना शेष है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बैकुंठ यूनिट को चूना पत्थर उत्खनन हेतु आबंटित भूमि

24. (क्र. 1477) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बैकुंठ यूनिट को राज्य शासन द्वारा चूना पत्थर के उत्खनन हेतु कितनी भूमि प्रदान की गई ? रकबा, खसरा नंबर सहित जानकारी ग्रामवार उपलब्ध करावें. प्रदान की गई भूमि में से कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया ? अधिग्रहित भूमि की वर्तमान स्थिति से अवगत करावें ? (ख) क्या अधिग्रहित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर कंपनी द्वारा अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो प्राप्त शिकायतों का क्या मौखिक सत्यापन किया गया ? यदि हाँ, तो सत्यापन में क्या पाया गया एवं उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) रायपुर जिला अंतर्गत अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट बैकुंठ यूनिट को ग्राम बहेसर, टण्डवा तहसील तिल्दा के रकबा 237.003 हेक्टर क्षेत्र पर अवधि दिनांक 04-08-1999 से 31-03-2030 तक एवं ग्राम बहेसर, तुलसी तहसील तिल्दा के रकबा 74.843 हेक्टर क्षेत्र पर अवधि दिनांक 30-09-2002 से 29-09-2032 तक मुख्य खनिज चूना पत्थर का खनिज पट्टा स्वीकृत है. उक्त स्वीकृत क्षेत्र के रकबा 237.003 हेक्टर एवं 74.843 हेक्टर में से 71.844 हेक्टर भूमि अधिग्रहित हुई है. उक्त दोनों खनिज पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य जारी है. ग्राम खरोरा एवं केसला चूना पत्थर ब्लॉक के रकबा 108.335 हेक्टर क्षेत्र पर खनिज पट्टा स्वीकृति हेतु शासन द्वारा आशय पत्र जारी किया गया है. उक्त क्षेत्र में से रकबा 51.00 हेक्टर कंपनी द्वारा क्रय किया गया है. खनन पट्टा प्राप्त नहीं होने के कारण खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है. स्वीकृत खनिज पट्टा/आशय पत्र जारी क्षेत्र की ग्रामवार/खसरावार/रकबावार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र से पूर्व प्रश्नांश “क” में उल्लेखित खनिज पट्टा क्षेत्र मेसर्स सेन्युरी सीमेंट के नाम से दर्ज था. स्वीकृत क्षेत्र के बाहर ग्राम बहेसर के खसरा नंबर 125, 176 में अवैध उत्खनन की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 18-05-2010 को अवैध उत्खनन का प्रकरण दर्ज कर सक्षम न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट तिल्दा में परिवाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें दापिडक प्रकरण क्रमांक 75/2011 दिनांक 13-05-2011 प्रकरण में कार्यवाही विचाराधीन है.

जिला बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत लवन उप तहसील के पटवारी हल्का नंबर 36 में गिरदावरी की जांच

25. (क्र. 1483) श्री प्रमोद कुमार शर्मा : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में लवन उप तहसील के पटवारी हल्का नंबर 36 में कितने किसानों का गिरदावरी जांच किया गया तथा कितनों को पड़त भूमि रकबा काटा गया ? वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक की जानकारी दें ? (ख) लवन उप तहसील के पटवारी हल्का नंबर-36 में वर्ष 2018-19 से जनवरी, 2021 तक कितने किसानों का नामांतरण किया गया वा कितने किसानों का नामांतरण बचा हुआ है ? (ग) प्रश्नांश “ख” के तहत वहां पदस्थ पटवारी के खिलाफ अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हाँ, तो इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के लवन तहसील के पटवारी हल्का नंबर 36 में निम्नांकित किसानों का गिरदावरी जांच किया गया एवं पड़त भूमि रकबा काटा गया वर्षवार जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	किसानों की संख्या जिसका गिरदावरी जांच किया गया	पड़त का रकबा हे. में जो काटा गया
2018-19	2318	46.294
2019-20	2390	50.954
2020-21	2438	54.255

(ख) लवन तहसील के पटवारी हल्का नंबर 36 में वर्ष 2018-19 से जनवरी 2021 तक नामांतरण की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

वर्ष	दर्ज नामांतरण	निराकृत की संख्या	कैफियत
2018-19	199	199	-
2019-20	103	103	-
2020-21	25	-	ऑनलाईन प्रक्रिया में

(ग) प्रश्नांश 'ख' के तहत पदस्थ पटवारी श्री दीपक कुमार देवांगन के खिलाफ अनियमितता की कोई शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुआ है.

बेलतरा विधान सभा के भवन विहीन स्कूलों हेतु भवन व्यवस्था

26. (क्र. 1534) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाई स्कूल व हायर सेकेंडरी स्कूल है ? प्रश्नांश अनुसार कितने स्कूल भवन विहीन हैं ? वर्गवार, नामवार, स्कूलों की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) बिलासपुर जिला के प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, हाईस्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों, लिपिक व मृत्यु के कितने पद स्वीकृत हैं ? दिनांक 04-01-21 तक कितने पद भरे हुए हैं कितने पद रिक्त हैं वर्गवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बेलतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 135 प्राथमिक विद्यालय, 68 पूर्व माध्यमिक विद्यालय, 21 हाईस्कूल व 13 हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित है. शासकीय हाईस्कूल गोदईया एवं शासकीय हाईस्कूल मदनपुर 02 शालाएं भवन विहीन है. (ख) जानकारी निम्नानुसार है.

क्रमांक	पद नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	व्याख्याता	1990	1926	64
2.	प्रधान पाठक पूर्व माध्यमिक शाला	514	215	299
3.	प्रधान पाठक प्राथमिक शाला	1106	336	770
4.	शिक्षक	2467	2111	356
5.	सहायक शिक्षक	4752	4265	487
6.	लिपिक सहायक ग्रेड-2	148	135	13
7.	लिपिक सहायक ग्रेड-3	263	222	41
8.	मृत्यु	999	472	527

जिला बिलासपुर के मोपका धान संग्रहण केन्द्र की भूमि

27. (क्र. 1535) **श्री रजनीश कुमार सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या बिलासपुर जिले के मोपका धान संग्रहण केन्द्र को बंद कर दिया गया है ? यदि हां तो कब और क्यों ? (ख) क्या उपरोक्त संग्रहण केन्द्र के लिए अधिग्रहित सभी जमीन शासकीय है ? यदि हां, तो जमीन का खसरा नम्बर व रकबा बतायें ? (ग) क्या उपरोक्त संग्रहण केन्द्र में निजी जमीन भी है ? यदि हां तो नाम, खसरा, नम्बर, रकबा सहित जानकारी दें ? क्या इस विषय में शिकायत की गई है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बिलासपुर जिले के मोपका धान संग्रहण केन्द्र में गतवर्ष का धान शेष होने तथा वर्ष 2020-21 में धान भंडारण की कार्य योजना नहीं होने के कारण माह दिसम्बर 2020 से भंडारण कार्य बंद कर दिया गया है. (ख) धान संग्रहण केन्द्र मोपका के लिए अधिग्रहित जमीन शासकीय है, जिसका खसरा नंबर 992/3 एवं रकबा 2.02 हेक्टेयर है. (ग) धान संग्रहण केन्द्र मोपका में निजी जमीन नहीं है. अतएव शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

प्राथमिक कृषि सहकारी समिति द्वारा कर्मचारियों की नियुक्ति में अनियमितता

28. (क्र. 1592) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 4-2-21 की स्थिति में कुल कितनी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति गठित है ? इनमें कितनी पुरानी व कितनी नवीन है ? (ख) क्या यह सही है कि पंजीयक सहकारी संस्था के परिपत्र क्र. 4456 दिनांक 21-12-2020 में उल्लेख है कि पूर्ववर्ती व नवीन गठित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में अधिकारियों, पदाधिकारियों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन कर कर्मचारियों की भर्ती की शिकायत/सूचना प्राप्त हुई है तथा उक्त अनुसार अनियमित एवं आपत्तिजनक नियुक्तियों का सम्बंधित संयुक्त/उप/सहायक पंजीयक द्वारा अनुमति अनुमोदन किया जा रहा है जो अनुचित है ? यदि हां, तो 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 4-2-21 तक कहां-कहां किस-किस के द्वारा नियमों को उल्लंघन कर किन-किन पदों पर नियुक्तियां की गई है व किन-किन अधिकारियों द्वारा इसका अनुमोदन किया गया है, या अनुमति दे गई है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार परिपत्र जारी होने के पश्चात प्रा. कृ. सा. स. समितियों में कहां-कहां व किन-किन पदों पर भर्ती की गई है और इसके अनुमति किससे ली गई है ? जिलेवार जानकारी दें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) प्रदेश में दिनांक 04-02-2021 की स्थिति में कुल 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति गठित है. इनमें से 1333 पुरानी व 725 नवीन समितियां हैं. (ख) जी हां. शेष प्रश्नांश की जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. (ग) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है.

अतिथि शिक्षक के रूप में विद्या मितान की नियुक्ति

29. (क्र. 1593) **श्री धरमलाल कौशिक** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिथि शिक्षकों के रूप में विद्या मितान की नियुक्ति की गई थी ? यदि हां, तो जिलेवार कितने विद्या मितान को अतिथि शिक्षक के रूप में रखा गया था ? (ख) क्या यह सही है कि अतिथि शिक्षक के लिए B-Ed की योग्यता जरूरी है ? यदि हां, तो कोण्डागांव व प्रदेश के अन्य जिले में ऐसे कितने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिन्होंने B-Ed नहीं किया था ? जिलेवार संख्या बतावें ? इसके लिए दोषी कौन हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) क्या यह सही है कि स्कूल शिक्षा मंत्री जी ने अपने पत्र क्रमांक 106/20, दिनांक 3 फरवरी 2019 को सचिव स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र प्रेषित कर उल्लेख किया था कि जन घोषणा पत्र अनुसार विद्या मितान को शिक्षक मर्ज वर्ग 01 में मर्ज करने हेतु कार्यवाही करें ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वित्तीय वर्ष 2019-20 में अतिथि शिक्षकों के रूप में विद्यामितान की नियुक्ति नहीं की गई है, बल्कि थाला प्रबंधन एवं विकास समिति द्वारा अतिथि शिक्षकों के माध्यम से शैक्षणिक व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये थे. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जी हां. कोण्डागांव जिले में 18 अतिथि शिक्षकों की सेवाएं स्कूल प्रबंधन समिति द्वारा ली गयी है, शेष जिलों की जानकारी निरंक है. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है. दोषियों के संबंध में कलेक्टर, कोण्डागांव से प्रतिवेदन मांगा गया है. (ग) जी हां. परीक्षण करने पर पाया गया कि नियमानुसार मर्ज कराना संभव नहीं है.

मध्याह्न भोजन अंतर्गत कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर का नियमितकरण

30. (क्र. 1603) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जन घोषणा पत्र में घोषित अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने के तहत स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत मध्याह्न भोजन ऑपरेटरों (दैनिक वेतन भोगी) को कब तक नियमित किया जायेगा ? (ख) क्या विभाग द्वारा पत्र जारी कर उक्त ऑपरेटरों को नियमित करने हेतु संपूर्ण जानकारी जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से मंगाई गई थी ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) मध्याह्न भोजन ऑपरेटरों (दैनिक वेतन भोगी) को नियमितकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है. (ख) जानकारी संकलित कर ली गई है.

जिला बिलासपुर में भूमि सीमांकन के प्राप्त आवेदन

31. (क्र. 1604) **डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत विभिन्न तहसीलों में अप्रैल 2018 से दिसंबर, 2020 तक कितने आवेदन भूमि सीमांकन हेतु प्राप्त हुए हैं ? तहसीलवार जानकारी देवे ? (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार प्राप्त आवेदनों में कितने आवेदनों पर सीमांकन किया गया और कितने आवेदन लंबित है ? लंबित होने का क्या कारण है ? वर्ष एवं तहसील अनुसार जानकारी देवे ? (ग) लंबित आवेदनों को कब-कब निराकरण करते हुए सीमांकन किया जाएगा ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) बिलासपुर जिला अंतर्गत अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक सीमांकन के 5049 प्रकरण प्राप्त हुए. तहसीलवार जानकारी क्रमशः बिलासपुर-2254, बिल्हा-82, मस्तूरी-748, तखतपुर-1310, सकरी-211, कोटा-88, रतनपुर-278, बेलगहना-78 है. (ख) प्रश्नांश “क” अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों के संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी निम्नानुसार है :-

तहसील का नाम	समयावधि	दर्ज	निराकृत	लंबित
बिलासपुर	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	2245	1734	520
बिल्हा	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	82	55	27
मस्तूरी	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	748	682	66
तखतपुर	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	1310	1210	100
सकरी	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	211	52	159
कोटा	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	88	81	7
रतनपुर	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	278	214	64
बेलगहना	अप्रैल 2018 से दिसंबर 2020 तक	78	73	5
महायोग		5049	4101	948

(ग) लंबित प्रकरणों का यथाशीघ्र निराकरण करने की कार्यवाही की जावेगी.

धमतरी विधानसभा के अंतर्गत पंजीकृत ट्रस्ट

32. (क्र. 1635) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 04-02-2021 की स्थिति में कुल कितने ट्रस्ट का पंजीकृत है ? ट्रस्टी का नाम, पंजीयन तिथि, ट्रस्ट का उपयोग, ट्रस्ट की संपत्ति एवं ट्रस्टी के अध्यक्ष/सचिव की जानकारी एवं उक्त ट्रस्ट कितने वर्षों के लिये पंजीकृत हैं ? (ख) उक्त किसी ट्रस्ट के संबंध में विवाद या शिकायत वर्ष 2020 में प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो शिकायत की जांच हुई है यदि हां, तो उक्त शिकायत में क्या कार्यवाही की गई है.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) अनुविभाग धमतरी अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 15 ट्रस्ट पंजीकृत है. ट्रस्टी का नाम एवं अन्य जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है. (ख) उक्त किसी ट्रस्ट के संबंध में विवाद या शिकायत वर्ष 2020 में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) धमतरी के कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है.

धमतरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा लीज में आबंटित जमीन

33. (क्र. 1636) **श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि धमतरी विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2021 अंतर्गत राजस्व विभाग के द्वारा निजी व्यक्तियों को लीज में आबंटित जमीन की उपयोगिता की जांच की गई है ? यदि हां, तो अन्य उपयोग में पाये जाने पर किनके-किनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? कितने लीजधारियों की अवधि समाप्त हो गई ? क्या नवीनीकरण का प्रावधान है यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : धमतरी विधानसभा क्षेत्र के नजूल नगर धमतरी क्षेत्र अंतर्गत, नजूल विभाग द्वारा प्रश्नाधीन वर्ष 2019-20 से जनवरी, 2021 अंतर्गत निजी व्यक्तियों को लीज में आबंटित जमीन की उपयोगिता की जांच की गई है। जांच के दौरान आवासीय से व्यवसायिक प्रयोजन में उपयोग करने वाले कुल 07 लीज पत्रधारियों के विरुद्ध अर्थदण्ड रुपये 1,76,014/- आरोपित कर वसूली की गई। नाम व पते नीचे उल्लेखित है।

- (1) श्री प्रेमचंद राखेचा/मूलचंद राखेचा सदर बाजार प्र. क्र. 4 अ/20 (1)/19/20 अर्थदण्ड 5810/1.2.21
- (2) श्री लक्की वाधवानी पिता महेश वाधवानी रिसाईपारा प्र. क्र. 60 अ/20(1)/19/20 अर्थदण्ड 65407
- (3) रीटा वाधवानी पिता महेश रिसाईपारा प्र. क्र. 58 अ/20(1)/19/20 अर्थदण्ड 35394
- (4) महेश वाधवानी पिता मूलचंद वाधवानी रिसाईपारा प्र. क्र. 59 अ/20 (1)/19/20 अर्थदण्ड 39059
- (5) श्री रामचंद पिता भगवान राव जाधव सदर बाजार प्र. क्र. 9 अ/20(1)-19/20 अर्थदण्ड 1944
- (6) अध्यक्ष, तेली समाज छोटी मस्जिद आमपारा प्र. क्र. 8 अ/20 (1)-अर्थदण्ड 6450
- (7) लूनकरण पिता सुगनमल मराठापारा प्र. क्र. 42 अ/20 (1)-19/20 अर्थदण्ड 21950

कुल 5,371 लीज पट्टाधारियों में से 1428 पट्टाधारियों की लीज अवधि समाप्त हो गई है। नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। पट्टा समाप्ति तिथि से आगामी 30 वर्षों के लिए नवीनीकरण किया जाता है। पट्टा समाप्ति हो चुके लीज पट्टाधारियों को नवीनीकरण कराने हेतु सूचना पत्र तामिल कराई गई है।

छत्तीसगढ़ में विद्या मितान का नियमितकरण

34. (क्र. 1639) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 30-01-2021 के स्थिति में छत्तीसगढ़ में कितने विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) कार्यरत है ? क्या इनको नियमित करने की शासन की कोई योजना है ? (ख) अतिथि शिक्षकों को शासन द्वारा कितना-कितना मानदेय/वेतन किस मद से प्रदान किया जाता है ? नियमितकरण करने से शासन को कितना वित्तीय भार आयेगा ? (ग) क्या शासन द्वारा विद्या मितानों को नियमित करने की घोषणा की गयी थी ? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में नियमितकरण हेतु क्या कार्यवाही की गयी है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 30-01-2021 की स्थिति में शालाएं बंद होने के कारण कोई अतिथि शिक्षक कार्यरत नहीं थे। इनका नियमितकरण करने हेतु शासन की कोई योजना नहीं है। (ख) अतिथि शिक्षकों को शासन द्वारा 18000/- प्रतिमाह मानदेय का भुगतान किया जाता है। शोशाष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है। (ग) जी नहीं। शोशाष का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

EWS प्रमाण पत्र जारी करने की पात्रता

35. (क्र. 1640) **श्री शिवरतन शर्मा** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य में ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है ? यदि हां, तो जिला बलौदाबाजार भाटापारा में कितने ईडब्ल्यूएस (EWS) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन लगाये गये हैं कितने पूर्ण कर दिये गये हैं तथा कितने लंबित है ? (ख) ईकोनामिक वीकर प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु किनको पात्रता है तथा किनको नहीं तथा इसे बनाने के नियम क्या है ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जी हां। जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में ई.डब्ल्यू.एस. (EWS) प्रमाण पत्र जारी करने हेतु कुल-46 आवेदन पत्र लगाये गये हैं, जिसमें से 43 आवेदन पत्र का निराकरण किया जा चुका है तथा 03 आवेदन पत्र लंबित है। (ख) ईकोनामिक वीकर प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु पात्रता निम्नानुसार है :-

1. आवेदक परिवार के पास 5 एकड़ (8 बीघा या 02 हेक्टेयर) से कम कृषि भूमि होनी चाहिए।
2. परिवार का 1000 वर्गफीट से कम आवासीय प्लैट हो।
3. शहरी क्षेत्र वाले परिवारों के पास 100 वर्ग गज से अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए।

4. ई.डब्लू.एस. (EWS) प्रमाण पत्र के लिए पात्रता परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए.
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC) के नागरिक ई.डब्लू.एस. (EWS) सर्टिफिकेट का लाभ नहीं ले सकेंगे. छ. ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 13-5/2019/आ. प्र./1-3, दिनांक 29-5-2019 में दिये गये निर्देशानुसार ई.डब्लू.एस. (EWS) प्रमाण पत्र जारी किया जाता है.

जिला राजनांदगांव में आदिम जाति कल्याण विभाग में स्वीकृत एवं कार्यरत पद

36. (क्र. 1643) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिले के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक, चौकीदार, पानीवाला, रसोईया के कितने-कितने पद स्वीकृत है ? (ख) प्रश्नांश “क” में स्वीकृत पद के विरुद्ध कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? कितने पद भरे एवं कितने पद रिक्त हैं ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) राजनांदगांव जिले के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत अधीक्षक, चौकीदार, पानीवाला, रसोईया के निम्नानुसार पद स्वीकृत है :-

क्र.	पद का नाम	स्वीकृत
1.	अधीक्षक	154
2.	चौकीदार	172
3.	पानीवाला	171
4.	रसोईया	173

(ख) प्रश्नांक “क” में स्वीकृत पद के विरुद्ध भरे, रिक्त पदों की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पद का नाम	कार्यरत/भरे पद	रिक्त पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अधीक्षक	65	89
2.	चौकीदार	171	01
3.	पानीवाला	169	02
4.	रसोईया	171	02

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में शाला भवन निर्माण की स्वीकृति

37. (क्र. 1644) **श्रीमती छन्नी चन्दू साहू** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 31 जनवरी, 2021 की स्थिति में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कौन-कौन से शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन विहीन/जर्जर स्थिति में हैं ? विकासखण्डवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश “क” में कितने भवन निर्माण की स्वीकृति मिली है तथा वर्तमान में कार्य की क्या स्थिति है ? जर्जर भवनों के मरम्मत एवं नवीन भवन हेतु स्वीकृति कब तक प्राप्त होगी ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है. (ख) कोई स्वीकृति नहीं दी गई है. शोषांश का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

अनु. जाति एवं जनजाति उपयोगना में बजट उपलब्धता तथा व्यय

38. (क्र. 1649) **श्री पुन्नूलाल मोहले** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में आदिवासी उपयोगना क्षेत्र व अनुसूचित जाति उपयोगना क्षेत्र में कितना-कितना बजट उपलब्ध कराया गया था ? (ख) उक्त उपलब्ध कराये गये बजट में विभागों द्वारा दिनांक 04-1-21 तक कितना प्रतिशत व्यय किया गया है ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 व 2020-21 में आदिवासी उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में उपलब्ध बजट की जानकारी निम्नानुसार है :-

(राशि लाख में)			
क्रमांक	वर्ष	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018-19	2293267.143	777255.440
2.	2019-20	1961964.086	680508.020
3.	2020-21	2031019.990	670450.720

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्रमांक	वर्ष	आदिवासी उपयोजना	अनुसूचित जाति उपयोजना
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	2018-19	75.61%	74.74%
2.	2019-20	82.66%	77.01%
3.	2020-21	50.35%	53.63%

मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों स्वीकृत/रिवत पद

39. (क. 1650) श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगेली विधानसभा क्षेत्र में कितने प्राथमरी स्कूल, मिडील स्कूल, हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है, कितने पक्के भवन में संचालित हैं ? कितने भवन जर्जर हैं एवं कितने स्कूल भवन विहीन हैं ? (ख) उक्त स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं ? इनमें से कितने पद भरे हैं एवं कितने रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भरा जावेगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	शाला का स्तर	संचालित शालाएं	पक्के भवन	जर्जर भवन	भवन विहीन
1.	प्राथमिक	266	241	25	0
2.	पूर्व माध्यमिक	108	101	7	0
3.	हाईस्कूल	27	23	0	4
4.	हायर सेकेण्डरी	28	12	0	12

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	शाला का स्तर	शिक्षकों की जानकारी		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिवत
1.	प्राथमिक	1258	829	429
2.	पूर्व माध्यमिक	677	507	170
3.	हाईस्कूल	148	96	52
4.	हायर सेकेण्डरी	351	285	66

रिवत पदों को भरने की निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

अतिथि शिक्षकों को विद्यामितान के रूप में लेने के निर्देश

40. (क्र. 1656) **श्री डमरूधर पुजारी** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि प्रदेश में विद्यामितानों को प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक के रूप में लेने निर्देश दिए गए थे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जी हाँ.

एल. बी. संवर्ग के शिक्षकों की पदोन्नति

41. (क्र. 1670) **श्रीमती संगीता सिन्हा** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित शासकीय शालाओं में प्रधानपाठक प्राथमिक शाला, प्रधानपाठक उच्च प्राथमिक शाला, शिक्षक, व्याख्याता के स्वीकृत एवं रिक्त पदों की जिलेवार जानकारी प्रदान करें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : जानकारी † संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

जिला जांजगीर-चांपा में कोटवारी भूमि का विक्रय

42. (क्र. 1684) **श्री नारायण चंदेल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में किस-किस तहसील में कितनी कोटवारी भूमि कोटवारों या उसके परिवारों को दी गई है ? कृपया तहसीलवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्न “क” के संदर्भ में वर्तमान में कितनी भूमि को कोटवारों या उनके परिवारों के द्वारा अन्य किसी को बिक्री की गई है ? शासन द्वारा उक्त भूमि को विक्रय करने का नियम व मापदण्ड क्या है ? (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में उक्त जिले में कितनी कोटवारी भूमि को किस दर पर किसकी अनुमति से कब-कब विक्रय किया गया है व किन-किन व्यक्तियों ने क्रय किया है ? कृपया तहसीलवार सम्पूर्ण जानकारी दें ? (घ) क्या उक्त भूमि को नियम के विरुद्ध विक्रय किया गया है ? यदि हाँ, तो इस हेतु कौन दोषी है ? दोषियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? कृपया तहसीलवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जांजगीर-चांपा जिले में वर्तमान में कुल 14 तहसीलों में छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 183 के तहत ग्राम सेवक को सेवा भूमि प्रदान की गई है. उक्त धारा के तहत ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति, उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा, जबकि वह ऐसी भूमि को कृषि भिन्न प्रयोजनों के लिए व्यपवर्तित कर देता है. ऐसा संव्यवहार, जिसके द्वारा कोई ग्राम सेवक अपनी सेवा-भूमि में के अपने हित को विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे द्वारा या अन्यथा एक वर्ष से अनाधिक कालावधि तक के उप-पट्टे द्वारा के सिवाए अंतरित करने का प्रयत्न करता है, शून्य होगा. यदि ऐसी भूमि को धारक मर जाए, पद त्याग दे या विधि पूर्वक पदच्युत कर दिया जाए तो वह भूमि उसके पद उत्तरवर्ती को संकांत हो जाएगी तत्पश्चात् ही उसके परिवार को दी जा सकती है. सेवारत कोटवारों को दी गई सेवा-भूमि तहसीलवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (ख) जिला जांजगीर-चांपा में क्रय-विक्रय की गई भूमियों की जानकारी तहसीलवार पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 183 के तहत ग्राम सेवक को सेवा भूमि प्रदान की गई है. उक्त धारा के तहत ग्राम सेवक के रूप में सेवा करने की शर्त पर भूमि धारण करने वाला कोई व्यक्ति, उस दशा में ऐसी भूमि का हकदार नहीं रह जाएगा, जबकि व ऐसी भूमि को किसी भिन्न प्रयोजनों के लिये व्यपवर्तित कर देता है. ऐसा संव्यवहार जिसके द्वारा कोई ग्राम सेवक अपनी सेवा-भूमि में के अपने हित को विक्रय, दान, बंधक, उप-पट्टे द्वारा या अन्यथा एक वर्ष से अनाधिक कालावधि तक के उप-पट्टे द्वारा के सिवाए अंतरित करने का प्रयत्न करता है, शून्य होगा. यदि ऐसी भूमि का धारक मर जाए, पद त्याग दे या विधि पूर्वक पदच्युत कर दिया जाए तो वह भूमि उसके पद उत्तरवर्ती को संकांत हो जाएगी तत्पश्चात् ही उसके परिवार को दी जा सकती है. (ग) प्रश्न “क” व “ख” के संदर्भ में जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट पर है. (घ) इस विभाग के पत्र क्र. एफ 10-11/2000/सात/समन्वय रायपुर दिनांक 21-04-2003 द्वारा कोटवारों को वर्ष 1950 के पूर्व मालगुजार/प्रोपाईटर्स द्वारा दी गई भूमि का भूमिस्वामी हक दिया जाकर अभिलेख में दर्ज करने के निर्देश दिये गये थे. राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-11/2000/आ. प्र./पार्ट-2 दिनांक 10-03-2014 द्वारा भूमि स्वामी हक पर प्रदत्त भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर की अनुमति से नहीं किये जाने तथा कोटवारों को प्रदान की गई भूमि के अभिलेखों में “अहस्तांतरणीय” शब्द लिखे जाने एवं कोटवारों द्वारा अवैधानिक रूप से विक्रय की गई भूमि के विक्रय विलेख को भी व्यवहार न्यायालय में वाद दायर कर निरस्त किये जाने के निर्देश दिये गये थे. जिसके संबंध में की गई कार्यवाही की जानकारी जिला जांजगीर-चांपा से मांगी गई है.

स्कूलों में सामग्री क्रय मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु आबंटित राशि

43. (क्र. 1685) श्री नारायण चंदेल : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जांजगीर-चाम्पा, जिले में वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में दिनांक 05-02-21 तक हायर सेकेण्ड्री स्कूल, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्रायमरी स्कूल के मरम्मत व रख-रखाव अतिरिक्त थाला भवन, किचन शेड निर्माण, कम्प्यूटर एवं फर्नीचरों व अन्य सामग्री के लिये कितनी-कितनी राशि शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि की जानकारी † संलग्न परिशिष्ट में दर्शित है.

इंजीनियरिंग छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान

44. (क्र. 1688) श्री धर्मजीत सिंह : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत किस-किस दर पर छात्रवृत्ति दिए जाने का प्रावधान है ? (ख) कंडिका “क” के योजना में वर्ष 2018, 2019, 2020 में कितने-कितने विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया ? (ग) क्या यह सही है कि कंडिका “क” की छात्रवृत्ति वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 भुगतान के लिए लंबित है, यदि हां तो क्यों, कब तक भुगतान किया जाएगा ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जानकारी निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए

छात्रावासी	गैर छात्रावासी
रु. 1200 प्रति माह	रु. 550 प्रति माह

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए

अध्ययन का वर्ष	(दर प्रति माह रुपये में)			
	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
	छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
प्रथम वर्ष	210	220	100	110
द्वितीय वर्ष से चतुर्थ वर्ष तक	210	225	100	115

(ख) जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ष	लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या
2018	14,731
2019	13,803
2020	11,605

(ग) जी हां, वर्ष 2019 के 08 विद्यार्थियों एवं वर्ष 2020 के 84 विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाईन पोर्टल में बैंक खाता नम्बर/आई.एफ.एस.सी.कोड गलत प्रविष्टि तथा वर्ष 2021 के 11,044 के विद्यार्थियों के भुगतान की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण लंबित है. वर्ष 2019 एवं वर्ष 2020 की लंबित छात्रवृत्ति का जिलों से विद्यार्थियों के बैंक खाते की सही जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् भुगतान किया जावेगा. वर्ष 2021 का भुगतान प्रक्रियाधीन है. अतएव निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

छ. ग. पाठ्य पुस्तक निगम में छ. ग. भण्डार क्रय नियम के पालन हेतु जारी निर्देश

45. (क्र. 1689) **श्री धर्मजीत सिंह** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा के अधीनस्थ छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम सार्वजनिक उपक्रम/मंडल की श्रेणी में आता है ? यदि हां तो तत्संबंधी अधिसूचना क्रमांक व दिनांक क्या है ? (ख) कंडिका “क” के निगम में छ. ग. भण्डार क्रय नियम लागू करने के लिए कब दिशा निर्देश जारी किया गया ? नहीं तो क्यों ? (ग) क्या कंडिका “क” के दिशा निर्देश को छ. ग.पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा कार्यकारिणी की बैठक में अनुमोदित किया गया, यदि हां तो कब नहीं तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) छ. ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ-10-12/2004/20 रायपुर, दिनांक 05-08-2004 के द्वारा छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम का पंजीयन छ. ग. सोसायटी रजिस्ट्रार अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन 11-08-2004 को किया गया है. पंजीयन क्रमांक छ. ग. राज्य-677 है. (ख) पाठ्य पुस्तक निगम शासन द्वारा बनाए गए नियमों से आबद्ध है. राज्य शासन का स्कूल शिक्षा विभाग सोसायटी एवं उसके द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं के लिए प्रशासकीय विभाग है. अतः छ. ग. शासन द्वारा निर्धारित एवं प्रचलित भण्डार क्रय नियम के अनुसार छ. ग. पाठ्यपुस्तक निगम में सामग्री क्रय का कार्य किया जाता है पृथक से निर्देश की आवश्यकता नहीं है. (ग) उपरोक्त के अनुसार आवश्यकता नहीं.

जांजगीर चाम्पा जिला में बटांकन, नामांतरण सीमांकन एवं डायवर्सन के प्राप्त प्रकरण

46. (क्र. 1696) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जांजगीर चांपा अंतर्गत राजस्व विभाग में कुल कितने बटांकन, नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्सन के प्रकरण वर्ष 2019 एवं 2020 में प्राप्त हुए ? (ख) उक्त प्रकरणों में कुल कितने प्रकरणों का निराकरण हो पाया है, कितने मामले लंबित हैं ? लंबित मामलों का निराकरण कब तक हो पायेगा. ब्लॉकवार विस्तृत जानकारी दें.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. (ख) जानकारी परिशिष्ट में † संलग्न है. लंबित मामलों का यथा शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा.

जिला जांजगीर चाम्पा के बालक/बालिका छात्रावासों में रेफ्रीजरेटर खरीदी

47. (क्र. 1697) **श्रीमती इन्दू बंजारे** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जांजगीर चाम्पा जिले के बालक/बालिका छात्रावासों में सन् 2019-20 तथा 2020-21 में कितने-कितने लागत से रेफ्रीजरेटर खरीदा गया है ? (ख) रेफ्रीजरेटर खरीदी के लिये किस-किस तारीख को निविदा निकाली गयी है, किस फर्म के द्वारा खरीदी नहीं किया गया है ? (ग) कितने छात्रावासों में रेफ्रीजरेटर पहुंचाया गया है व कितने छात्रावासों में पहुंचाना बाकी है ? ब्लॉकवार जानकारी दें.

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) जिला जांजगीर-चाम्पा में वर्ष 2019-20 में बालक/बालिका छात्रावासों में रेफ्रीजरेटर की खरीदी नहीं की गई है. वर्ष 2020-21 में छात्रावासों के लिये लागत राशि रु. 32,990/- प्रति नम की मान से 90 रेफ्रीजरेटर की खरीदी नहीं की गई है. (ख) रेफ्रीजरेटर खरीदी के लिए निविदा नहीं निकाली गई है. सामग्री का क्रय जेम के माध्यम से किया गया है. फर्म मेसर्स टुटेजा इंटर प्राइजेस, तेलीपारा बिलासपुर से खरीदी किया गया है. (ग) कुल 90 छात्रावासों में रेफ्रीजरेटर पहुंचाया गया है. किसी भी छात्रावास में रेफ्रीजरेटर पहुंचाना शेष नहीं है. विकासखंडवार जानकारी †† संलग्न परिशिष्ट पर दर्शित है.

चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र में जमीन फटने से प्रभावित परिवार

48. (क्र. 1705) **डॉ. विनय जायसवाल** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चिरमिरी, नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत हल्दीबाड़ी में जमीन फटने से कितने परिवार प्रभावित हुए ? (ख) प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन मद से क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई है ? यदि नहीं, तो कब तक कराई जायेगी.

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) नगर निगम चिरमिरी क्षेत्रान्तर्गत हल्दीबाड़ी तहसील चिरमिरी जिला कोरिया में जमीन

फटने से कुल 18 परिवार प्रभावित हुए हैं. (ख) प्रभावित परिवारों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार कुल 65,600.00 रुपये की आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान कर दी गई है. आर्थिक अनुदान सहायता प्रदान करने हेतु कोई परिवार शेष नहीं है.

बस्तर संभागान्तर्गत अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

49. (क्र. 1708) श्री बघेल लखेश्वर : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बस्तर संभागान्तर्गत 1 अप्रैल, 2020 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के कुल लंबित प्रकरण व वर्ष 2020-21 में अनुकंपा नियुक्ति हेतु कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में निराकृत प्रकरणों की संख्या सहित अद्यतन स्थिति में लंबित प्रकरणों की स्थिति बतावें ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) बस्तर संभागान्तर्गत 01 अप्रैल 2020 की स्थिति में अनुकंपा नियुक्ति के 70 प्रकरण लंबित हैं तथा वर्ष 2020-21 में 119 आवेदन प्रश्न दिनांक तक प्राप्त हुए हैं. (ख) प्रश्नांश (क) के परिपेक्ष्य में निराकृत प्रकरणों की संख्या 83 एवं लंबित प्रकरणों की संख्या 106 है.

जिला बस्तर अंतर्गत राजस्व न्यायालय में लंबित राजस्व प्रकरण

50. (क्र. 1709) श्री बघेल लखेश्वर : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बस्तर अंतर्गत वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दुरुस्तीकरण, नामांतरण, नवीनीकरण के कुल प्राप्त आवेदन एवं निराकरण की स्थिति बतावें ? (ख) क्या लंबित प्रकरणों के लिए कोई समय-सीमा तय की गई है ? तो कृपया बतावें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : (क) जिला बस्तर में वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में दुरुस्तीकरण, नामांतरण तथा नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन का निराकरण की स्थिति निम्नानुसार है :-

विषय	वर्ष	प्राप्त आवेदन	निराकृत	लंबित
नामांतरण	2018-19	1107	795	312
	2019-20	1067	687	380
	2020-21	640	267	373
	योग	2814	1749	1065
दुरुस्तीकरण	2018-19	725	551	174
	2019-20	699	480	219
	2020-21	395	168	227
	योग	1819	1199	620
नवीनीकरण	2018-19	692	582	110
	2019-20	423	124	299
	2020-21	359	173	186
	योग	1474	879	595

(ख) नामांतरण, दुरुस्तीकरण तथा नवीनीकरण किये जाने हेतु लोक सेवा गारंटी में समय-सीमा निर्धारित है. तदनुसार आवेदन पत्र का निराकरण किया जा रहा है.

चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र के शासकीय शालाओं में स्वीकृत अनुसार स्वीकृत/रिक्त पद

51. (क्र. 1712) **श्री राजमन बेजाम** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 04-02-2021 तक विधानसभा क्षेत्र चित्रकोट में कितने प्राथमिक शाला, माध्यमिक शाला, हाईस्कूल और हायर सेकेण्डरी शालायें संचालित हैं ? (ख) उक्त संचालित शालाओं में सेटअप के अनुसार स्वीकृत / रिक्त पद की जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1,2,3 एवं 4 में दर्शित है.

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आश्रम/छात्रावासों में सामग्री क्रय

52. (क्र. 1715) **श्री चंदन कश्यप** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला नारायणपुर, कोण्डागांव एवं बस्तर जिले में नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2020-21 में दिनांक 04-02-2021 तक आश्रम/छात्रावासों में क्या-क्या सामग्री किस-किस संस्था/फर्म से कितनी-कितनी मात्रा में क्रय की गई ? कितना भुगतान किया गया ? सामग्री का मूल्यांकन सत्यापनकर्ता कौन थे ? क्या पाया गया है ? (ख) प्रश्नांश "क" अनुसार समस्त आश्रम/छात्रावासों में उक्त अवधि में किस-किस मद से कौन-कौन से निर्माण कार्य कराये गये हैं ? कितने पूर्ण/अपूर्ण एवं अप्रारंभ है ? लागत राशि, भुगतान राशि सहित पूर्ण जानकारी देवे ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) विभाग में विधानसभा क्षेत्रवार छात्रावास/आश्रमों के लिए सामग्री का क्रय नहीं किया जाता है. उक्त जिलों में छात्रावास/आश्रमों में क्रय की गई सामग्री का नाम, मात्रा, भुगतान की राशि, सत्यापनकर्ता का विवरण तथा क्या पाया गया, की पूर्ण जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" पर दर्शित है. (ख) जानकारी † संलग्न प्रपत्र "ब" पर दर्शित है.

प्रदेश में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय

53. (क्र. 1720) **श्री बृजमोहन अग्रवाल** : क्या आदिम जाति विकास मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में दिनांक 31-01-2021 तक कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है, जिलेवार जानकारी दे ? (ख) क्या कंडिका "क" के संस्थानों में नई भर्तियां की गई है ? हां तो क्यों, कितनी-कितनी संवर्गवार जानकारी दे ? (ग) क्या कंडिका "क" के संस्थानों में पूर्व में धारित अतिथि शिक्षकों की सेवा निरस्त की गई है ? हां तो क्यों ?

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) : (क) दिनांक 31-01-2021 तक कुल 71 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत है, जिलेवार जानकारी परिशिष्ट पर †† संलग्न है. कोविड-19 के कारण उक्त तिथि तक कोई भी विद्यालय संचालित नहीं थी. (ख) एवं (ग) जी, नहीं प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता.

राजगामी संपदा समिति के अधीन भूमि का आबंटन

54. (क्र. 1723) **श्री दलेश्वर साहू** : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति के अधीन भूमि को पंजीकृत, जातिगत, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटन करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो 4-2-21 तक किन-किन विभागों व सामाजिक संस्थाओं को कितनी भूमि किन नियमों के तहत आवंटित या हस्तांतरित की गई है ? कितने प्रकरणों में प्रव्याजी, भूमाटक नियमों को शिथिल करते हुये भूमि का आवंटन किया गया है ? नियमों को शिथिल करने का अधिकार किस स्तर पर है ? वर्तमान में कितने प्रकरण भूमि आबंटन हेतु लंबित है ? वर्षवार, विभाग/संस्थावार, आबंटित रकबा सहित जानकारी देवे ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : श्रीमती सूर्यमुखी देवी राजगामी संपदा समिति के अधीन भूमि को छत्तीसगढ़ राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत पंजीकृत जातिगत, सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर आबंटन करने का अधिकार राज्य शासन को है. दिनांक 04-02-2021 तक विभिन्न विभागों, सामाजिक संस्थाओं को रियायती अथवा गैर रियायती दर पर आबंटित/हस्तांतरित की गई है. जानकारी प्रपत्र "अ" † संलग्न है. नियमों को शिथिल करने का अधिकार राज्य शासन को है. वर्तमान में भूमि आबंटन के लंबित प्रकरणों की सूची वर्षवार, विभाग/संस्थावार आबंटित रकबा की जानकारी प्रपत्र "ब" † संलग्न है.

जिला राजनांदगांव में राजस्व विभाग में प्रमाणीकरण के लंबित प्रकरण

55. (क्र. 1724) श्री दलेश्वर साहू : क्या राजस्व मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2017-18 से 4-2-21 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के क्रय विक्रय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणीकरण हेतु शेष है ? प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ? जिले के तहसील स्तर पर कितने प्रकरण नामांतरण, बटाकन, सर्वेक्षण/सीमांकन हेतु लंबित है ? लंबित होने का क्या कारण है ? वर्षवार, तहसीलवार, प्रकरणवार जानकारी दें ?

राजस्व मंत्री (श्री जयसिंह अग्रवाल) : जानकारी परिशिष्ट पर † संलग्न है.

बजट सत्र

सोमवार, दिनांक 8 मार्च, 2021

परिशिष्ट



तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "एक"

[तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 1528) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(अ) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु नये जूट बारदाने के क्रय के संबंध में जानकारी :-

संस्था का नाम	ब्यादेश जारी दिनांक	ब्यादेशित मात्रा (गठान में)	प्राप्त मात्रा (गठान में)
जूट कमिश्नर, कोलकाता	08.07.2020	84072	109696
	01.09.2020	36014	
	29.09.2020	24998	
योग		145084	

(ब) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु एचडीपीई/पीपी बारदाना क्रय के संबंध में जानकारी :-

क्र.	जिले का नाम	प्रदायकर्ता संस्था का नाम	क्रय आदेश जारी दिनांक	मात्रा गठान	प्राप्त मात्रा (गठान में)
1	बालोद	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	5000	2505
2	बेमेतरा	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	19.11.2020	5000	2444
3	धमतरी	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	702
4	बिलासपुर	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	15.11.2020	5000	1220
5	रायगढ़	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	2207
6	गरियाबंद	मेसर्स मस्कट पॉलिमर प्रा. लिमि.	15.11.2020	3000	3000
7	बलौदाबाजार	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	14.11.2020	6000	4845
8	मुंगेली	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	3000	0
9	दुर्ग	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	0
10	रायपुर	मेसर्स प्रगति उद्योग प्रा. लिमि.	19.11.2020	6000	7730
11	महासमुन्द	मेसर्स प्रताप संथेटिक प्रा. लिमि.	14.11.2020	6000	5477
12	कबीरधाम	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	19.11.2020	3000	3510
13	कोरबा	मेसर्स मस्कट पॉलिमर प्रा. लिमि.	15.11.2020	2000	0
14	जांजगीर चांपा	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	14.11.2020	8000	1668
15	राजनांदगांव	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	19.11.2020	6000	2204
योग				70000	37512

प्रपत्र "ब"

किसानों के बारदानों के भुगतान की जिलेवार जानकारी

(राशि रुपये में)

क्र	जिले का नाम	किसानों की संख्या	उपयोग किये गये बारदाना		विपणन संघ से राशि प्राप्त	बैंक द्वारा किसानों को भुगतान राशि	बैंक द्वारा किसानों को भुगतान हेतु शेष राशि
			बारदाना (नग में)	राशि @15			
1	बस्तर	12380	825326	12379890	3547425	4436910	7942980
2	बीजापुर	9648	552618	8289270	4743105	2970870	5318400
3	दन्तेवाड़ा	257	26219	393285	15450	140940	252345
4	कांकेर	32245	2110037	31650555	11421960	11343555	20307000
5	कोंडागांव	19368	1232749	18491235	6705495	6627255	11863980
6	नारायणपुर	1192	64714	970710	0	347895	622815
7	सुकमा	3371	159059	2385885	270360	834330	1551555
8	बिलासपुर	16876	1079747	16196205	6471840	6795605	9400600
9	गौरैला पेन्ड्रा मरवाही	4497	254273	3814095	1567455	1600318	2213777
10	जांजगीर चाम्पा	32099	2156816	32352240	12816345	13574355	18777885
11	मुंगेली	31857	2095642	31434630	17170830	13189344	18245286
12	रायगढ़	16109	1339889	20098335	2403510	2403510	17694825
13	बालोद	64005	3117327	46759905	26063115	22818834	23941071
14	बेमेतरा	68371	5646581	84698715	45128190	41332973	43365742
15	दुर्ग	16147	1025390	15380850	4517910	7505855	7874995
16	कवर्धा	25488	1899273	28489095	17752380	13902678	14586417
17	राजनांदगांव	81185	5677672	85165080	37935930	41560559	43604521
18	बलौदाबाजार	47737	4926630	73899450	23208255	23208255	50691195
19	गरियाबंद	15567	1018540	15278100	9264585	6271476	9006624
20	महासमुंद	16589	2182462	32736930	0	2993109	29743821
21	रायपुर	2650	340020	5100300	182385	182385	4917915
22	बलरामपुर	7397	627470	9412050	871440	871440	8540610
23	जशपुर	1547	104425	1566375	504810	504810	1061565
24	कोरिया	7012	388283	5824245	2032305	2032305	3791940
25	सरगुजा	3512	160508	2407620	449970	449970	1957650
26	सुरजपूर	17716	1498692	22480380	2464185	2464185	20016195
योग		554822	40510362	607655430	237509235	230363721	377291709

परिशिष्ट "दो"

[तारांकित प्रश्न संख्या 6 (क्र. 1214) के भाग (क) की जानकारी]

नगर पालिका क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2019-20 से 03.02.2021 तक अवैध प्लान्टिंग करने वालों के विरुद्ध जारी नोटिस की सूची

1	नवलकिशोर आ. गोवर्धन	सिंघौरी
2	शेरसिंह आ.भागचंद यादव	सिंघौरी
3	नौशाद आलम आ. अविद अली	सिंघौरी
4	यशवंत आ. भूनेश्वर साहू	सिंघौरी
5	प्रवीण आ. राधेश्याम	सिंघौरी
6	रत्नाबाई पति भारतराम साहू	कोबिया
7	भारतराम साहू आ.गुनूराम साहू	कोबिया
8	रनविजय आ.केहरं सिंह वगै.अन्य 4	कोबिया
9	हरभजन उर्फ अमितकुमार आ.विलायती	कोबिया
10	मंजु शुक्ला पति एस.एम.शुक्ला	कोबिया
11	अर्जुन आ. जगदीश	कोबिया
12	स्वर्ण भूमि अर्थ मुविंग एक्ज्यूपमेंट प्रा.लि. द्वारा संदीप सुराना आ.डालचंद सुराना	कोबिया
13	चिरजीव नरसिंह वगैरह	कोबिया
14	मोतीलाल आ.दुकलहा	बेमेतरा
15	गुरजीतसिंह आ.अमरिक सिंह	बेमेतरा
16	संतोष आ. स्वरूपसिंह	बेमेतरा
17	पार्वती पति पंजाब राव	बेमेतरा
18	सुखमनी बेवा बंशी	बेमेतरा
19	घनश्याम पिता बिहारी	बेमेतरा
20	भारतराम आ.गुनूराम साहू	बेमेतरा
21	भारती पति मेघराज राजपाल	बेमेतरा
22	भुवनेश्वर चन्द्राकर आ.हिंछाराम	बेमेतरा
23	सहोद्रा तिवारी पति चन्द्रिकाप्रसाद	मोहभट्टा
24	वलदाउप्रसाद आ. घासीराम	मोहभट्टा

परिशिष्ट "तीन"
[तारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 1460) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला महासमुंद अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में नामांतरण के प्राप्त, निराकृत व लंबित प्रकरणों की जानकारी

क्र.	न्यायालय का नाम	नामांतरण प्रकरण											
		वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
1	तहसीलदार महासमुंद	229	180	49	269	201	68	381	308	73	94	42	52
2	नायब तहसीलदार झलप	35	30	5	39	31	8	43	32	11	75	30	45
3	नायब तहसीलदार पटेवा	30	20	10	42	25	17	51	40	11	75	61	14
4	नायब तहसीलदार महासमुंद	0	0	0	86	30	56	82	40	42	107	80	27
5	नायब तहसीलदार महासमुंद भाग-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	10	31
6	तहसीलदार बागबाहरा	273	174	99	220	140	80	57	1	56	151	34	117
7	नायब तहसीलदार बागबाहरा	111	65	46	71	42	29	45	25	20	44	5	39
8	नायब तहसीलदार बागबाहरा- 02	0	0	0	26	13	13	31	24	7	38	5	33
9	तहसीलदार पिथौरा	178	174	4	239	208	31	138	63	75	127	54	73
10	अति तहसीलदार पिथौरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	6	80
11	नायब तहसीलदार पिथौरा-01	165	127	38	118	69	49	170	41	129	53	20	33
12	नायब तहसीलदार पिथौरा-02	0	0	0	0	0	0	18	1	17	21	1	20
13	तहसीलदार बसना	127	115	12	87	63	24	34	9	25	111	43	68
14	नायब तहसीलदार बसना-01	93	73	20	89	73	16	93	33	60	74	19	55
15	नायब तहसीलदार बसना-02	5	0	5	8	0	8	65	0	65	35	0	35
16	तहसीलदार सरायपाली	91	60	31	116	51	65	107	29	78	179	117	62
17	नायब तहसीलदार सरायपाली-01	65	42	23	74	52	22	95	51	44	112	78	34
18	नायब तहसीलदार सरायपाली-02	0	0	0	43	34	9	49	11	38	72	16	56
योग :-		1402	1060	342	1527	1032	495	1459	708	751	1495	621	874

प्रपत्र "ब"

जिला महासमुंद अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में त्रुटि सुधार के प्राप्त, निराकृत व लंबित प्रकरणों की जानकारी

त्रुटि सुधार प्रकरण													
क्र.	न्यायालय का नाम	वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20			वर्ष 2020-21		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
1	तहसीलदार महासमुंद	35	30	5	23	20	3	15	12	3	9	0	9
2	नायब तहसीलदार झलप	9	4	5	7	5	2	6	2	4	1	0	1
3	नायब तहसीलदार पटेवा	21	10	11	7	2	5	5	3	2	1	0	1
4	नायब तहसीलदार महासमुंद	0	0	0	12	6	6	24	11	13	15	8	7
5	नायब तहसीलदार महासमुंद भाग-02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	8	24
6	तहसीलदार बागबाहरा	76	38	38	71	30	41	20	0	20	26	2	24
7	नायब तहसीलदार बागबाहरा	35	1	34	44	36	8	11	5	6	8	0	8
8	नायब तहसीलदार बागबाहरा- 02	0	0	0	27	4	23	31	11	20	24	0	24
9	तहसीलदार पिथौरा	17	10	7	20	9	11	41	14	27	5	0	5
10	अति. तहसीलदार पिथौरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
11	नायब तहसीलदार पिथौरा-01	29	15	14	13	7	6	33	2	31	3	0	3
12	नायब तहसीलदार पिथौरा-02	0	0	0	0	0	0	7	1	6	0	0	0
13	तहसीलदार बसना	19	13	6	7	3	4	7	2	5	4	0	4
14	नायब तहसीलदार बसना-01	29	19	10	10	7	3	41	11	30	6	1	5
15	नायब तहसीलदार बसना-02	7	0	7	3	0	3	24	0	24	3	0	3
16	तहसीलदार सरायपाली	31	9	22	25	1	24	17	1	16	9	3	6
17	नायब तहसीलदार सरायपाली-01	23	12	11	10	5	5	9	1	8	4	3	1
18	नायब तहसीलदार सरायपाली-02	0	0	0	20	3	17	21	0	21	14	6	8
योग :-		331	161	170	299	138	161	312	76	236	171	31	140

प्रपत्र "स"

जिला महासमुंद अंतर्गत राजस्व न्यायालयों में नामांतरण/त्रुटि सुधार के प्राप्त, निराकृत व लंबित प्रकरणों की जानकारी							
क्र	वर्ष	नामांतरण प्रकरण			त्रुटिसुधार प्रकरण		
		प्राप्त	निराकृत	लंबित	प्राप्त	निराकृत	लंबित
1	2017-18	1402	1060	342	331	161	170
2	2018-19	1527	1032	495	299	138	161
3	2019-20	1459	708	751	312	76	236
4	2020-21	1495	621	874	171	31	140
योग :-		5883	3421	2462	1113	406	707

परिशिष्ट "चार"

[तारांकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 1590) के भाग (क) की जानकारी]

सत्र 2019-20

शा. पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन

स.क	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयीत शाला का नाम	स.क	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयीत शाला का नाम
1	चन्द्रपुर	जमगहन	10	पाटन	पोहा
2	मस्तूरी	सुलौनी	11	अहिवारा	तुमाकला
3	बैकुण्ठपुर	बड़ेसाल्ही	12	अम्बिकापुर	भफौली
4	धमतरी	कसावाही	13	अम्बिकापुर	घघरी
5	उत्तर रायपुर	खम्हारडीह	14	अम्बिकापुर	पौडीकला
6	48 रायपुर ग्रामीण	पुरेना	15	अम्बिकापुर	पोडीखुर्द
7	धरसीवा	इल्दा	16	कोण्डागांव	माकड़ी
8	सरायपाली	पझरापाली	17	05 भटगाव	कसकेला
9	डोंगरगढ़-74	मांडीतराई	18	05 भटगाव	कन्या दर्रीपारा

हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन

स.क	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयीत शाला का नाम	स.क	विधान सभा क्षेत्र	उन्नयीत शाला का नाम
1	बेमेतरा	भिलौरी	12	अम्बिकापुर	असोला
2	महासमुन्द	लंहगर	13	अम्बिकापुर	खलिबा
3	तखतपुर	चिचिरदा	14	मरवाही	बगरार
4	भानुप्रतापपुर	कोदापाखा	15	पाली-तानाखार	लमना
5	लैलूंगा	बंगुरसिया	16	भानुप्रतापपुर	चिखली
6	संजारी बालोद	हराठेमा	17	भानुप्रतापपुर	कुरी
7	कवर्धा	सोनझरी	18	प्रतापपुर	लोलकी
8	बिलाईगढ़	बलौदी	19	04 प्रेमनगर	उमापुर
9	पाटन	तरीधाट	20	प्रतापपुर	गोवर्धनपुर
10	अकलतरा	पड़रिया	21	पत्थलगांव	मरोल
11	अम्बिकापुर	सरईटिकरा	22	रामपुर	पठियापाली

सत्र 2020-21

शा. पूर्व माध्यमिक शाला से हाईस्कूल में उन्नयन

निरंक

हाई स्कूल से हायर सेकेण्डरी में उन्नयन

निरंक

परिशिष्ट "पांच"

[तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 1251) के भाग (ख) की जानकारी]

वित्तीय वर्ष 2018-19 में बाढ़ आपदा राहत मद से कराये गये कार्यों का विवरण				
क्र.	जिला	आबंटित राशि	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	बस्तर	10000000.00	हाई स्कूल बड़े देवड़ा मरम्मत	200000
1			पतरपारा माडपाल भवन मरम्मत	192000
2			बड़पारा माडपाल भवन मरम्मत	190000
3			ई लर्निंग सेंटर भवन मरम्मत	121000
4			प्रा0 शाला सल्फीपदर भवन मरम्मत	112000
5			प्रा0 शाला चिंगपाल भवन मरम्मत	80000
6			प्रा0 शाला छिंदबहार भवन मरम्मत	27000
7			प्रा0 शाला मांझीगुड़ा भवन मरम्मत	142000
8			मा0 शाला कोलिंग भवन मरम्मत	122000
9			प्रा0 शाला दरभा भवन मरम्मत	137000
10			प्रा0 शाला डोंगरीपारा पीरमेटा भवन मरम्मत	200000
11			प्रा0 शाला मुरकुची शौचालय मरम्मत कार्य	47300
12			प्रा0 शाला गुनपुर शौचालय मरम्मत कार्य	49300
13			प्रा0 शाला अतारगुड़ा शौचालय मरम्मत कार्य	45800
14			प्रा0 शाला कोहकासिवनी शौचालय मरम्मत कार्य	47300
15			प्रा0 शाला मुंडापार शौचालय मरम्मत कार्य	44000
16			प्रा0 शाला पामेला शौचालय मरम्मत कार्य	47700
17			प्रा0 शाला रामपाल रामपाल शौचालय मरम्मत कार्य	47200
18			प्रा0 शाला पोड़सागुड़ा शौचालय मरम्मत कार्य	46500
19			प्रा0 शाला बांगापारा शौचालय मरम्मत कार्य	49900
20			प्रा0 शाला जबरनपारा शौचालय मरम्मत कार्य	48000
21			प्रा0 शाला तरईगुड़ा शौचालय मरम्मत कार्य	49700
22			प्रा0 शाला कोटवारपारा सुरगुड़ा शौचालय मरम्मत कार्य	49100
23			प्रा0 शाला चालकीपारा सुलगुड़ा शौचालय मरम्मत कार्य	49000
24			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन बिन्ता मरम्मत कार्य	200000
25			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन गढ़िया मरम्मत कार्य	200000
26			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन परियागुड़ा मरम्मत कार्य	200000
27			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन धाराउर मरम्मत कार्य	200000
28			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन कोलचुर मरम्मत कार्य	200000
29			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन कुदालगांव मरम्मत कार्य	120000
30			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन रीतमा मरम्मत कार्य	31000
31			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन केशरपाल मरम्मत कार्य	200000
32			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन भाटपाल मरम्मत कार्य *	200000
33			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन कुड़कानार मरम्मत कार्य	52000
34			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन चोकर मरम्मत कार्य	112000
35			उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन भेजरीपदर मरम्मत कार्य	200000
			योग	4058800
2	कोण्डागांव	3308000.00	बवई ग्राम के पास नदी बाढ़ नियंत्रण सुरक्षात्मक कार्य हेतु	1364000
			मारगांव के पास नदी बाढ़ नियंत्रण सुरक्षात्मक कार्य हेतु	897000
			सोनाबाल स्टापडेम नदी बाढ़ नियंत्रण सुरक्षात्मक कार्य हेतु	1047000
			योग	3308000

परिशिष्ट "छः"

[तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्र. 1641) के भाग (ख) की जानकारी]

क्र.	तहसील का नाम	01 अप्रैल 2019 से 30 सितंबर 2019 तक			01 अक्टूबर 2019 से 30 सितंबर 2020 तक			01 अक्टूबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक			लंबित होने का कारण
		दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	
1	छुईखदान	39	39	0	105	91	14	59	34	25	1. वर्षाकाल एवं आवेदन में उल्लेखित भूमियों पर फसल होने के कारण सीमांकन कार्यवाही नहीं हो पायी। 2. राजस्व निरीक्षक मंडल साल्हेवारा एवं बकरकट्टा में राजस्व निरीक्षक की पदस्थापना नहीं हाने के कारण। 3. छुईखदान में राजस्व निरीक्षक को बकरकट्टा का प्रभार सौंपा गया है, जिसकी दूरी 80 कि.मी. होने के कारण सीमांकन कार्य प्रभावित हुआ।
2	खैरागढ़	123	74	49	416	353	63	202	81	121	वर्षा काल एवं मौके पर फसल होने के कारण सीमांकन के प्रकरण लंबित है जिसका निराकरण किया जा रहा है।
3	डोंगरगढ़	166	161	5	234	140	94	195	14	181	1. अछोली नागतलाई भू-अर्जन मुआवजा प्रकरण संबंधी कार्य में संलग्न होने के कारण। 2. बोरतलाब पनियाजोब तीसरी रेलवे लाईन सर्वे संबंधी कार्य में संलग्न होने के कारण। 3. बजरंगीडीह, कुहीकोडा नवीन राजस्व ग्राम सर्वे संबंधी कार्य में संलग्न होने के कारण। 4. प्रसाद योजना के तहत जमीन आबंटन कार्य में संलग्न होने के कारण।
4	छुरिया	99	99	0	160	78	82	49	10	39	सीमांकन के 121 लंबित आवेदन वर्ष 2020 एवं वर्ष 2021 के हैं जिनका सीमांकन कार्य राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है वर्ष 2020 में बारिश होने के उपरांत धान फसल होने के कारण सीमांकन कार्यवाही नहीं किया जा सका। लंबित आवेदनो का निराकरण अभियान चलाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा किया जा रहा है। मई 2021 तक लंबित आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।

5	राजनांदगांव	209	209	0	708	708	0	491	171	320	काराना काल में न्यायालयों का कार्य स्थगित रखा गया था उसके पश्चात पक्षकार सूचना देने के पश्चात भी लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे निराकरण में देर हुई लगभग सभी प्रकरण एक वर्ष के अंदर के हैं।
6	डोंगरगांव	133	133	0	117	87	30	86	36	50	वर्षाकाल एवं आवेदन में उल्लेखित भूमि पर फसल खड़ी होने एवं कोरोना महामारी होने के कारण एवं नवीन राजस्व ग्राम अडाम आसरा के रिकार्ड संधारण के कार्य में सभी राजस्व निरीक्षक संलग्न थे जिससे सीमांकन कार्य प्रभावित हुआ एवं राजस्व निरीक्षक मंडल आरी में राजस्व निरीक्षक का पद रिक्त होने के कारण विलंब हुआ तथा वर्ष 2019-20 के 30 प्रकरण का वर्तमान में निराकरण हो चुका है। शेष 80 प्रकरण समय-सीमा के अंदर है। तथा 2020-21 में दर्ज नवीनतम सीमांकन प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जावेगा।
7	अं. चौकी	127	127	0	118	96	22	105	15	90	<ol style="list-style-type: none"> वर्षाकाल एवं आवेदन में उल्लेखित भूमियों पर फसल खड़ी होने के कारण सीमांकन कार्यवाही नहीं की जा सकी। कोरोना महामारी के कारण सीमांकन का कार्य प्रभावित रहा। नवीन राजस्व ग्राम बांधाबाजार के रिकार्ड संधारण के कार्य में सभी राजस्व निरीक्षक संलग्न थे जिससे सीमांकन कार्य प्रभावित रहा वर्तमान में भौतिक सत्यापन का कार्य पूर्ण हो चुका है। अतः समस्त राजस्व निरीक्षकों द्वारा सर्व प्रथम एक वर्ष से अधिक लंबित सीमांकन पूर्ण किये जा रहे हैं तथा वर्ष 2020-21 में दर्ज नवीनतम सीमांकन प्रकरणों का समय-सीमा में सीमांकन किया जावेगा।

8	मोहला	22	22	0	94	92	2	98	17	81	<p>1. वर्षाकाल में दिये आवेदन में उल्लेखित भूमि पर फसल खड़ी होने एवं कोरोना महामारी के कारण सीमांकन का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया।</p> <p>2. वर्तमान में तहसील मोहला में 04 राजस्व सर्किल है जबकि 02 राजस्व निरीक्षक ही कार्यरत है।</p> <p>3. लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकरण किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की टीम गठित की गई है। यथासंभव मार्च 2021 तक लंबित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।</p>
9	मानपुर	23	23	0	97	95	2	65	40	25	<p>1. वर्षाकाल में फसल खड़ी होने के कारण सीमांकन नहीं किय जा सका।</p> <p>2. मानपुर तहसील अंतर्गत चार आर.आई.सर्किल है जिसमें दो सर्किल में ही राजस्व निरीक्षक पदस्थ है जिससे लंबित प्रकरणों का निराकरण नहीं किया जा सका है।</p> <p>3. कोविड-19 के समय भी सीमांकन का कार्य भी प्रभावित हुआ।</p> <p>4. लंबित सीमांकन प्रकरणों के निराकृत किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों की टीम गठित की गई है। यथासंभव मार्च 2021 तक लंबित सीमांकन प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा।</p>
योग		941	887	54	2049	1740	309	1350	418	932	

परिशिष्ट "सात"

[तारांकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1376) के भाग (क) की जानकारी]

रायगढ़ विधानसभा क्षेत्र अन्तर्गत बाढ़ से प्रभावित एवं बाढ़ शिविर लगाये गये ग्रामों की विकासखण्डवार जानकारी

स.क्र.	विकासखण्ड का नाम	बाढ़ प्रभावित ग्रामों का नाम	बाढ़ शिविर लगाये गये ग्रामों का नाम
1	बरमकेला	ठेगागुड़ी , बुदबुदा, बरगांव, बोरिदा, कोर्दा , मानिकपुर, मोहदी, बिलाईगढ़ अ, पिहरा, विश्वासपुर, विजयपुर, गि.पा., लिप्ति, परसरामपुर, पोस्थ, रानीडीह, रैबो, सांकरा, सुरसी, सूरजगढ़, छैलफोरा, तोरा, जयपुर, नौघटा, नवापारा छोटे, विजयपुर चि.पा. चान्दागढ़, नदीगांव, लुकापारा कुल 27 ग्राम	बोरिदा, सांकरा, बरगांव, बिलाईगढ़ अ, मानिकपुर, सुरसी, रानीडीह, तोरा, पोस्थ, नौघटा, नदीगांव, पंचधार, साल्हेओना, भठली, लुकापारा, बोन्दा कुल 16 ग्राम
2	पुसौर	परसापाली, बाराडोली, सिंगपुरी, चंघोरी, ठाकुरपाली, कलमी, सुटूपाली, नवापाली, सुरजगढ़, पडिगांव, त्रिभौना, छोटे हरदी, ककईमुहान कोडपाली कुल 14 ग्राम	छिछोरउमरिया, सोडेकला, कलमी, पडिगांव, छोटे हरदी, गोतमा, पुसौर कुल 7 ग्राम

परिशिष्ट "आठ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 19 (क्र. 860) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क्र.	पोर्टा केबिन का नाम	वर्षवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त सीट संख्या								
		वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट
1	बीजापुर	500	546	0	500	500	0	500	540	0
2	नैमेड़	500	460	40	500	448	52	500	469	31
3	गंगालूर	500	351	149	500	493	7	500	430	70
4	चेरपाल	500	500	0	500	509	0	500	479	21
5	तोयनार	500	502	0	500	440	60	500	436	64
6	चिन्नाकोडेपाल	500	485	15	500	484	16	500	410	90
7	नेलसनार	500	400	100	500	545	0	500	705	0
8	करकेली	500	739	0	500	837	0	500	604	0
9	पिनकोण्डा	500	419	81	500	406	94	500	426	74
10	पुसनार	500	451	49	500	465	35	500	437	63
11	केशकुतुल	500	457	43	500	404	96	500	413	87
12	भटवाड़ा	500	463	37	500	469	31	500	417	83
13	माटवाड़ा	500	465	35	500	440	60	500	450	50
14	जांगला	500	403	97	500	480	20	500	381	119
15	फरसेगढ़	500	340	160	500	423	77	500	347	153
16	सोमनपल्ली	500	401	99	500	469	31	500	403	97
17	कुटरू	500	460	40	500	495	5	500	469	31
18	बेदरे	500	350	150	500	412	88	500	320	180
19	संमगपल्ली	500	495	5	500	410	90	500	376	124
20	पेगड़ापल्ली	500	415	85	500	699	0	500	571	0
21	सण्झापल्ली	500	404	96	500	370	130	500	323	177
22	तारलागुड़ा	500	597	0	500	715	0	500	770	0
23	दुगईगुड़ा	500	916	0	500	822	0	500	946	0
24	आवापल्ली	500	478	22	500	370	130	500	460	40
25	उसूर	500	521	0	500	380	120	500	492	8
26	तिम्मापुर	500	557	0	500	480	20	500	506	0
27	बासागुड़ा	500	571	0	500	479	21	500	528	0
28	पामेड़	500	658	0	500	420	80	500	530	0
29	बेंगलूर	500	368	132	500	495	5	500	484	16
30	गोडरे	500	758	0	500	389	111	500	369	131

क्र.	पोर्टा केबिन का नाम	वर्षवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त सीट संख्या								
		वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट
31	चितालूर	500	905	0	500	500	0	500	500	0
32	गाटम	500	380	120	500	396	104	500	391	109
33	हितामेटा	500	410	90	500	482	18	500	475	25
34	कुआकोण्डा-2	500	350	150	500	451	49	500	421	79
35	बांगापाल	500	395	105	500	385	115	500	372	128
36	धनीकरका	500	348	152	500	453	47	500	432	68
37	मोखपाल	500	358	142	500	489	11	500	485	15
38	कुआकोण्डा-1	500	440	60	500	451	49	500	423	77
39	मेण्डोली	500	385	115	500	465	35	500	475	25
40	कासोली	500	469	31	500	495	5	500	496	4
41	कारली	500	932	0	500	470	30	500	475	25
42	पालनार	500	502	0	500	500	0	500	500	0
43	देवगांव	500	500	0	500	500	0	500	500	0
44	ओरछा	500	500	0	500	500	0	500	462	38
45	सुकमा	500	516	0	500	500	0	500	500	0
46	मुरतोण्डा	500	516	0	500	500	0	500	500	0
47	गादीरास	500	435	65	500	500	0	500	500	0
48	कोर्रा	500	452	48	500	460	40	500	496	4
49	बुडदी	500	458	42	500	500	0	500	484	16
50	केरलापाल	500	409	91	500	498	2	500	484	16
51	छिन्दगढ़	500	533	0	500	500	0	500	500	0
52	पाकेला	500	440	60	500	455	45	500	488	12
53	रोकेल	500	464	36	500	350	150	500	486	14
54	तोंगपाल	500	396	104	500	380	120	500	475	25
55	कोन्टा	500	540	0	500	495	5	500	500	0
56	मरईगुडा	500	512	0	500	480	20	500	500	0
57	पोलमपल्ली	500	454	46	500	491	9	500	496	4
58	एरबोर	500	437	63	500	488	12	500	497	3
59	चिन्तलनार	500	455	45	500	500	0	500	486	14
60	चिन्तागुफा	500	450	50	500	500	0	500	500	0

प्रपत्र "ब"

क्र.	पोर्टा केबिन का नाम	वर्षवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त सीट संख्या								
		वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट
1	चिन्नाकोडेपाल	100	46	54	100	74	26	100	73	27
2	गंगालूर	100	25	75	100	40	60	100	43	57
3	चेरपाल	100	30	70	100	88	12	100	98	2
4	बीजापुर	100	49	51	100	100	0	100	99	1
5	तोयनार	100	35	65	100	80	20	100	80	20
6	नैमेड (कुटुरु)	100	50	50	100	62	38	100	94	6
7	संगमपल्ली	100	43	57	100	72	28	100	81	19
8	तारलागुड़ा	100	30	70	100	38	62	100	43	57
9	तारलागुड़ा	50	20	30	50	40	10	50	34	16
10	पेगड़ापल्ली	100	25	75	100	90	10	100	91	9
11	सेड़ापल्ली	100	25	75	100	53	47	100	63	37
12	तिम्मापुर (बेदरे)	50	18	32	50	30	20	50	48	2
13	बासागुड़ा	100	30	70	100	61	39	100	81	19
14	उसूर	100	30	70	100	49	51	100	60	40
15	दुगईगुड़ा	100	34	66	100	50	50	100	60	40
16	पामेड	50	30	20	50	47	3	50	50	0
17	आवापल्ली (फरसेगढ़)	50	20	30	50	25	25	50	50	0
18	पुसनार	100	20	80	100	60	40	100	94	6
19	जांगला	100	20	80	100	43	57	100	65	35
20	नेसलनार	100	35	65	100	59	41	100	94	6
21	माटवाड़ा	100	35	65	100	75	25	100	92	8
22	सोमनपल्ली	100	20	80	100	57	43	100	70	30
23	भटवाड़ा	100	36	64	100	46	54	100	43	57
24	करकैली	50	27	23	50	50	0	50	49	1
25	पिनकोण्डा	100	57	43	100	97	3	100	95	5
26	केशतुलुल	100	30	70	100	56	44	100	50	50
27	मेण्डोली	100	30	70	100	62	38	100	81	19
28	चितालूर	100	79	21	100	100	0	100	100	0
29	बांगापाल	100	67	33	100	104	0	100	89	11
30	गुमड़ा	100	64	36	100	100	0	100	100	0

क्र.	पोर्टा केबिन का नाम	वर्षवार स्वीकृत, भरे एवं रिक्त सीट संख्या								
		वर्ष 2017-18			वर्ष 2018-19			वर्ष 2019-20		
		स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट	स्वीकृत सीट	भरे सीट	रिक्त सीट
31	मेखपाल	50	45	5	50	50	0	50	50	0
32	हितामेटा	100	28	72	100	64	36	100	89	11
33	गोडरे	100	64	36	100	97	3	100	98	2
34	कुआकोण्डा-1	100	27	73	100	52	48	100	50	50
35	पालनार	100	28	72	100	45	55	100	54	46
36	कुआकोण्डा-2	100	40	60	100	71	29	100	71	29
37	कासोली	100	0	100	100	25	75	100	52	48
38	बेंगलूर	100	30	70	100	52	48	100	52	48
39	गाटम	100	35	65	100	38	62	100	36	64
40	देवगांव	100	0	100	100	32	68	100	62	38
41	देवगांव	100	0	100	100	42	58	100	64	36
42	ओरछा	100	71	29	100	67	33	100	111	0
43	सुकमा	0	0	0	100	75	25	100	98	2
44	गादीरास	100	37	63	100	64	36	100	90	10
45	कोर्रा	100	25	75	100	55	45	100	65	35
46	केरलापाल	100	43	57	100	47	53	100	69	31
47	बुरदी	100	15	85	100	43	57	100	49	51
48	मुरतोण्डा	100	59	41	100	100	0	100	98	2
49	तोंगपाल	100	59	41	100	71	29	100	82	18
50	पाकेला	100	50	50	100	47	53	100	65	35
51	रोकेल	100	48	52	100	86	14	100	82	18
52	पित्तेपारा	0	0	0	100	100	0	100	100	0
53	कोन्टा	100	62	38	100	98	2	100	100	0
54	मरईगुड़ा	100	23	77	100	64	36	100	54	46
55	पोलमपल्ली	100	34	66	100	60	40	100	65	35
56	एरबोर	100	36	64	100	71	29	100	99	1
57	चिन्तागुफा	100	56	44	100	88	12	100	73	27

परिशिष्ट "नौ"

[तारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1448) के भाग (ख) की जानकारी]

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्राधिकृत अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	शिकायतकर्ता/ आवेदक का नाम/ पता	शिकायत प्राप्ति का दिनांक	संक्षिप्त विषय	शिकायत की जाँच में पाए गये तथ्य	शिकायत			की गई कार्यवाही
						सही पायी गई	सही नहीं पायी गई	जाँच प्रक्रियाधीन	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2019									
1	दुर्ग	डॉ. राकेश मिश्रा पता - 68 बी, सड़क नं. 12, स्मृति नगर भिलाई सुपेला (छ. ग.)	11.03.2019	जिला सहकारी बैंक दुर्ग में भ्रष्टाचार की जाँच और आरोपीयो को सजा बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	शिकायत की जाँच हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग द्वारा जारी आदेश को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के रिट याचिका क्रमांक W.P.C. 1427/2019 में पारित अंतरिम स्थगन आदेश दिनांक 15/04/2019 द्वारा जाँच पर स्थगन दिया गया है।
2	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ	20.06.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री योगेश चन्द्राकर द्वारा वार्षिक साधारण सम्मेलन के प्रस्तावों या बगैर मतदान के कार्यवृत्त संधारित कर फर्जीवाड़ा एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध जाँच कमेटी से जाँच कार्यवाही के निर्देश।	जाँच संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर द्वारा की गई। प्रतिवेदन दिनांक 10.04.2019 में आमसभा की कार्यवाही नियमानुसार होने से नस्तीबध्द करने योग्य बताया गया है।	-	सही नहीं पाई गई	-	प्रकरण में निष्कर्ष अनुसार नियमानुसार कार्यवाही हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर को लिखा गया है।
3	दुर्ग	श्री अमर कुमार वर्मा, कृषक दुर्ग	07.08.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग में भ्रष्टाचार व कर्मचारियों का प्रताड़ित कर रहे बैंक के अध्यक्ष, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, स्थापना के अधिकारी कृष्ण कुमार नायक एवं हिरदेश शर्मा के विरुद्ध शिकायत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	दुर्ग	श्री पुरुषोत्तम साहू, भिलाई, पाटल	07.08.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग में भ्रष्टाचार व कर्मचारियों का प्रताड़ित कर रहे सी.ई.ओ., अध्यक्ष एवं स्थापना के अधिकारी को हटाने बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
5	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ- छत्तीसगढ़ एवं प्रतिनिधि सदस्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादा रायपुर	05.09.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अनूप अग्रवाल एवं अतिरिक्त महाप्रबंधक श्री एस. पी. चन्द्राकर के विरुद्ध जाँच प्रतिवेदन के अभिमत अनुसार कार्यवाही।	प्रकरण लोक आयोग प्रकरण क्रमांक 79/2015 से संबंधित है। माननीय लोक आयोग की अनुशंसा दिनांक 29/6/15 में श्री अनूप अग्रवाल तत्कां मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादा रायपुर के विरुद्ध अवचार के संबंध में वि०जा० संस्थित की जाकर, आरोप स्थापित होने पर अवचार के अनुपात में उचित शास्ति अधिरोपित करने बाबत लेख किया गया है।	सही पाई गई	-	-	प्रकरण में माननीय लोक आयोग की अनुशंसा अनुसार कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक, छ०ग० राज्य सहकारी बैंक को लेख किया गया है।
6	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ- छत्तीसगढ़ एवं प्रतिनिधि सदस्य जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादा रायपुर	13.11.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के तत्कालीन प्राधिकृत अधिकारी श्री योगेश चन्द्राकर के द्वारा वार्षिक साधारण सम्मेलन में सहकारी अधिनियम के प्रावधानों तथा पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के निर्देशों का पालन नहीं कर करोड़ों की हानि बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	पंजीयक, सहकारी संस्थाएं के पत्र, दिनांक 15.06.2020 द्वारा शिकायत तथ्यात्मक प्रतिवेदन हेतु संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर को लिखा गया। प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 01.10.2020 द्वारा शिकायतकर्ता को आहूत करने पर उपस्थित होकर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण पूर्व में प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन को ही आधार मानते हुए शिकायत नस्तीबद्ध करने की अनुशंसा की गयी।
7	दुर्ग	श्री श्यामल मित्रा, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, छ.ग.	23.12.2019	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एस. के. निवसरकर एवं बैंक के अध्यक्ष, के विरुद्ध कार्यवाही बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, दुर्ग को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
वर्ष 2020									
8	बिलासपुर	विकास गुरुद्वान एवं संदीप जायसवाल शाखा प्रबंधक,	20.01.2020	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर श्री श्रीकांत चन्द्राकर द्वारा किए जा रहे दुर्भावना एवं द्वेषपूर्ण कृत्य की शिकायत बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	शिकायत जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर को लिखा गया है।
9	बिलासपुर	श्री संदीप जायसवाल, शाखा प्रबंधक	20.01.2020	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर श्री श्रीकांत चन्द्राकर द्वारा किए जा रहे दुर्भावना एवं द्वेषपूर्ण कृत्य की शिकायत बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	शिकायत जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर को लिखा गया है।
10	रायपुर	श्रीमती आशा दीवान, एल्डरमेन, नगर पालिका परिषद अकलतरा	29.01.2020	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री श्रीकांत चन्द्राकर की कार्यशैली के संबंध में शिकायत के निराकरण बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर को जाँच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया।
11	रायपुर	श्री सुहैल खान, प्रोपराईटर एस.के. एसोसिएट्स रायपुर	29.02.2020	दिनांक 20.02.2020 को, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा रासायनिक खाद के परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा के संबंध में।	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2020 में शिकायतकर्ता को परिवहन निविदा नहीं मिलने के कारण शिकायत बाबत लेख किया गया है।	-	-	प्रक्रियाधीन	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ- छत्तीसगढ़ एवं प्रतिनिधि सदस्य जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादा रायपुर	24.12.2020	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर का 104 वां वार्षिक साधारण सम्मेलन 2020 अनुमोदित आयोजित किये जाने पर प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी और संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं वित्तीय क्षति की वसूली की कार्यवाही हेतु।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर को अभिमत सहित तथ्यात्मक प्रतिवेदन भेजन हेतु लिखा गया है।
13	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, प्रतिनिधि सदस्य, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर	29.12.2020	प्राधिकृत अधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 28 के आदेशात्मक प्रावधान का उल्लंघन करने पर पदच्युत करने एवं शास्ति अधिरोपित करने बाबत।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायपुर को जाँच एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु शिकायत प्रेषित की गयी है।
वर्ष 2021									
14	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ- छत्तीसगढ़	02.02.2021	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रायपुर के तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ए. के. श्रीवास्तव के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं आर्थिक अनियमितता की राशि वसूली हेतु ज्ञापन।	-	-	सही नहीं पाई गई	-	शिकायत से संबंधित प्रकरण पूर्व में लोक आयोग प्रकरण क्र. 117/2011 में जाँच पश्चात अवचार सिद्ध नहीं होने के कारण दिनांक 23.06.2016 को नस्तीबद्ध किया जा चुका है।
15	रायपुर	श्री ललित चन्द्रनाहु, संयोजक किसान मजदूर संघ- छत्तीसगढ़	12.02.2021	न्यायालयीन कार्य में निष्पक्षता हेतु पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छ0ग0 हिम शिखर गुप्ता, भा0प्र0से0 को पद से पृथक किए जाने बाबत ज्ञापन।	-	-	-	प्रक्रियाधीन	प्रकरण परीक्षाधीन है।
योग						1	2	12	

परिशिष्ट "दस"

[तारांकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1718) के भाग (ख) की जानकारी]

(अ) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु नये जूट बारदाने के क्रय के संबंध में जानकारी :-

संस्था का नाम	ब्यादेश जारी दिनांक	ब्यादेशित मात्रा (गठान में)	औसत दर प्रति गठान (रुपये में)	प्राप्त मात्रा (गठान में)
जूट कमिश्नर, कोलकाता	08.07.2020	84072	29,345.32	109696
	01.09.2020	36014		
	29.09.2020	24998		
योग		145084		

(ब) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 हेतु एचडीपीई/पीपी बारदाना क्रय के संबंध में जानकारी :-

क्र.	जिले का नाम	प्रदायकर्ता संस्था का नाम	क्रय आदेश जारी दिनांक	मात्रा गठान	दर प्रति गठान (रुपये में)	प्राप्त मात्रा (गठान में)
1	बालोद	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	5000	10399.00	2505
2	बेमेतरा	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	19.11.2020	5000	10351.00	2444
3	धमतरी	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	10351.00	702
4	बिलासपुर	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	15.11.2020	5000	10251.00	1220
5	रायगढ़	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	10399.00	2207
6	गरियाबंद	मेसर्स मस्कट पॉलिमर प्रा. लिमि.	15.11.2020	3000	10545.00	3000
7	बलौदाबाजार	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	14.11.2020	6000	10399.00	4845
8	मुंगेली	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	3000	10399.00	0
9	दुर्ग	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	15.11.2020	4000	10399.00	0
10	रायपुर	मेसर्स प्रगति उद्योग प्रा. लिमि.	19.11.2020	6000	10700.00	7730
11	महासमुन्द	मेसर्स प्रताप संथेटिक प्रा. लिमि.	14.11.2020	6000	10875.00	5477
12	कबीरधाम	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	19.11.2020	3000	10399.00	3510
13	कोरबा	मेसर्स मस्कट पॉलिमर प्रा. लिमि.	15.11.2020	2000	10395.00	0
14	जांजगीर चांपा	मेसर्स भागीरथी पैकेजिंग प्रा. लिमि.	14.11.2020	8000	10451.00	1668
15	राजनांदगांव	मेसर्स फॉरमोसा संथेटिक प्रा. लिमि.	19.11.2020	6000	10399.00	2204
		योग		70000		37512

नियम 46 (2) के अन्तर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "ग्यारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 2 (क्र. 98) के भाग (क) की जानकारी]
प्रपत्र "अ"

धान परिवहन एवं हमाली कार्य हेतु आमंत्रित निविदा की जानकारी

क्र.	वर्ष	धान परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा			हमाली कार्य हेतु आमंत्रित निविदा		
		निविदा दिनांक	क्र.	सम्मिलित निविदाकार का नाम	निविदा दिनांक	क्र.	सम्मिलित निविदाकार का नाम
1	2015-16	24.11.2015 से 15.12.2015	1	श्री दिनेश मिश्रा	19.10.2015 से 18.11.2015		निरक
			2	श्री संतोष कुमार अग्रवाल			
			3	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल			
			4	श्री दिनेश शर्मा			
				श्री कृष्ण अग्रवाल			
			5	श्री कृष्ण अग्रवाल			
2	2016-17	22.08.2016 से 22.09.2016	1	श्री दिनेश शर्मा	29.08.2016 से 29.09.2016	1	श्री विमल कुमार गोयल
			2	श्री जय प्रकाश गोयल		2	श्री दिनेश शर्मा
			3	श्री रामकुमार यादव		3	श्री नागरमल अग्रवाल
			4	श्री वाई.के. जैन		4	श्री पवन कुमार गोयल
			5	श्री दिनेश शर्मा		5	श्री कपिल अग्रवाल
						6	श्री संतोष कुमार अग्रवाल
		7	श्री सुमित बगड़िया				
		8	श्री यंत्र कुमार जैन				
		9	श्री उमेश पालीवाल				
		10	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल				
		11	श्री हेमलाल कश्यप				
		12	श्री रवि जैन				
3	2017-18	24.08.2017 से 25.09.2017	1	श्री यंत्र कमार जैन	27.08.2017 से 27.09.2017	1	श्री भोलाराम कश्यप
			2	श्री संतोष कुमार अग्रवाल		2	श्री दिनेश शर्मा
			3	श्री सुमित बगड़िया		3	श्री हेमलाल कश्यप
			4	श्री शंभु पालीवाल		4	श्री कपिल अग्रवाल
			5	श्री रामकुमार यादव		5	श्री पवन कुमार गोयल
			6	श्री विमल कुमार गोयल		6	श्री रामकुमार यादव
			7	श्री जय प्रकाश गोयल		7	श्री संतोष कुमार अग्रवाल
			8	श्री दिनेश शर्मा		8	श्री सुमित बगड़िया
			9	श्री राजेन्द्र अग्रवाल		9	श्री उमेश पालीवाल
			10	श्री दिनेश मिश्रा		10	श्री विमल कुमार गोयल
			11	श्री महेश शर्मा		11	श्री विष्णु अग्रवाल
		12	श्री संतोष कुमार यादव				
4	2018-19	05.09.2018 से 05.10.2018	1	श्री दिनेश मिश्रा	02.09.2018 से 03.10.2018	1	श्री दिनेश मिश्रा
			2	श्री आयुश शर्मा		2	श्री दिनेश शर्मा
			3	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल		3	श्री कपिल अग्रवाल
			4	श्री कृष्ण कुमार अग्रवाल		4	श्री पवन कुमार गोयल
			5	श्री जय प्रकाश गोयल		5	श्री रामकुमार यादव
			6	श्री सुमित बगड़िया		6	श्री वसी मोहम्मद
			7	श्री विमल कुमार गोयल		7	श्री संतोष कुमार अग्रवाल
			8	श्री संतोष कुमार यादव		8	श्री संतोष कुमार यादव
			9	श्री रामकुमार यादव		9	श्री उमेश पालीवाल
			10	श्री यंत्र कमार जैन		10	श्री विमल कुमार गोयल
			11	श्री कृष्ण अग्रवाल		11	श्री विष्णु अग्रवाल

क्र.	वर्ष	धान परिवहन हेतु आमंत्रित निविदा			हमाली कार्य हेतु आमंत्रित निविदा		
		निविदा दिनांक	क्र.	सम्मिलित निविदाकार का नाम	निविदा दिनांक	क्र.	सम्मिलित निविदाकार का नाम
5	2019-20	13.09.2019 से 14.10.2019	1	श्री दिनेश मिश्रा	12.10.2019 से 29.10.2019	1	श्री आयुश शर्मा
			2	श्री दिनेश शर्मा		2	श्री दिनेश शर्मा
			3	श्री जय प्रकाश गोयल		3	श्री दिनेश मिश्रा
			4	श्री महेश शर्मा		4	श्री कपिल अग्रवाल
			5	श्री राजेन्द्र अग्रवाल		5	श्री पवन कुमार गोयल
			6	श्री संतोष कुमार यादव		6	श्री महेश शर्मा
			7	श्री शंभु पालीवाल		7	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
			8	श्री कृष्ण अग्रवाल		8	श्री रामकुमार यादव
			9	श्री सूर्या रोड लाईन्स		9	श्री संतोष कुमार यादव
			10	श्री यंत्र कुमार जैन		10	श्री शंभुपालीवाल
						11	श्री उमेश पालीवाल
						12	श्री विमल कुमार गोयल
						13	श्री विष्णु अग्रवाल
						14	श्री यंत्र कुमार जैन
6	2020-21	01.10.2020 से 30.10.2020	1	श्री दिनेश मिश्रा	15.09.2020 से 15.10.2020	1	श्री दिनेश शर्मा
			2	श्री दिनेश शर्मा		2	श्री दिनेश मिश्रा
			3	दुर्गा कैरियर प्रा. लिमि.		3	फर्स्ट च्वाइस फ़ैसिलीटीज
			4	श्री हिमांशु अग्रवाल		4	श्री हिमांशु अग्रवाल
			5	श्री जय प्रकाश गोयल		5	श्री कपिल अग्रवाल
			6	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल		6	मे. कैलाश ट्रेडर्स
			7	श्री रामकुमार यादव		7	श्री पवन कुमार गोयल
			8	श्री शंभु पालीवाल		8	श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल
			9	श्री सुमित बगड़िया		9	श्री रामकुमार यादव
			10	श्री विमल कुमार गोयल		10	श्री संतोष कुमार अग्रवाल
			11	श्री यंत्र कुमार जैन		11	श्री संतोष कुमार यादव
						12	श्री शंभुपालीवाल
						13	सूर्या रोड लाईन्स
						14	सुष्मिता सिंह (टाईगर सिक्क्यूरिटी सर्विस)
		15	श्री उमेश पालीवाल				
		16	श्री विमल कुमार गोयल				
		17	श्री विष्णु अग्रवाल				
		18	श्री यंत्र कुमार जैन				

टीप :- खरीफ वर्ष 2015-16 में किसी भी निविदाकार द्वारा भौतिक रूप से टेकनीकल बीड जमा नहीं किया गया था। जिसके कारण खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 के स्वीकृत दर को खरीफ विपणन वर्ष 2015-16 के लिए लागू किया गया।

प्रपत्र "ब"

(1) धान परिवहन हेतु जारी कार्यादेश एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी :-

क्र.	वर्ष	कार्यादेश दिनांक	फर्म, संस्था का नाम	पता	भुगतान की गई राशि
1	2015-16	मुख्या. आदेश क्र. / विप. / 5598 / 2016 रायपुर, दिनांक 12.01.2016	श्री कृष्ण अग्रवाल	सक्ती	5794943
			श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	जांजगीर	14127419
			श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	8911074
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	11542584
			श्री उमेश शर्मा	बाराद्वार	7644414
			श्री नितिन कुमार अग्रवाल	सक्ती	9138930
			श्री संतोष कुमार अग्रवाल	नैला	3392891
			श्री शंभु पालीवाल	नैला	7579340
			श्री मृगेश सिंह कछवाहा	धुरकोट	5875505
			श्री रामचरण अग्रवाल	खरसिया	1528815
			श्री सुमित बगड़िया	अकलतरा	3401543
			श्री सत्यवान डउसेना	बोड़ासागर	1152710
			श्री जयप्रकाश गोयल	सक्ती	4166159
			श्री सूर्या रोड लाईन्स	जांजगीर	760401
			श्री वाई.के. जेन	नैला	1532422
			2	2016-17	मुख्या. आदेश क्र. / विप. / 5336 / 2016 रायपुर, दिनांक 02.12.2016
श्री सुनील कुमार शर्मा	बिलासपुर	2178579			
श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	5145528			
श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	16241279.22			
श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	5789416.25			
श्री जयप्रकाश गोयल	सक्ती	12458313.91			
श्री मृगेश सिंह कछवाहा	धुरकोट	4711777.38			
श्री नितिन कुमार अग्रवाल	सक्ती	12838776.15			
श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	जांजगीर	11081833.69			
श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	9570424.42			
3	2017-18	मुख्या. आदेश क्र. / विप. / 5917 / 2017 रायपुर, दिनांक 30.11.2017	सेवा सहकारी समिति डभरा	डभरा	341524.00
			श्री विमल कुमार गोयल	सक्ती	5354375.20
			श्री वाई.के. जैन	नैला	17254782.94
			श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	17199181.25
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	22961983.07
			श्री जयप्रकाश गोयल	सक्ती	20449321.65
			श्री नितिन कुमार अग्रवाल	सक्ती	15416726.93
			श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	1596228.35
श्री रवि जैन	नैला	1662239.55			
श्री विमल कुमार गोयल	सक्ती	10061357.48			
श्री वाई.के. जैन	नैला	19506261.93			

क्र.	वर्ष	कार्यदेश दिनांक	फर्म, संस्था का नाम	पता	भुगतान की गई राशि
4	2018-19	मुख्या. आदेश क्र. / विप. / एफ-5-6 / 49 42 / 2019 रायपुर, दिनांक 04.01.2019	श्री आयुश शर्मा	सक्ती	39643209.92
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	13142394.45
			श्री नितिन कुमार अग्रवाल	सक्ती	6947951.33
			श्री राजेन्द्रकुमार अग्रवाल	जांजगीर	15968283.48
			श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	10365043.66
			श्री संतोष कुमार यादव	जांजगीर	8669577.42
			श्री कृष्ण अग्रवाल	सक्ती	22099948.12
			श्री विमल कुमार गोयल	सक्ती	9955344.56
			श्री यंत्र कुमार जैन	नैला	37938239.51
5	2019-20	मुख्या. आदेश क्र. / विप. / एम / पी. -8 / 9 / 5008 / 2019 रायपुर, दिनांक 26.12. 2019	श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	29539675.37
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	45118502.19
			श्री जयप्रकाश गोयल	सक्ती	17902523.35
			श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	जांजगीर	9232139.81
			श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	10056284.37
			श्री संतोष कुमार यादव	जांजगीर	6888964.01
			श्री शम्भुपालीवाल	नैला	9853557.63
			श्री विमल कुमार गोयल	सक्ती	9032249.03
			श्री यंत्र कुमार जैन	नैला	5572593.09

टीप - उक्त प्रश्नांश अवधि में धान परिवहन कार्य हेतु निविदा में सफल निविदाकारों से अधिक निविदाकारों को भुगतान होना दर्शित हो रहा है, जिसका कारण सफल निविदाकार द्वारा कतिपय संग्रहण केन्द्रों में परिवहन कार्य नहीं किया जाना है, ऐसे संग्रहण केन्द्रों में सफल निविदाकार से सहमति उपरांत अन्य परिवहनकर्ताओं के माध्यम से निविदा शर्तों एवं नियमानुसार परिवहन कार्य कराया गया है।

(2) हमाली कार्य हेतु जारी कार्यादेश एवं भुगतान की गई राशि की जानकारी :-

क्र	वर्ष	दिनांक	फर्म, संस्था का नाम	पता	संग्रहण केन्द्र का नाम	भुगतान की गई
1	2015-16	मु. आदेश क्र. /विप. /6781/2016 रायपुर, दिनांक 18.02.2016	श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	शेरो / डभरा	3758129.00
			श्री मृगेश सिंह कछवाहा	धुरकोट	जांजगीर	190445.00
			श्री रवि जैन	नैला	जांजगीर/अकलतरा	1483971.00
2	2016-17	मु. आदेश क्र. /विप. /4861/2016 रायपुर, दिनांक 15.11.2016	श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	जांजगीर	
			श्री हेमलाल कश्यप	जांजगीर	अकलतरा	481140.00
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	सक्ती / शेरो	
			श्री कपिल अग्रवाल	सक्ती	डभरा	
3	2017-18	मु. आदेश क्र. /विप. /5945/2017 रायपुर, दिनांक 30.11.2017	श्री उमेश पालीवाल	नैला	सक्ती	1171568.00
			श्री विष्णु अग्रवाल	जांजगीर	अकलतरा / जांजगीर	2015147.00
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	सक्ती / शेरो	3067596.00
			श्री कपिल अग्रवाल	सक्ती	डभरा	1071747.00
			श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	शेरो / डभरा	1257000.00
4	2018-19	मु. आदेश क्र. /विप. /एफ-12-2/7645 रायपुर, दिनांक 02.03.2019	श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	सक्ती / शेरो	8002727.00
			श्री कपिल अग्रवाल	सक्ती	डभरा	3179007.00
			श्री रामकुमार यादव	जांजगीर	अकलतरा	1173924.00
			श्री संतोष यादव	जांजगीर	जांजगीर	423001.00
5	2019-20	मु. आदेश क्र. /विप. /एम. /टी/एच-2/95945/2017 रायपुर, दिनांक 30.11.2017	श्री उमेश पालीवाल	जांजगीर	सक्ती	1171568.00
			श्री विष्णु अग्रवाल	जांजगीर	अकलतरा / जांजगीर	2015147.00
			श्री दिनेश शर्मा	बाराद्वार	सक्ती / शेरो	3067596.00
			श्री कपिल अग्रवाल	सक्ती	डभरा	1071747.00
			श्री दिनेश मिश्रा	जांजगीर	शेरो / डभरा	1257000.00

टीप - उक्त प्रश्नांश अवधि में हमाली कार्य हेतु निविदा में भागीदार निविदाकारों से अधिक निविदाकारों को भुगतान होना दर्शित हो रहा है, जिसका कारण सफल निविदाकार द्वारा कतिपय संग्रहण केन्द्रों में हमाली कार्य नहीं किया जाना है, ऐसे संग्रहण केन्द्रों में सफल निविदाकार से सहमति उपरांत अन्य निविदाकार के माध्यम से निविदा शर्तों एवं नियमानुसार हमाली कार्य कराया गया है।

(3) धान परिवहन हेतु स्वीकृत दर की जानकारी :-

क्र.	खरीफ विपणन वर्ष	स्लैब	संग्रहण केन्द्र का नाम एवं स्वीकृत दर (प्रति टन प्रति किलोमीटर)				
			जांजगीर	अकलतरा	मुलमुला	बोड़ासागर एवं शेरो	पिरदा
1	2015-16	0-10 कि.मी. लोकल	25.36	25.36	25.36	24.89	24.89
2		0-25 कि.मी.	16.59	16.54	16.59	16.59	16.59
3		0-50 कि.मी.	9.43	9.64	9.30	9.64	9.64
4		0-75 कि.मी.	9.03	9.03	9.03	8.88	8.77
5		0-100 कि.मी.	7.62	7.56	7.56	6.98	6.98
क्र.	वर्ष	स्लैब	जांजगीर	अकलतरा	सक्ती	बोड़ासागर एवं शेरो	डभरा
1	2016-17	0-10 कि.मी. लोकल	24.15	24.15	24.15	24.15	24.15
2		0-25 कि.मी.	13.73	13.37	14.40	13.95	13.50
3		0-50 कि.मी.	8.39	7.97	8.79	8.46	8.46
4		0-75 कि.मी.	7.07	7.09	7.10	6.66	6.60
5		0-100 कि.मी.	5.94	6.66	6.10	5.24	5.24
6		0-200 कि.मी.	5.80	6.00	5.90	4.50	4.50
7		0-300 कि.मी.	5.00	-	5.09	3.06	3.06
8		0-400 कि.मी.	4.00	-	4.07	3.06	3.06
9		400 से अधिक	3.50	-	3.05	3.05	3.05
1	2017-18	0-10 कि.मी. लोकल	22.70	21.85	26.57	26.57	26.57
2		0-25 कि.मी.	11.67	10.69	15.84	15.35	14.85
3		0-50 कि.मी.	7.77	6.74	9.67	9.31	9.31
4		0-75 कि.मी.	6.75	6.65	7.81	7.33	7.26
5		0-100 कि.मी.	5.90	5.81	6.10	5.24	5.24
6		0-200 कि.मी.	5.70	5.81	5.90	4.52	4.52
7		0-300 कि.मी.	5.50	-	5.09	3.07	3.07
8		0-400 कि.मी.	4.00	-	4.07	3.07	3.07
9		400 से अधिक	3.75	-	3.05	3.05	3.05
क्र.	वर्ष	स्लैब	जांजगीर	अकलतरा	सक्ती	बोड़ासागर एवं शेरो	डभरा
1	2018-19	0-10 कि.मी. लोकल			15.25		
2		0-25 कि.मी.			8.75		
3		0-50 कि.मी.			6.23		
4		0-75 कि.मी.			5.08		
5		0-100 कि.मी.			3.79		
6		0-200 कि.मी.			2.72		
7		0-300 कि.मी.			2.49		
8		0-400 कि.मी.			2.35		
9		400 से अधिक			2.30		
1	2019-20	0-8 कि.मी. (फ्लैट रेट)			14.32		
2		8-20 कि.मी.			9.90		
3		20-40 कि.मी.			6.94		
4		40-80 कि.मी.			5.48		
5		80 कि.मी. से अधिक			4.38		

परिशिष्ट "बारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्र. 256) के भाग (क) से (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिलेवार पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) एवं स्टाम्प ड्यूटी से आय, वर्ष 2019-20

From Date 01/04/2019 To 31/03/2020				
Sl. No.	District Name	Stamp Fee (Rs. in Lakh)	Registration Fee (Rs. in Lakh)	Total (Rs. in Lakh)
1	बालोद	1315.92	588.29	1904.21
2	बलौदा बाजार	2542.89	1091.44	3634.33
3	बस्तर	1207.59	488.92	1696.51
4	बेमेतरा	2335.66	947.99	3283.65
5	बिलासपुर	10968.33	4107.73	15076.06
6	दंतेवाड़ा	22262.24	16656.44	38918.68
7	धमतरी	1673.13	723.71	2396.84
8	दुर्ग	12279.59	4830.82	17110.41
9	गरियाबंद	545.84	246.91	792.75
10	जांजगीर-चांपा	3944.22	1669.31	5613.53
11	जशपुर	394.94	170.34	565.28
12	कबीरधाम	1236.03	500.07	1736.10
13	कांकेर	476.66	199.44	676.10
14	कोरबा	1569.33	611.12	2180.45
15	कोरिया	550.32	243.38	793.70
16	महासमुंद	1438.97	618.45	2057.42
17	मुंगेली	1314.25	548.47	1862.72
18	नारायणपुर	52.14	23.96	76.10
19	रायगढ़	2778.42	1305.11	4083.53
20	रायपुर	29509.63	11462.55	40972.18
21	राजनंदगांव	3548.83	1339.85	4888.68
22	सरगुजा	1826.21	679.79	2506.00
23	बलरामपुर	105.82	54.39	160.21
24	बीजापुर	20.78	8.18	28.96
25	कौंडागांव	210.32	84.29	294.61
26	सुकमा	43.15	15.77	58.92
27	सूरजपुर	386.07	181.46	567.53
28	गौरैला-पेंडा-मरवाही	323.50	164.71	488.21
Total		104860.78	49562.89	154423.67

प्रपत्र "ब"

जिलेवार पंजीयन शुल्क (रजिस्ट्रेशन फीस) एवं स्टाम्प ड्यूटी से आय, वर्ष 2020-21

From Date 01/04/2020 To 28/01/2021				
Sl. No.	District Name	Stamp Fee (Rs. in Lakh)	Registration Fee (Rs. in Lakh)	Total (Rs. in Lakh)
1	बालोद	1085.20	697.59	1782.79
2	बलौदा बाजार	2718.04	1762.29	4480.33
3	बस्तर	916.04	441.02	1357.06
4	बेमेतरा	1739.24	1129.86	2869.11
5	बिलासपुर	7760.92	4046.52	11807.44
6	दंतेवाड़ा	139.28	76.40	215.68
7	धमतरी	1329.34	836.30	2165.64
8	दुर्ग	9245.29	4982.40	14227.69
9	गरियाबंद	452.38	291.31	743.69
10	जांजगीर-चांपा	2988.51	1978.33	4966.84
11	जशपुर	399.01	240.23	639.24
12	कबीरधाम	1204.32	803.27	2007.59
13	कांकेर	461.56	276.99	738.55
14	कोरबा	1290.63	728.66	2019.29
15	कोरिया	498.39	317.42	815.81
16	महासमुंद	1111.06	727.03	1838.09
17	मुंगेली	1031.68	682.81	1714.49
18	नारायणपुर	53.39	27.90	81.29
19	रायगढ़	2115.53	1292.53	3408.06
20	रायपुर	20659.17	10532.11	31191.28
21	राजनंदगांव	2791.17	1627.48	4418.65
22	सरगुजा	1244.37	743.90	1988.27
23	बलरामपुर	86.45	50.67	137.12
24	बीजापुर	32.36	14.34	46.70
25	कोंडागांव	170.07	84.99	255.06
26	सुकमा	53.84	28.60	82.44
27	सूरजपुर	278.53	188.54	467.07
28	गौरैला-पेंड्रा-मरवाही	239.40	167.74	407.14
Total		62095.17	34777.23	96872.40

प्रपत्र "स"


छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला - रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 30.04.2020

क्रमांक एफ 03-23/2020/वा.क.(पं.)/पॉच/पार्ट : : नोवेल कोरोना वायरस(Covid-19) के सर्वव्यापी महामारी से संक्रमण की संभावना एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के नियम 12-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा वर्ष 2019-20 की प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों तथा उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में दिनांक 30 जून, 2020 तक की वृद्धि की जाती है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार



(संगीता पी.)
सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग

पृ.क्र.एफ 03-23/2020/वा.क.(पं.)/पॉच/पार्ट नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक : 30.04.2020
प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
3. संभागायुक्त, समस्त संभाग, छत्तीसगढ़।
4. अध्यक्ष केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
5. अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति एवं कलेक्टर (समस्त जिला), छत्तीसगढ़।
6. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में समुचित प्रचार प्रसार हेतु।
7. संयोजक जिला मूल्यांकन समिति एवं जिला पंजीयक(समस्त), छत्तीसगढ़।



प्रपत्र "द"

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर
अटल नगर, जिला - रायपुर

// आदेश //

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 मई 2020

क्रमांक एफ 03-41/2019/वा.क.(पं.)/पॉच : : नोवेल कोरोना वायरस(Covid-19) के सर्वव्यापी महामारी से संक्रमण की संभावना एवं सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांतों का बनाया जाना और उनका पुनरीक्षण नियम-2000 के नियम 12-क में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, वर्ष 2019-20 की प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों तथा उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में दिनांक 30 जून 2020 तक वृद्धि की गई थी।

आम नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन एतद्वारा प्रभावी बाजार मूल्य गाईड दरों तथा उसके उपबंधों की प्रभावशीलता तिथि में दिनांक 31 मार्च 2021 तक वृद्धि करता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

Mt. 889
22-05-2020
(मरियानुस तिग्गा)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

वाणिज्यिक कर(पंजीयन) विभाग

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 22 मई 2020

पृ.क्र.एफ 03-41/2019/वा.क.(पं.)/पॉच,
प्रतिलिपि :-

1. माननीय मुख्यमंत्री जी के अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
2. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
3. संभागायुक्त, समस्त संभाग, छत्तीसगढ़।
4. अध्यक्ष केन्द्रीय मूल्यांकन बोर्ड एवं महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर अटल नगर(छ.ग.)
5. अध्यक्ष, जिला मूल्यांकन समिति एवं कलेक्टर (समस्त जिला), छत्तीसगढ़।
6. आयुक्त जनसंपर्क, संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में समुचित प्रचार प्रसार हेतु।
7. संयोजक जिला मूल्यांकन समिति एवं जिला पंजीयक(समस्त), छत्तीसगढ़

Mt. 889
22-05-2020

परिशिष्ट "तेरह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 7 (क्र. 429) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2020-21 में आदर्श संस्था के रूप में विकसित करने हेतु अनुरक्षण/लघु निर्माण की जानकारी

(राशि रु.लाखों में)						
क	संस्था का नाम	विकासखण्ड	तकनीकी स्वीकृति	मुल्यांकन राशि	भुगतान राशि	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास लखनपुरी	चारामा	69.59	50.315	48.299	राधा स्वामी शौचालय एवं स्नानागार निर्माण कार्य, फ्लोर एवं दिवाल टाईल्स फिटिंग कार्य, पुट्टी, पोर्च निर्माण, मुख्य भवन दिवार प्लास्टर, हाल मरम्मत, रूम मरम्मत, ग्रेनाइट फिटिंग, फ्लोर टाईल्स, छत मरम्मत, सिन्टेक्स टंकी कार्य, पेराकोटा टाईल्स, नवीन डायनिंग हाल निर्माण, प्लंबर कार्य, पाथवे निर्माण कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
2	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कापसी	कोयलीबेड़ा	22.95	8.674	8.603	फ्लोर टाईल्स फिटिंग, बेसिन, वेन्टीलेटर, छज्जा मरम्मत, क्यारी मरम्मत कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
3	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास नरहरपुर	नरहरपुर	22.00	7.547	7.30	शौचालय मरम्मत, प्लीथ मरम्मत कार्य, छत मरम्मत कार्य, बेस कार्य, पानी निकासी कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
4	आदिवासी बालक आश्रम मर्दापोटी	कांकेर	24.73	16.805	16.785	डाईनिंग हॉल, कंप्यूटर कक्ष, लाईब्ररी कक्ष, अतिरिक्त कक्ष, किचन सेड शौचालय मरम्मत कार्य, विद्युत वायरिंग कार्य एवं पुट्टी कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
5	आदिवासी बालक आश्रम कुलगांव	कांकेर	5.31	4.744	4.512	पेवर ब्लाक (पाथ वे) निर्माण, नवीन बाउंड्रीवाल (अहाता निर्माण) कार्य, विद्युत मरम्मत एवं रंगाई पोताई कार्य कराया गया है।
6	आदिवासी कन्या आश्रम कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	23.70	4.468	4.468	टायलेट, बाथरूम, एवं फ्लोर में टाईल्स फिटिंग कार्य एवं वेन्टीलेटर कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
7	आदिवासी कन्या आश्रम भानबेड़ा	भानुप्रतापपुर	17.00	9.457	7.00	शौचालय में दिवार एवं फ्लोर टाईल्स फिटिंग कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
8	आदिवासी कन्या आश्रम हाटकोन्दल	दुर्गुकोन्दल	20.00	9.347	8.518	टाईल्स फिटिंग कार्य, रेक निर्माण कार्य, दिवाल मरम्मत, वेंटिलेशन लगाने का कार्य, किचन प्लेटफार्म बनाने का कार्य, शौचालय निर्माण कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
9	आदिवासी कन्या आश्रम अंतागढ़	अंतागढ़	24.00	5.129	5.00	टाईल्स फिटिंग, बेसिन, पुट्टी कार्य, विद्युत वायरिंग खुदाई कार्य कराया गया है। शेष कार्य कराये जा रहे हैं।
10	आदिवासी बालक आश्रम सोनपुर	नरहरपुर	24.24	9.99	9.902	छत मरम्मत कार्य, पेवर ब्लाक(पाथवे) निर्माण, नाली निर्माण, पानी टंकी निर्माण, स्टेज निर्माण, प्लीथ प्रोटेक्शन कार्य, कक्ष फिलिंग कार्य कराया गया है।
योग :-			253.52	126.477	120.388	

प्रपत्र "ब"

वर्ष 2020-21 में आदर्श संस्था के रूप में विकसित करने हेतु अनुरक्षण/लघु निर्माण कार्य की अद्यतन स्थिति की जानकारी

क	संस्था का नाम	विकासखण्ड	कार्य की अद्यतन स्थिति
1	2	3	4
1	प्री.मै.आदिवासी बालक छात्रावास लखनपुरी	चारामा	कार्य पूर्णता पर है।
2	प्री.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास कापसी	कोयलीबेड़ा	कार्य पूर्णता पर है।
3	पो.मै.आदिवासी कन्या छात्रावास नरहरपुर	नरहरपुर	70 प्रतिशत कार्य पूर्ण
4	आदिवासी बालक आश्रम मर्दापोटी	कांकेर	फिनिशिंग कार्य प्रगति पर
5	आदिवासी बालक आश्रम कुलगाँव	कांकेर	कार्य पूर्ण
6	आदिवासी कन्या आश्रम कोयलीबेड़ा	कोयलीबेड़ा	कार्य पूर्णता पर है।
7	आदिवासी कन्या आश्रम भानबेड़ा	भानुप्रतापपुर	कार्य पूर्णता पर है।
8	आदिवासी कन्या आश्रम हाटकोन्दल	दुर्गकोन्दल	कार्य पूर्णता पर है।
9	आदिवासी कन्या आश्रम अंतागढ़	अंतागढ़	कार्य पूर्णता पर है।
10	आदिवासी बालक आश्रम सोनपुर	नरहरपुर	कार्य पूर्ण

परिशिष्ट "चौदह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 9 (क्र. 902) की जानकारी]

विधानसभा क्षेत्र का नाम	शाला का स्तर	पद का नाम	स्वीकृत	रिक्त
1	2	3	4	5
जैजेपुर	प्राथमिक शाला	प्रधान पाठक	297	251
		सहायक शिक्षक / सहायक शिक्षक (पं.)	905	31
	पूर्व माध्यमिक शाला	प्रधान पाठक	152	131
		शिक्षक / शिक्षक (पं.)	650	110
	हाई स्कूल	प्राचार्य	25	25
		व्याख्याता / व्याख्याता (पं.)	150	26
		सहायक शिक्षक विज्ञान / सहायक शिक्षक विज्ञान (पं.)	21	14
		प्राचार्य	38	32
	हायर सेकेण्ड्री	व्याख्याता / व्याख्याता (पं.)	497	141
		सहायक शिक्षक विज्ञान / सहायक शिक्षक विज्ञान (पं.)	113	71
		व्यायाम शिक्षक / व्यायाम शिक्षक (पं.)	38	30
		योग	2886	862

परिशिष्ट "पंद्रह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 15 (क्र. 1291) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क.	अवधि	जिला	वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या						
			व्यक्तिगत			सामुदायिक	सामुदायिक वन संसाधन	योग (7+8)	महायोग (6+9)
			एसटी	ओटी एफडी	योग (4+5)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	वर्ष 01 दिसंबर 2018 से 03.02. 2021 तक	कोरिया	1611	218	1829	476	98	574	2403
2		सरगुजा	516	412	928	394	30	424	1352
3		जशपुर	884	635	1519	301	12	313	1832
4		रायगढ़	85	62	147	3406	256	3662	3809
5		कोरबा	381	243	624	482	126	608	1232
6		जांजगीर-चांपा	19	5	24	215	18	233	257
7		बिलासपुर	502	38	540	296	17	313	853
8		कबीरघाम	291	280	571	878	13	891	1462
9		राजनांदगांव	1676	1188	2864	681	56	737	3601
10		महासमुंद	14	31	45	49	54	103	148
11		धमतरी	238	51	289	467	6	473	762
12		कांकेर	1201	385	1586	4854	331	5185	6771
13		बस्तर	602	32	634	169	123	292	926
14		नारायणपुर	35	23	58	539	0	539	597
15		दंतेवाड़ा	455	163	618	912	61	973	1591
16		बीजापुर	1736	133	1869	1501	229	1730	3599
17		सुकमा	1553	196	1749	280	175	455	2204
18		कोण्डागांव	0	119	119	1191	120	1311	1430
19		गरियाबंद	148	186	334	427	32	459	793
20		बलौदाबाजार	1171	987	2158	4	5	9	2167
21		बलरामपुर	3335	756	4091	1078	344	1422	5513
22		सूरजपुर	696	429	1125	529	7	536	1661
23		बालोद	0	0	0	781	2	783	783
24		मुंगेली	0	0	0	15	9	24	24
25		गौरैला	1106	0	1106	97	51	148	1254
		योग	18255	6572	24827	20022	2175	22197	47024

प्रपत्र "ब"

क.	अवधि	जिला	प्राप्त आवेदनों/दावों की संख्या						स्वीकृत आवेदनों/दावों की संख्या						निरस्त आवेदनों/दावों की संख्या					
			व्यक्तिगत			सामुदायिक	सामुदायिक वन संसाधन	योग	व्यक्तिगत			सामुदायिक	सामुदायिक वन संसाधन	योग	व्यक्तिगत			सामुदायिक	सामुदायिक वन संसाधन	योग
			एसटी	ओटी एफडी	योग				एसटी	ओटी एफडी	योग				एसटी	ओटी एफडी	योग			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	वर्ष 01 जनवरी 2019 के पश्चात् अद्यतन स्थिति	कोरिया	1611	218	1829	476	98	574	1611	218	1829	476	98	574	0	0	0	0	0	0
2		सरगुजा	532	448	980	394	216	610	516	412	928	394	216	610	16	36	52	0	0	0
3		जशपुर	884	635	1519	301	357	658	884	635	1519	301	357	658	0	0	0	0	0	0
4		रायगढ़	87	74	161	3415	256	3671	86	71	157	3415	256	3671	1	3	4	0	0	0
5		कोरबा	381	243	624	482	126	608	381	243	624	482	126	608	0	0	0	0	0	0
6		जांजगीर-चांपा	19	5	24	180	18	198	19	5	24	180	18	198	0	0	0	0	0	0
7		बिलासपुर	0	0	0	374	17	391	0	0	0	296	17	313	0	0	0	0	0	0
8		कबीरघाम	291	280	571	878	13	891	291	280	571	878	13	891	0	0	0	0	0	0
9		राजनांदगांव	1676	1188	2864	682	56	738	1676	1188	2864	681	56	737	0	0	0	1	0	1
10		महासमुंद	0	0	0	49	54	103	14	31	45	49	54	103	0	0	0	0	0	0
11		धमतरी	238	51	289	467	6	473	238	51	289	467	6	473	0	0	0	0	0	0
12		कांकेर	1201	385	1586	4854	381	5235	1201	385	1586	4854	381	5235	0	0	0	0	0	0
13		बस्तर	602	32	634	169	123	292	602	32	634	169	123	292	0	0	0	0	0	0
14		नारायणपुर	35	23	58	539	0	539	35	23	58	539	0	539	0	0	0	0	0	0
15		दंतेवाड़ा	455	163	618	912	61	973	455	163	618	912	61	973	0	0	0	0	0	0
16		बीजापुर	1736	133	1869	1501	229	1730	1736	133	1869	1501	229	1730	0	0	0	0	0	0
17		सुकमा	2209	196	2405	315	315	630	1553	196	1749	280	175	455	0	0	0	0	0	0
18		कोण्डागांव	9273	14164	23437	1320	120	1440	2115	2828	4943	1191	120	1311	0	0	0	0	0	0
19		गरियाबंद	0	0	0	501	32	533	0	0	0	427	32	459	0	0	0	0	0	0
20		बलौदाबाजार	1186	994	2180	4	5	9	1171	987	2158	4	5	9	0	0	0	0	0	0
21		बलरामपुर	0	0	0	1078	344	1422	3335	756	4091	1078	344	1422	0	0	0	0	0	0
22		सूरजपुर	0	0	0	527	7	534	696	429	1125	529	7	536	0	0	0	0	0	0
23		बालोद	0	0	0	807	2	809	0	0	0	807	2	809	0	0	0	0	0	0
24		मुंगेली	0	0	0	25	9	34	0	0	0	15	9	24	0	0	0	0	0	0
25		गौरेला	0	0	0	97	51	148	1106	0	1106	97	51	148	0	0	0	0	0	0
	योग		22416	19232	41648	20347	2896	23243	19721	9066	28787	20022	2756	22778	17	39	56	1	0	1

प्रपत्र "स"

कं	जिला	अधिनियम के प्रारंभ से निरस्त वन अधिकार पत्रों की संख्या			की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति
		व्यक्तिगत	सामुदायिक	योग	
1.	सरगुजा	2079	0	2079	--
2.	कबीरधाम	03	0	03	--
3.	दंतेवाड़ा	13	0	13	निरस्त 13 वन अधिकार पत्रों के धारकों को अन्य स्थान पर नवीन वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया है।
	योग:-	2095	0	2095	

शेष जिलों में निरस्त वन अधिकार पत्रों की संख्या निरंक है।

परिशिष्ट "सोलह"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 18 (क्र. 1597) के भाग (ख) की जानकारी]

द्वारा श्री कृष्णमूर्ति बांधी, माननीय सदस्य विधानसभा

जिलेवार जानकारी वर्ष 2020-21

क्र	जिले का नाम	2020-21		रिमाक
		रकबा कम करने की शिकायतों की संख्या	शिकायतों पर की गई कार्यवाही	
1	2	5	6	7
1	रायपुर	1624	1624	-
2	बलौदाबाजार	4594	4594	-
3	गरियाबंद	1738	1738	-
4	महासमुन्द	1378	1378	-
5	धमतरी	701	701	-
6	दुर्ग	1054	1054	-
7	बालोद	792	792	-
8	बेमेतरा	2010	2010	-
9	राजनांदगांव	3125	3125	-
10	कबीरधाम	4110	4110	-
11	बस्तर	288	288	-
12	कोंडागांव	2463	2463	-
13	नारायणपुर	123	123	जांच पश्चात 77 आवेदन सही पाए जाने पर रकबे में सुधार किया गया ,46 आवेदन गलत पाए जाने पर निरस्त किया गया
14	कांकेर	1092	1092	-
15	दन्तेवाड़ा	409	409	-
16	सुकमा	70	70	-
17	बीजापुर	0	0	-
18	बिलासपुर	2595	2595	2595 कृषकों के द्वारा शिकायत करने पर जांच पश्चात सही पाए जाने पर 2384 कृषकों के रकबे में सुधार किया गया
19	मुंगेली	1585	1585	1585 कृषकों के द्वारा शिकायत करने पर जांच पश्चात सही पाए जाने पर 1224 कृषकों के रकबे में सुधार किया गया
20	जांजगीर	358	358	-
21	कोरबा	1775	1775	-
22	सरगुजा	1877	1877	शिकायतों की जांच उपरांत सही पाए जाने पर 1684 कृषकों के रकबे में सुधार किया गया
23	बलरामपुर	3449	3449	-
24	सूरजपुर	1326	1326	-

25	कोरिया	104	104	-	183
26	रायगढ़	5922	5922	-	
27	जशपुर	174	174	-	
28	गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही	403	403	जांच उपरांत सही पाए जाने पर 306 कृषकों के रकबे में सुधार किया गया 97 आवेदकों के रकबे में जांच उपरांत सुधार की आवश्यकता नहीं पाई गई	
योग :-		45139	45139	-	

A A A

परिशिष्ट "सत्रह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1638) के भाग (क) की जानकारी]

छत्तीसगढ़ शिक्षक (पं.) संवर्ग (भर्ती तथा सेवा की शर्तों) नियम, 2012 के अनुसार शिक्षाकर्मि वर्ग-01, 02 व 03 की भर्ती में निर्धारित पात्रता

(अ) व्याख्याता (पं.) (शिक्षाकर्मि वर्ग-01)

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्न लिखित विषयों में से किसी एक विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं बी.एड. की उपाधि—

क.	विषय	विषय समूह
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी
2	हिन्दी	हिन्दी
3	भौतिकी	भौतिकी / इलेक्ट्रॉनिक्स / एप्लाइड भौतिकी / न्यूक्लियर भौतिकी
4	रसायन	रसायन / बायोकेमेस्ट्री
5	अर्थशास्त्र	अर्थशास्त्र / एप्लाइड अर्थशास्त्र / बिजनेस अर्थशास्त्र
6	वाणिज्य	एकाउन्टेसी सहित वाणिज्य / कास्ट एकाउन्टिंग / फाइनेन्सियल एकाउन्टेसी एक मुख्य विषय हो।
7	गणित	गणित / एप्लाइड गणित
8	जीवविज्ञान	वनस्पति शास्त्र / प्राणीशास्त्र / मानव विज्ञान (लाइफ साइन्स) / जैविकी / अनुवांशिकी (जेनेटिक्स) / सूक्ष्म जैविकी (माइक्रोबायोलॉजी) / जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नॉलाजी) / आणविक जीव विज्ञान (मालिकुलर बायोलॉजी) / पादप कार्बिकी (प्लान्ट फिजियोलॉजी) तथा स्नातक स्तर पर प्राणीशास्त्र एवं वनस्पतिशास्त्र विषय रहा हो।
9	भूगोल	भूगोल
10	समाजशास्त्र	समाजशास्त्र
11	मनोविज्ञान	मनोविज्ञान
12	गृह विज्ञान	गृह विज्ञान
13	कृषि	कृषि
14	व्यावसायिक गणित	व्यावसायिक गणित
15	कम्प्यूटर साईंस	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.ई./बी.टेक. (कम्प्यूटर साईंस/सूचना प्रौद्योगिकी) या बी.ई./बी.टेक. (किसी भी ब्रांच से) में कम से कम 50 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण और कम्प्यूटर में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एम.एस.सी. (कम्प्यूटर साईंस/कम्प्यूटर एप्लीकेशन) में स्नातकोत्तर डिग्री।
16	इतिहास	इतिहास / भारत प्राचीन इतिहास
17	राजनीति विज्ञान	राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन
18	संस्कृत	एम.ए. संस्कृत / एम.ए. (क्लासिक्स) / संस्कृत में (आचार्य) स्नातकोत्तर उपाधि

(ब) शिक्षक (पं.) (शिक्षाकर्मी वर्ग-02) हेतु न्यूनतम अर्हताएँ—

शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता— किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से निम्नलिखित योग्यता हो :-

(क) स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंको से साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा में 4 वर्षीय स्नातक (बी.एल.एड.)।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (या इसके समकक्ष) एवं 4 वर्षीय बी.ए.एड./बी.एस.सी.एड.।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एक वर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा)।

तथा

(ख) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए जारी किए दिशा-निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा अयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण।

(ग) उपरोक्त स्नातक उपाधि में स्नातक विषय निम्नानुसार होंगे—

क.	विषय	विषय समूह
1	2	3
1	अंग्रेजी	अंग्रेजी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
2	हिन्दी	हिन्दी साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो।
3	सामाजिक विज्ञान	कोई दो विषय— इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान इनमें से एक भूगोल या इतिहास विषय अनिवार्य होगा।

4	विज्ञान	रसायन, बायोकेमेस्ट्री, फार्मसी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, सैन्य विज्ञान, भू-गर्भ विज्ञान, इंजीनियरिंग में स्नातक ।
5	संस्कृत	संस्कृत साहित्य स्नातक स्तर पर एक विषय रहा हो अथवा बी.ए. (क्लासिक्स) अथवा संस्कृत में आचार्य स्नातक उपाधि ।
6	गणित	गणित के साथ निम्नलिखित में से कोई दो विषय- भौतिक/रसायन/इलेक्ट्रॉनिक्स/कम्प्यूटर साईस/सांख्यिकी सैन्य विज्ञान एवं भू-गर्भ विज्ञान । अथवा इंजीनियरिंग विषय में स्नातक जैसे बी.ई./बी.टेक
7	लाईब्रेरियन	लाईब्रेरी साईस में उपाधि या स्नातक एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से लाईब्रेरी साईस में एक वर्षीय डिप्लोमा ।

(स) सहायक शिक्षक (पं.) (शिक्षाकर्मी वर्ग-03) हेतु न्यूनतम अर्हताएँ-

(एक) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो)

अथवा

न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो) जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (मान्यता, मानदण्ड और क्रियाविधि) विनियम, 2002 के अनुसार प्राप्त किया होना चाहिए ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसके समकक्ष) तथा प्रारंभिक शिक्षा (बी.एल.एड.) में चार वर्षीय उपाधि ।

अथवा

न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक (अथवा इसे समकक्ष) तथा शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) में द्विवर्षीय डिप्लोमा ।

तथा

(दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा इस प्रायोजन के लिए जारी किये गये दिशा-निर्देश के अनुसार समुचित सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) उत्तीर्ण ।

टीप- 1. आरक्षण नीति:- आरक्षित श्रेणियों जैसे कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी से संबंधित अभ्यर्थियों को अर्हता अंकों में 5 प्रतिशत तक की छूट दी जायेगी ।

2. न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में शिथिलता :- यदि सहायक शिक्षक (पंचायत) एवं शिक्षक (पंचायत) की नियुक्ति में डी.एड. एवं बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो निम्नानुसार शिथिलता प्रदान की जायेगी :-

(क) कक्षा पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (चाहे उसे किसी नाम से जाना जाता हो)।

~~(ख) कक्षा छठवीं से आठवीं तक अध्यापन हेतु नियुक्ति के लिए शिक्षा में एकवर्षीय उपाधि।~~

उपरोक्त छूट 31 मार्च 2014 तक प्रभावशील रहेगी। ऐसी शिथिलता के फलस्वरूप नियुक्त शिक्षक (पं.) संवर्ग के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के दो वर्ष के भीतर न्यूनतम अर्हता ग्रहण करनी होगी।

2(क). यदि व्याख्याता (पं.) के पद पर नियुक्ति के लिये बी.एड. उपाधिधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न हों, तो ऐसे मामलों में छूट दी जा सकेगी, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को उनकी नियुक्ति की तारीख से 03 वर्ष के अंदर बी.एड. पाठ्यक्रम में उपाधि प्राप्त करनी होगी।

3. अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में न्यूनतम प्राप्त अंक :-

(क) उच्चतर माध्यमिक या समकक्ष आवेदकों को कक्षा पहली से पांचवीं में अध्यापन के लिए न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ख) स्नातक आवेदकों को कक्षा छठवीं से आठवीं में अध्यापन के लिये न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/निःशक्त श्रेणी के उच्च माध्यमिक या समकक्ष तथा स्नातक आवेदकों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना होगा।

परिशिष्ट "अट्टारह"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1642) के भाग (ख) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले की वन पट्टाधारी कृषकों की जानकारी

(मात्रा लि. में)

क्रमांक	विकासखंड का नाम	समिति / उपार्जन केंद्र का नाम	पंजीकृत वनपट्टाधारी किसानों की संख्या	धान बेचने वाले किसानों की संख्या	धान नहीं बेचने वाले किसानों की संख्या	धान की मात्रा
1	खैरागढ़	मुढीपार /गातापारजंगल	67	55	12	802.40
2	चौकी	आतरगांव /आतरगांव	4	4	0	82.40
3	चौकी	कौडीकसा /कौडीकसा	94	85	9	1565.20
4	चौकी	चिल्हाटी /चिल्हाटी	16	15	1	326.00
5	चौकी	चौकी /चौकी	5	4	1	76.80
6	चौकी	विचारपुर/विचारपुर	29	28	1	513.60
7	छुईखदान	गोपालपुर /श्यामपुर	11	10	1	82.00
8	छुईखदान	नचनिया /नचनिया	93	63	30	1404.80
9	छुईखदान	पैलीमेटा /पैलीमेटा	55	54	1	1334.40
10	छुईखदान	बकरकटटा /बकरकटटा	409	355	54	6778.00
11	छुईखदान	भोथली /भोथली	3	2	1	24.40
12	छुईखदान	रामपुर/रामपुर	140	113	27	2375.20
13	छुरिया	उमरवाही /उमरवाही	4	4	0	143.60
14	छुरिया	कल्लू बंजारी /कल्लू बंजारी	49	45	4	1069.20
15	छुरिया	कुहीकला /जयसिंगटोला	26	23	3	435.60
16	छुरिया	छुरिया /छुरिया	31	28	3	508.00
17	छुरिया	बम्हनी चारभाठा /बम्हनी चारभाठा	134	117	17	1956.80
18	छुरिया	मटिया /गोडलवाही	23	20	3	328.80
19	छुरिया	मटिया /संबलपुर	36	35	1	514.00
20	छुरिया	लालूटोला/लालूटोला	43	41	2	954.80
21	छुरिया	सड़क छिरछारी (खोमा) /खोभा	110	104	6	1949.60
22	छुरिया	सड़क छिरछारी (खोमा) /सड़क छिरछारी	32	31	1	574.80
23	डोंगरगढ़	अछोली/अछोली	6	5	1	101.60
24	डोंगरगढ़	चारभाठा/चारभाठा	100	96	4	3007.20
25	डोंगरगढ़	छीपा/छीपा	10	9	1	461.20
26	डोंगरगढ़	ठाकुरटोला/ठाकुरटोला	2	2	0	65.60
27	डोंगरगढ़	ढारा /ढारा	3	3	0	46.80
28	डोंगरगढ़	पनियाजोब /पनियाजोब	1	1	0	160.00
29	डोंगरगढ़	बागरेकसा/बागरेकसा	31	27	4	774.80
30	डोंगरगढ़	बोरतलाव /बोरतलाव	25	20	5	258.80
31	डोंगरगढ़	मडियान /मडियान	44	34	10	538.80
32	डोंगरगढ़	मेढा /मेढा	1	1	0	83.20
33	डोंगरगढ़	रुवांतला/कसारी	2	2	0	135.20
34	डोंगरगढ़	लालबहादुर नगर /लालबहादुर नगर	1	1	0	13.60
35	मानपुर	औधी /औधी	677	619	58	17649.60
36	मानपुर	खरदी/खरदी	97	82	15	2312.40
37	मानपुर	भरीटोला /भरीटोला	87	55	32	1579.20
38	मानपुर	मानपुर /मानपुर	384	325	59	7224.40
39	मानपुर	सीतागांव/सीतागांव	340	303	37	8708.40
40	मोहला	गोटाटोला /गोटाटोला	64	55	9	847.60
41	मोहला	भोजटोला/भोजटोला	231	204	27	3927.60
42	मोहला	मटेवा/मटेवा	67	63	4	1187.60
43	मोहला	मोहला /मोहला	319	301	18	6195.20
44	मोहला	रेगाकठेरा /रेगाकठेरा	5	4	1	74.80
योग :-			3911	3448	463	79154.00

परिशिष्ट 'उन्नीस'

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 24 (क्र. 1646) के भाग (ख) की जानकारी]

जिलेवार स्वीकृत की गई राशि

क्र.	जिला का नाम	स्वीकृत राशि (राशि रु. लाख में)
1	2	3
1	जाजगीर	46.62
2	जशपुर	5.00
3	रायगढ़	50.00
4	राजनांदगाव	19.00
5	बलौदाबाजार	25.00
6	मुंगेली	20.00
7	कबीरघाम	17.00
8	बिलासपुर	25.00
9	बालोद	8.80
10	बेभेतरा	7.00
11	रायपुर	17.20
		240.62

परिशिष्ट "बीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1690) के भाग (क) की जानकारी]

जांजगीर-चांपा जिले में संचालित हायर सेकेण्डरी, हाईस्कूल, पूर्व माध्यमिक शाला व प्राथमिक शालाओं की विकासखण्डवार जानकारी निम्नानुसार है :—

क्र	विकासखण्ड	प्राथमिक शाला	पूर्व माध्यमिक शाला	हाईस्कूल	हायर सेकेण्डरी	योग
1	अकलतरा	118	68	10	14	210
2	बलौदा	152	80	13	20	265
3	बम्हनीडीह	138	80	11	20	249
4	नवागढ़	199	104	18	25	346
5	पामगढ़	160	76	18	16	270
6	सक्ती	185	84	11	17	297
7	मालखरौदा	178	98	8	24	308
8	डभरा	208	95	9	20	332
9	जैजैपुर	194	85	17	24	320
	योग	1532	770	115	180	2597

परिशिष्ट "ईवकीस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1691) की जानकारी]

हायर सेकण्डरी स्कूल का जिलेवार ग्रंथपालों के पदों की जानकारी

क्र.	जिले का नाम	हायर सेकण्डरी स्कूलों की संख्या	हायर सेकण्डरी स्कूलों में ग्रंथालय की संख्या	कुल पद		
				स्वी.	कार्य.	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7
1	बालोद	127	127	127	22	105
2	बलोदाबाजार	159	158	158	1	157
3	बलरामपुर	72	72	72	26	46
4	जगदलपुर	101	101	101	0	101
5	बेमेतरा	94	94	94	8	86
6	बीजापुर	29	29	29	0	29
7	बिलासपुर	113	110	110	21	89
8	दन्तेवाड़ा	28	28	28	0	28
9	धमतरी	111	111	111	49	62
10	दुर्ग	127	72	124	4	120
11	गरियाबंद	73	73	73	0	73
12	जाजगीर	95	95	95	2	93
13	जशपुर	79	77	77	1	76
14	कवर्धा	76	76	74	0	74
15	कांकर	135	135	135	1	134
16	कोण्डागांव	95	94	94	0	94
17	कोरबा	89	89	80	0	80
18	कोरिया (बैकुण्ठपुर)	74	74	74	0	74
19	महासमुंद	119	119	119	30	89
20	मुंगेली	63	62	62	13	49
21	नारायणपुर	20	20	22	0	22
22	रायपुर	149	129	129	26	103
23	रायगढ़	161	161	161	0	161
24	राजनादगांव	202	196	196	8	188
25	सुकमा	17	17	13	0	13
26	सूरजपुर	97	93	93	0	93
27	सरगुजा	72	68	68	26	42
28	सवित्त	85	85	85	0	85
29	पेण्ड्रा मारवाही	34	32	32	0	32
	योग-	2696	2597	2636	238	2398

परिशिष्ट "बाईस"

[परिवर्तित अतारंकित प्रश्न संख्या 32 (क्र. 1714) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

वर्ष 2019-20

क्र.	जिला का नाम	आश्रम/छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत राशि (लाख में)		
		विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत	योग	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत	योग
1	बस्तर	4	10	14	80.00	50.00	130.00
2	कोण्डागांव	4	65	69	80.00	325.00	405.00
3	बीजापुर	2	85	87	40.00	424.00	464.00
4	दंतेवाड़ा	2	55	57	40.00	275.00	315.00
5	सुकमा	2	65	67	40.00	325.00	365.00
6	नारायणपुर	2	70	72	40.00	350.00	390.00
7	कांकेर	3	15	18	60.00	75.00	135.00
	योग	19	365	384	380.00	1824.00	2204.00

संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से प्राप्त/स्वीकृत राशि वर्ष 2020-21 में पुनराबंटित की गई है।

वर्ष 2020-21

क्र.	जिला का नाम	आश्रम/छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत राशि (लाख में)		
		विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत	योग	विशेष केन्द्रीय सहायता मद अंतर्गत	संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत	योग
1	बस्तर	7	-	7	28.00	-	28.00
2	कोण्डागांव	5	-	5	20.00	-	20.00
3	बीजापुर	4	-	4	16.00	-	16.00
4	दंतेवाड़ा	3	-	3	12.00	-	12.00
5	सुकमा	4	-	4	16.00	-	16.00
6	नारायणपुर	4	-	4	16.00	-	16.00
7	कांकेर	5	-	5	20.00	-	20.00
	योग	32		32	128.00		128.00

वर्ष 2020-21 में संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय से इस योजना में बस्तर संभाग के जिलों हेतु 912.00 लाख की राशि प्राप्त हुई है, जिसकी जिलावार स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

1. विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना मद

(राशि लाख में)

क.	जिला का नाम	कम्प्यूटर लैब हेतु कय सामग्री का नाम	कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री की मात्रा	कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री की दर	फर्म/ संस्था का नाम जिससे सामग्री कय की गई	फर्म/संस्था को भुगतान राशि	कय सामग्री का मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	निविदा पूर्ण, कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	निविदा पूर्ण, कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	निविदा पूर्ण, कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	निविदा पूर्ण, कय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	0.00000	जिला स्तरीय कय समिति द्वारा सत्यापन किया जाता है, कय की कार्यवाही कर सामग्री प्राप्त होने पर भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
2	कोण्डागांव	कम्प्यूटर	36	0.40000	समृद्धि इंटरप्राईजेस अम्बिकापुर	9.59998	जिला कय समिति द्वारा सत्यापन किया जाता है, जो प्रक्रियाधीन है।
		कम्प्यूटर	24	0.39999		4.79980	
		कम्प्यूटर	15	0.39990		4.79880	
		स्मार्ट क्लास रूम इक्वीपमेंट	3	1.53000		3.05998	
		विजिटर चेयर	75	0.03450		1.72500	
		चेयर	75	0.02450		1.22500	
		फाल्स सिलिंग	3240	0.00139		0.00000	
		फर्नीचर	150	0.06000		6.00000	
		कार्पेट	100	0.05000		2.50000	
		कार्पेट	50	0.04990		0.00000	
		योग	3768		33.70856		
		कम्प्यूटर	7	0.70000	दिशा कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिंटेर्स धमतरी	0.90000	
		कम्प्यूटर	10	0.45400		4.54000	
		कम्प्यूटर	8	0.38250		3.06000	
		रिवाल्विंग चेयर	25	0.05200		1.30000	
		टेबल	25	0.02980		0.74500	
		एयर कंडिशनर	2	0.57989		1.15978	
		प्रोजेक्टर	1	0.95522		0.95522	
		यू.पी.एस.	1	3.34000		3.34000	
		योग	79			16.00000	

3	बीजापुर	स्टूडेंट टेबल	40	0.07000	मेमर्स सिद्धि विनायक इंटरप्राइजेस बीजापुर	2.80000	विभागीय कय समिति बीजापुर
		स्टूडेंट चेयर	40	0.08000		3.20000	
		प्रोजेक्टर	2	1.00000		2.00000	
		एयर कंडिशनर	4	0.60000		2.40000	
		कम्प्यूटर सेट	24	0.60550		14.53200	
		साज-सज्जा	2	7.50000	मेसर्स साई कन्ट्रक्शन एंड ट्रेडिंग बीजापुर	15.00000	
		योग	112			39.93200	
4	दत्तेवाड़ा	कम्प्यूटर	50	0.33814	श्री महेश यादव, गीदम	16.90700	जिला कय समिति दत्तेवाड़ा
		यू.पी.एस.	50	0.01695		0.84750	
		कुर्सी	50	0.03814		1.90700	
		स्मार्ट क्लास सेटअप	2	0.69687		1.39374	
		कम्प्यूटर लैब निर्माण/मरम्मत साज-सज्जा एवं अन्य पर व्यय	2	9.44825		18.89650	
		योग	154				
5	सुकमा	इंट्रेक्टिव आईएफपी बनक्यू 65"	4	4.00000	यश इंटरप्राइजेस	16.00000	जिला कय समिति सुकमा
		डेस्कटाप कम्प्यूटर	38	0.47340		17.98920	
		कम्प्यूटर माइयूलेर टेबल	40	0.07300	गुरुदेव इंटरप्राइजेस भिलाई	2.92000	
		रिवाल्यूशन कुर्सी	40	0.05000		2.00000	
		डेंटिंग पुट्टी	210	0.00028	मां गंगा इंटरप्राइजेस राजनांदगांव	0.05880	
		यू.पी.एस.	40	0.02580	भारत मार्केटिंग	1.03200	
		योग	372			40.00000	

6	नारायणपुर	कम्प्यूटर	25	0.49990	कम्प्यूटर वर्ल्ड नारायणपुर	12.49750	जिला स्तरीय सत्यापन समिति
		प्रोजेक्टर	1	1.48500		1.48500	
		ए.सी.	1	0.48500		0.48500	
		प्रिंटर	2	0.14800		0.29600	
		कम्प्यूटर टेबल	25	0.10000		2.50000	
		कम्प्यूटर चेयर	25	0.05000		1.25000	
		एसेसिरीज	25	0.05910		1.47750	
		योग	104			19.99100	
7	कांकेर	डेस्कटाप कंप्यूटर	10	0.49899	मेसर्स दिशा कम्प्यूटर एंड प्रिंटर कुरुद जिला-धमतरी	0.00000	5 फर्मो के कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, यू.पी.एस. जिला कय समिति द्वारा सत्यापन उपरांत आपूर्तिकर्ता फर्मो का कार्य आदेश निरस्त किया गया है। (कय की कार्यवाही की गई जिसमें 7 फर्मो को कार्य आदेश दिया गया जिनमें 5 फर्मो का सत्यापन किया गया किन्तु, सत्यापन समिति द्वारा सामग्री अमानक पाये जाने के कारण उक्त 5 कार्य आदेश को निरस्त घोषित किया गया है।) दो फर्मो- 1. नरेश मार्केटिंग रायपुर 2. एवन इलेक्ट्रानिक्स भिलाई के सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो पाई है।
		डेस्कटाप कंप्यूटर	7	0.63956			
		प्रिंटर	1	0.25000			
		प्रोजेक्टर	1	2.45000			
		यू.पी.एस.(10 के.वी.ए.)	1	2.18700			
		आफिस चेयर	25	0.02646			
		कंप्यूटर टेबल	25	0.04499			
		एयर कंडीशनर	2	0.53800			
		डेस्कटाप कंप्यूटर	16	0.41949	मेसर्स श्री बालाजी सेल्स रायपुर	0.00000	
		आल इन वन पी.सी.	9	0.47033	मेसर्स नवलखा कम्प्यूटर्स रायपुर	0.00000	
		यू.पी.एस.	25	0.04811			
		प्रिंटर	25	0.10570			
		प्रोजेक्टर	1	0.55934			
		डेस्कटाप कंप्यूटर	11	0.44600	मेसर्स आई.टी. सोल्यूशन रायपुर	0.00000	
		डेस्कटाप कंप्यूटर	4	0.42880			
		आल इन वन पी.सी.	10	0.49800	टीओट सिस्टम प्रा.लिमि. भिलाई	0.00000	
		यू.पी.एस.	25	0.02800			
		प्रोजेक्टर	1	0.78000			
		एक्जीक्यूटीव टेबल	25	0.11500			
		आफिस चेयर	25	0.02500	नरेश मार्केटिंग रायपुर	0.00000	
एयर कंडीशनर	2	0.49995					
एयर कंडीशनर	2	0.48000	एवन इलेक्ट्रानिक्स भिलाई	0.00000			
योग :-	253			0.00000			
महायोग						189.58330	

2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद

(राशि लाख में)

क.	जिला का नाम	कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री का नाम	कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री की मात्रा	कम्प्यूटर लैब हेतु सामग्री की दर	फर्म/संस्था का नाम, जिससे सामग्री क्रय की गई	भुगतान की गई राशि	कय सामग्री का मूल्यांकन/सत्यापनकर्ता का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बस्तर	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन	0.00000	जिला कय समिति द्वारा सत्यापन किया जाता है, कार्य अपूर्ण होने के कारण सत्यापन नहीं किया गया है।
2	कोण्डागांव	कम्प्यूटर	36	0.40000	समृद्धि इंटरप्राइजेस, अम्बिकापुर	14.40000	जिला स्तरीय कय समिति
		यूपीएस	390	0.03000	यूनिक सेल्स एण्ड सर्विस, अम्बिकापुर	11.70000	
		प्रिंटर	130	0.15000		19.50000	
		कम्प्यूटर टेबल	390	0.06700		26.13000	
		आफिस टेबल	65	0.10000		6.50000	
		कुर्सी	975	0.03250		31.68750	
		आलमीरा	65	0.15000		9.75000	
		विद्युत सामग्री	1613	0.01209		19.49975	
		कॉपी	6500	0.00150		9.75000	
		पेन	6500	0.00030		1.95000	
		पेन व्हाइट बोर्ड	65	0.05000		3.25000	
		योग :-		16729			

3	बीजापुर	कम्प्यूटर सेट	510	0.40000	मे. समृद्धि इंटरप्राइजेस अंबिकापुर	60.00000	जिला क्रय समिति	
					मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	108.00000		
		यूपीएस	510	0.03000	मे. समृद्धि इंटरप्राइजेस अंबिकापुर	13.98000		
					मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	1.32000		
		प्रिंटर	170	0.15000	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	25.50000		
		कुर्सी पर व्यय	1275	0.03250	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	41.43750		
		टेबल पर व्यय	510	0.06700	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	34.17000		
		ऑफिस टेबल पर व्यय	85	0.10000	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	8.50000		
		आलमीरा / रेक	85	0.15000	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	12.75000		
		विद्युत फिटिंग, कम्प्यूटर संधारण	85	0.30000	मे. यूनिक्स सेल्स एंड सर्विस, अंबिकापुर	25.50000		
			प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (कॉपी, पेन छात्र / छात्राओं के लिए)	85	0.43550	मे. सू.आई.सी.टी. कम्प्यूटर अंबिकापुर	20.82500	
			योग :-	3315		351.98250		
4	दंतेवाड़ा	कम्प्यूटर	120	0.40000	भारतइ मार्केटिंग	48.00000	जिला स्तरीय क्रय समिति, दंतेवाड़ा	
		यूपीएस	330	0.03000	समृद्धि इंटरप्राइजेस, अंबिकापुर	9.90000		
		प्रिंटर	55	0.15000	यूनिक्स सेल्स एण्ड सर्विस, अंबिकापुर	8.25000		
		कुर्सी	825	0.03250		26.81250		
		कम्प्यूटर टेबल	258	0.06700		17.28600		
		कम्प्यूटर टेबल	72	0.06700	समृद्धि इंटरप्राइजेस, अंबिकापुर	4.82400		
		ऑफिस टेबल	55	0.10000	यूनिक्स सेल्स एण्ड सर्विस, अंबिकापुर	5.50000		
		आलमिरा	55	0.15000		8.25000		
		विद्युत फिटिंग, कम्प्यूटर संधारण एवं अन्य आकस्मिक व्यय	55	0.98050	यूआईसीटी कम्प्यूटर अंबिकापुर	0.00000		
			योग :-	1825		128.82250		

5	सुकमा	कम्प्यूटर सेट (यूपीएस सहित)	390	0.43000	यू.आई.सी.टी. कम्प्यूटर्स तकिया रोड, अम्बिकापुर जिला - सरगुजा (छ.ग.)	167.70000	जिला क्रय समिति, सुकमा
		प्रिंटर	130	0.15000		19.50000	
		कुर्सी	975	0.03250		31.65000	
		टेबल	390	0.00670		26.13000	
		ऑफिस टेबल	65	0.10000		6.50000	
		आलमीरा/रेक	65	0.15000		9.75000	
		विद्युत फिटिंग, कम्प्यूटर संधारण	65	0.30000		10.40000	
		प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (कॉपी, पेन छात्र/ छात्राओं के लिए)	65	0.43550		13.48000	
	योग :-	2145			285.11000		
6	नारायणपुर	प्रति संस्था कम्प्यूटर सेट एवं यूपीएस	420	0.43000	यू.आई.सी.टी. कम्प्यूटर्स विश्रामपुर, जिला - सरगुजा (छ.ग.)	180.60000	जिला स्तरीय क्रय/ सत्यापन समिति
		प्रिंटर	140	0.15000		21.00000	
		कुर्सी पर व्यय	1050	0.03250		34.12500	
		टेबल पर व्यय	420	0.06700		28.14000	
		आफीस टेबल पर व्यय	70	0.10000		7.00000	
		आलमीरा/रेक	70	0.15000		10.50000	
		विद्युत फिटिंग, कम्प्यूटर संधारण	-	0.30000		21.00000	
		प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (कॉपी, पेन छात्र/ छात्राओं के लिए) (05 नग कम्प्यूटर बुक संस्था हेतु) एवं आकस्मिक व्यय	-	0.68050		-	
	योग :-	2170			302.36500		

7	कांकेर	कम्प्यूटर सेट	84	0.40000	मे.यूनिक सेल्स एवं सर्विस अंबिकापुर जिला सरगुजा	जिला स्तरीय क्रय/सत्यापन समिति (सत्यापन का कार्य प्रक्रियाधीन है)
		यू.पी.एस.	84	0.03000		
		प्रिंटर	28	0.15000		
		कम्प्यूटर कुर्सी	210	0.03250		
		कम्प्यूटर टेबल	84	0.06700		
		ऑफिस टेबल	14	0.10000		
		आलमीरा	14	0.15000		
		विद्युत फिटिंग (कम्प्यूटर संधारण हेतु)	14	0.30000		
		प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण सामग्री (कापी, पेन छात्र-छात्राओं के लिए)	14	0.68050		
	योग :-	546				
			महायोग		1222.39725	

2/3/21

1 विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना मद

क्र.	परियोजना का नाम	जिला का नाम	क्या स्वीकृत कार्य पूरा हो चुका है ?	कार्य अपूर्ण होने का कारण
1	2	3	4	5
1	जगदलपुर	बस्तर	नहीं	कार्य एजेन्सी सहायक आयुक्त द्वारा प्रथम आमंत्रित निविदा में फर्मों के द्वारा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण निविदा निरस्त की गई। वर्तमान में द्वितीय निविदा की कार्यवाही पूर्ण। क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2	कोण्डागांव	कोण्डागांव	नहीं, कार्य प्रगति पर है	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कोण्डागांव को क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। संस्थाओं के लिए सामग्री क्रय को कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है। संस्थाओं में जिला स्तरीय कोविड-19 सेंटर बनाये जाने के कारण कम्प्यूटर लैब स्थापना कार्य नहीं किये जा सका था। वर्तमान में कार्य पूर्णता पर है।
3	बीजापुर	बीजापुर	हां	-
4	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	हां	-
5	सुकमा	सुकमा	हां	-
6	नारायणपुर	नारायणपुर	1 पूर्ण 1 अप्रारंभ	कार्यवाही विलंब से होने के कारण प्रक्रियाधीन।
7	भानुप्रतापपुर	कांकेर	नहीं	क्रय की कार्यवाही की गई जिसमें फर्मों को कार्य ओदश दिया गया जिनमें 5 फर्मों का सत्यापन किया गया किन्तु सत्यापन समिति द्वारा सामग्री अमानक पाये जाने के कारण कार्य आदेश को निरस्त घोषित किया गया है। दो फर्म- 1. नरेश मार्केटिंग रायपुर 2. एवन इलेक्ट्रानिक्स भिलाई के सत्यापन की कार्यवाही नहीं हो पाई है।

2. संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद

क्र.	परियोजना का नाम	जिला का नाम	स्वीकृत कार्य की पूर्णता की स्थिति	कार्य अपूर्ण होने का कारण
1	जगदलपुर	बस्तर	अपूर्ण	क्रय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	कोण्डागांव	कोण्डागांव	नहीं, कार्य प्रगति पर है	क्रय समग्रियों को संस्थाओं में स्थापित किया गया है। कम्प्यूटर प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
3	बीजापुर	बीजापुर	लैब स्थापना का कार्य पूर्णता की ओर है। प्रशिक्षण कार्य शेष है।	85 संस्था में से 78 संस्था में लैब स्थापित हो गया है। शेष 07 संस्था में कम्प्यूटर सेट पहुंचाया जाना शेष है। छात्र, छात्राओं के अनुपस्थित के कारण प्रशिक्षण शेष है।
4	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	नहीं	प्रशिक्षण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	सुकमा	सुकमा	लैब स्थापना कार्य पूर्ण है। प्रशिक्षण कार्य जारी	-
6	नारायणपुर	नारायणपुर	सामग्री प्राप्त प्रशिक्षण कार्य शेष	कोविड-19 के कारण छात्रावास/आश्रम बंद होने से प्रशिक्षण कार्य शेष है
7	भानुप्रतापपुर	कांकेर	नहीं	क्रय सामग्री प्राप्त हुआ है। सामग्री की सत्यापन पश्चात् लैब स्थापना एवं प्रशिक्षण कार्य किया जाना है।

परिशिष्ट "तेईस"

[परिवर्तित अतारांकित प्रश्न संख्या 34 (क्र. 1722) की जानकारी]

राजनांदगांव जिले में सहा. ग्रेड-3 पद हेतु अनुकम्पा नियुक्ति के लंबित प्रकरण

क्र.सं.	वर्ष	आवेदन प्राप्ति दिनांक	विकासखंड	आवेदक का नाम
1	2009	25-12-2009	छुईखदान	श्री देवराज सिंह
2	2018	11-04-2018	राजनांदगांव	कु.घनिष्ठा साहू
3	2018	01-09-2018	मोहला	कु ऋतु टेम्पुरकर
4	2018	06-10-2018	मोहला	श्रीमती अंजू सोनटंके
5	2018	31-10-2018	राजनांदगांव	श्रीमती गीतेश्वरी वर्मा
6	2018	24-12-2018	डोंगरगांव	श्री गणेश सोनकर
7	2018	27-12-2018	खैरागढ़	श्री अविनाश पांडे
8	2019	18-02-2019	अंबागढ़ चौकी	श्री राजकुमार साहू
9	2019	09-06-2019	राजनांदगांव	श्री जीवेश कुमार वर्मा
10	2019	09-07-2019	मोहला	श्री जीवन घावड़े
11	2019	23-07-2019	मानपुर	श्री कमलेश कुमार साहू
12	2019	24-09-2019	अंबागढ़ चौकी	श्री अर्पित सुयश लाल
13	2019	24-09-2019	मानपुर	श्री तिलक राम साहू
14	2019	11-12-2019	अंबागढ़ चौकी	कु. भगवती सिन्हा
15	2020	21-01-2020	राजनांदगांव	श्रीमती लोकेश्वरी साहू
16	2020	15-05-2020	राजनांदगांव	श्री प्रकाश कुमार नंदनवार
17	2020	19-08-2020	खैरागढ़	कु.भूमिका सिंह
18	2020	29-08-2020	राजनांदगांव	कु.सिमरन कौर गिल
19	2020	10-11-2020	अंबागढ़ चौकी	श्री अखिल कुमार ध्रुव

अतारांकित प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट "चौबीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 8 (क्र. 871) की जानकारी]

प्रदेश में खेल अनुदान के तहत प्राप्त एवं व्यय राशि की जानकारी

क्र	वित्तीय वर्ष	केन्द्र सरकार से प्राप्त राशि रु लाख में	व्यय राशि रु लाख में	शेष राशि रु लाख में
1	2	3	4	5
1	2018-19	2272.67	2264.38	8.29
2	2019-20	3987.3	3923.9	63.4
3	2020-21	3996.95	0	3996.95

परिशिष्ट "पच्चीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 14 (क्र. 1154) के भाग (क) से (ग) की जानकारी]

क.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के वि.त्ने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जान की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1.	रायगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	
2.	कबीरधाम	निरंक	निरंक	निरंक	
3.	सूरजपुर	जिला सूरजपुर अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के 01 प्रकरण दर्ज है।	निरंक	जिला सूरजपुर अंतर्गत दिनांक 01 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध 01 शिकायत प्राप्त हुई है। उक्त शिकायत पर अनुवभागीय अधिकारी (रा) सूरजपुर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर संबंधितों को नोटिस जारी कर जवाब लिया गया है तथा वर्तमान में मौके के भौतिक सत्यापन हेतु प्रकरण नियत है। जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	

2

क्र.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लांटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
4.	जशपुर	निरंक	निरंक	निरंक	
5.	सरगुजा	जिला सरगुजा में 01 प्रकरण दर्ज किये गये है।	निरंक	जिला सरगुजा में 01 शिकायत प्राप्त हुई है, संबंधित को नोटिस जारी किया गया है।	
6.	उ.ब.कांकेर	निरंक	निरंक	निरंक	
7.	बलौदाबाजार-भाटापारा	जिला बलौदाबाजार-भाटापारा में दिनांक 1 जनवरी 2019 से 3.2.2021 तक कुल 220 प्रकरण दर्ज किये गये है।	निरंक	निरंक	
8.	बालोद	निरंक	निरंक	निरंक	
9.	बीजापुर	निरंक	निरंक	निरंक	

क.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
10.	जांजगीर -चांपा	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के कुल 26 प्रकरण दर्ज किये गये है।	निरंक	जिला जांजगीर-चांपा में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध 28 शिकायत प्राप्त हुये हैं। जिसमें अवैध प्लाटिंग करने वाले व्यक्तियों को संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (रा) द्वारा नोटिस जारी किया गया है।	
11.	मुंगेली	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला मुंगेली के अंतर्गत अनुविभाग मुंगेली में अवैध प्लाटिंग के नगरीय क्षेत्र में 07 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 21 प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।	निरंक	जिला मुंगेली के अंतर्गत अनुविभाग मुंगेली में अवैध प्लाटिंग की 03 शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें से 02 ग्रामीण क्षेत्र एवं 01 नगरीय क्षेत्र से संबंधित है। अवैध प्लाटों पर तैयार किये गये संरचना को हटाते हुए प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	

क.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लांटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
12.	दुर्ग	दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला दुर्ग में अवैध प्लांटिंग के कुल 30 प्रकरण दर्ज है।	अवैध प्लांटिंग के 05 स्थलों पर रजिस्ट्री की प्रति उपलब्ध कराये जाने पंजीयन दुर्ग को पत्र प्रेषित किया गया है।	दिनांक 1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध 30 शिकायत प्राप्त हुई है। जिसमें से 25 स्थानों पर निर्मित मार्ग संरचना को बेदखली किए जाने की कार्यवाही की गई तथा 19 स्थानों पर FIR दर्ज किए जाने पत्र प्रेषित किया गया है।	अवैध प्लांटिंग करने वाले भू-स्वामियों के पंजीयन पर रोक हेतु अपर कलेक्टर, दुर्ग द्वारा पत्र क्रमांक 512/स्टेनो/अपर कले. /2021, दिनांक 12.2.2021 जारी किया गया।

क.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	
14.	बिलासपुर	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला बिलासपुर में अवैध प्लाटिंग के तहत कुल 105 प्रकरण दर्ज किये गये हैं। जिसमें से 72 प्रकरण नगर निगम बिलासपुर द्वारा स्वयं के संज्ञान से चिन्हांकित कर दर्ज किया गया है।	निरंक	प्रश्नांक "क" के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध बिलासपुर जिले में कुल 19 शिकायतें प्राप्त हुई तथा जिसमें 13 प्रकरणों पर अवैध विकास/निर्माण हटाने एवं नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने की कार्यवाही की गयी। शेष प्रकरणों पर अनावेदको को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	

क्र.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लांटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
15.	राजनांदगांव	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला राजनांदगांव में अवैध प्लांटिंग के कुल 474 प्रकरण दर्ज किए गये हैं।	निरंक	प्रश्नांक 'क' के अंतर्गत अवैध प्लांटिंग के विरुद्ध जिला राजनांदगांव में 3 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। नगर तथा ग्राम निवेश राजनांदगांव एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा जांच कर संबंधित विक्रेताओं को नोटिस जारी कर नियमितीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
16.	धमतरी	धमतरी जिला में न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा) नगरी में 01 प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसमें कार्यवाही की जा रही है। 38 प्रकरण सहायक	दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।	धमतरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विगत वर्ष 2019 में 01 सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर धमतरी द्वारा गठित समिति द्वारा अवैध	

		संचालक नगर तथा ग्राम निवेश धमतरी द्वारा दर्ज किये गये है। आयुक्त नगर पालिक निगम धमतरी में 01 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक अवैध प्लाटिंग के 05 प्रकरण दर्ज किये गये है।		प्लाटिंग के विरुद्ध मार्ग को अवरुद्ध किया गया एवं अवैध प्लाटिंग को चिन्हांकित कर क्रय-विक्रय न करने संबंधी बोर्ड संबंधित विभाग द्वारा लगाया गया। यह कार्यवाही जिला प्रशासन की ओर संयुक्त रूप से किया गया। दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित शिकायत के आधार पर हल्का पटवारी से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।	
17.	बस्तर	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला बस्तर अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध जिले में कुल 04 शिकायत प्राप्त हुई है।	निरंक	अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर इस पर नियंत्रण हेतु राजस्व/नगर निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों का संयुक्त दल गठन कर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 11 ग्राम तथा ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत 07 ग्राम क्रमशः घाटपदमुर, पल्ली, कालीपुर, आड़ावाल, परपा, पण्डरीपानी एवं कुम्हरावण्ड में सर्वे किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रारंभिक रूप से 60 खसरो में अवैध प्लाटिंग	अवैध प्लाटिंग कार्य चिन्हित करने की कार्यवाही प्रकियाधीन है।

				प्रतिवेदित है तथा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत कुल 43 प्रकरणों में नोटिस जारी किया गया है।	
18.	महासमुंद	निरंक	निरंक	निरंक	
19.	कोरबा	निरंक	निरंक	निरंक	
20.	रायपुर	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक रायपुर जिले में अवैध प्लाटिंग के कुल 86 प्रकरण दर्ज किया गया है।	निरंक	रायपुर जिले अंतर्गत कुल 23 शिकायत अवैध प्लाटिंग के 23 शिकायत प्राप्त हुए हैं। रायपुर अनुभाग में प्राप्त 01 शिकायत के संबंध में हल्का पटवारी से स्थल निरीक्षण पश्चात् वस्तुस्थिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। आरंग अनुभाग में प्राप्त 09 शिकायतों को पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अभनपुर अनुभाग में प्राप्त 13 शिकायतों को पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।	
21.	बेमेतरा	निरंक	निरंक	निरंक	
22.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	
23.	बलरामपुर-रामानुजगंज	निरंक	निरंक	निरंक	

क.	जिला का नाम	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक में अवैध प्लाटिंग के कितने प्रकरण दर्ज है?	दिनांक 01 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में पंजीयन कार्यालय द्वारा कितने अवैध प्लॉटों की रजिस्ट्री किये जाने की शिकायत हुई है?	दिनांक 1 जनवरी, 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक की अवधि में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध कितनी शिकायत प्राप्त हुई एवं शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही हुई है?	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
24.	कोरिया	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला कोरिया में अवैध प्लाटिंग के कुल 02 प्रकरण दर्ज किये गये हैं।	निरंक	प्रश्नांक 'क' के अन्तर्गत जिला कोरिया में अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध 02 शिकायत प्राप्त हुए हैं। जिसमें अवैध प्लाटिंग करने वाले व्यक्ति को नोटिस जारी किया गया है।	
25.	द.ब. दतेवाड़ा	निरंक	निरंक	निरंक	
26.	कोण्डागांव	निरंक	निरंक	निरंक	
27.	गरियाबंद	निरंक	निरंक	निरंक	
28.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	1 जनवरी 2019 से दिनांक 3.2.2021 तक जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में अवैध प्लाटिंग के कुल 17 प्रकरण दर्ज किये गये है।	निरंक	प्रश्नांक 'क' के अंतर्गत अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध 17 शिकायत प्राप्त हुई हैं सभी प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पक्षकारों को नोटिस जारी करते हुये अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।	

परिशिष्ट "छब्बीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 17 (क्र. 1265) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

(जिलावार राजस्व प्राप्ति वर्ष 2018-19)

स.क्र.	राजस्व जिला	1 अप्रैल-2018 से 31 मार्च-2019 कुल प्राप्त राजस्व (रूपये में)
1	कोरिया	2,72,87,334
2	सरगुजा	5,20,10,927
3	जशपुर	2,19,28,963
4	रायगढ़	30,61,03,791
5	कोरबा	5,90,36,561
6	जांजगीर-चांपा	24,24,57,504
7	बिलासपुर	28,59,29,175
8	कवर्धा	5,10,66,025
9	राजनंदगांव	10,36,70,052
10	दुर्ग	42,70,72,992
11	रायपुर	8,67,87,51,540
12	महासमुंद	5,68,79,369
13	धमतरी	9,97,05,739
14	कांकेर	4,27,47,125
15	बस्तर	3,65,72,435
16	दंतेवाड़ा	25,30,22,162
17	नारायणपुर	47,08,900
18	बीजापुर	15,11,511
19	बालोदा-बाजार	15,45,32,588
20	गरियाबंद	1,90,86,665
21	मुंगेली	3,98,26,888
22	बालोद	3,86,47,711
23	बेमेतरा	6,82,75,199
24	कौंडागांव	1,99,73,427
25	सुकमा	48,90,664
26	बलरामपुर	1,03,07,855
27	सूरजपुर	2,56,26,102
	योग :-	11,13,16,29,204

प्रपत्र "ब"

(जिलावार राजस्व प्राप्ति वर्ष 2019-20)

स.क्र.	राजस्व जिला	1 अप्रैल-2019 से 31 मार्च-2020 कुल प्राप्त राजस्व (रुपये में)
1	कोरिया	3,33,35,669
2	सरगुजा	8,50,86,104
3	जशपुर	2,32,05,786
4	रायगढ़	22,02,34,558
5	कोरबा	8,78,46,716
6	जांजगीर-चांपा	20,53,79,630
7	बिलासपुर	48,36,12,170
8	कवर्धा	6,17,84,233
9	राजनंदगांव	15,83,05,259
10	दुर्ग	56,79,25,665
11	रायपुर	12,08,07,62,449
12	महासमुंद	7,77,39,203
13	धमतरी	8,64,63,841
14	कांकेर	3,85,56,546
15	बस्तर	6,17,26,610
16	दंतेवाड़ा	1,66,75,63,496
17	नारायणपुर	36,70,037
18	बीजापुर	19,14,262
19	बालोदा-बाजार	13,18,80,747
20	गरियाबंद	3,06,65,492
21	मुंगेली	6,14,98,613
22	बालोद	7,27,78,782
23	बेमेतरा	10,78,15,406
24	कोंडागांव	1,54,34,005
25	सुकमा	40,17,128
26	बलरामपुर	1,03,78,600
27	सूरजपुर	2,71,01,858
	योग :-	16,40,66,82,865

प्रपत्र "स"

(जिलावार राजस्व प्राप्ति वर्ष 2020-21)

स.क्र.	राजस्व जिला	1 अप्रैल-2020 से 31 जनवरी-2021 तक कुल प्राप्त राजस्व (रूपये में)
1	कोरिया	3,67,53,595
2	सरगुजा	8,76,56,689
3	जशपुर	2,84,23,794
4	रायगढ़	14,48,18,938
5	कोरबा	9,06,56,983
6	जांजगीर-चांपा	29,63,66,520
7	बिलासपुर	46,21,85,542
8	कवर्धा	8,80,70,920
9	राजनंदगांव	18,01,09,021
10	दुर्ग	53,94,99,075
11	रायपुर	8,10,75,06,914
12	महासमुंद	10,43,95,851
13	धमतरी	12,23,45,108
14	कांकेर	3,26,92,745
15	बस्तर	5,11,15,050
16	दंतेवाड़ा	1,07,51,119
17	नारायणपुर	34,39,980
18	बीजापुर	24,86,303
19	बालोदा-बाजार	18,86,61,104
20	गरियाबंद	3,31,63,144
21	मुंगेली	7,18,73,346
22	बालोद	8,27,35,571
23	बेमेतरा	11,92,07,325
24	कोडागांव	1,13,08,726
25	सुकमा	37,17,039
26	बलरामपुर	81,53,735
27	सूरजपुर	2,18,39,074
28	गौरैला-पेंडा-मरवाही	1,84,21,931
योग :-		10,94,83,55,142

परिशिष्ट "सत्ताईस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 20 (क्र. 1386) के भाग (ग) की जानकारी]

जर्जर/अति जर्जर/शासकीय शाला भवनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्रमांक	विकासखण्ड	शाला का नाम	शाला संचालन हेतु वैकल्पिक स्थान
1	पुसौर	प्राथ.शाला परसापाली	पंचायत भवन में
2	पुसौर	प्राथ.शाला सुलोनी	आंगनबाड़ी भवन में
3	पुसौर	प्राथ.शाला तेलीपाली	पंचायत भवन में
4	पुसौर	प्राथ.शाला सुटूपाली	मा.शाला सुटूपाली में
5	पुसौर	प्राथ.शाला सारसमाले	सामुदायिक भवन में
6	पुसौर	प्राथ.शाला बाईरडीह सुरी	सामुदायिक भवन में
7	रायगढ़	प्राथ.शाला टीपाखोल	आंगनबाड़ी भवन में
8	रायगढ़	प्राथ.शाला सोनूमुड़ा	सामुदायिक भवन में
9	रायगढ़	प्राथ.शाला बंजरंगपारा	पू.मा.शाला भवन में
10	बरमकेला	प्राथ.शाला रंगाडीह	पू.मा.शा. भवन में
11	बरमकेला	पूर्व माध्य.शाला विष्णुपाली	प्रा.शा. विष्णुपाली भवन में
12	बरमकेला	प्राथ.शाला दमदमा	पू.मा.शा. दमदमा भवन में

परिशिष्ट "अट्ठाईस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 21 (क्र. 1387) के भाग (ख) की जानकारी]

राज्य परियोजना कार्यालय
समग्र शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर

एकीकृत शिक्षा भवन, द्वितीय तल, बोर्ड ऑफिस परिसर पेंशनबाड़ा, रायपुर

टेलीफोन नं. 0771-2420156

Email-rmsachg@gmail.com

क्र./ 1753 /समग्र शिक्षा/प्राथमिक एवं माध्यमिक/कीड़ा/2019-20 रायपुर दिनांक:- 03/11/2019

प्रति,

कलेक्टर
समस्त जिला
छत्तीसगढ़

विषय:-समग्र शिक्षा के तहत वर्ष 2019-20 में स्वीकृत प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में खेल को बढ़ावा देने हेतु "खेल गढ़िया" योजना के तहत सामग्री क्रय किये जाने विषयक।

—00—

भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा समग्र शिक्षा के वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2019-20 में कीड़ा एवं व्यायाम सामग्री हेतु राज्य के 30588 प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 5000, 13199 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 10000 एवं 4552 हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 25000 की स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राप्त स्वीकृति अनुसार राज्य के 29963 प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 5000/- के मान से रु. 14,98,15,000.00 (चौदह करोड़ अन्धाने लाख पंद्रह हजार), 13065 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 10000 के मान से रु. 13,06,50,000.00 (तेरह करोड़ छः लाख पचास हजार) एवं 4477 हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालयों हेतु प्रति विद्यालय राशि रु. 25000 के मान से रु. 11,19,25,000.00 (ग्यारह करोड़ उन्नीस लाख पच्चीस हजार) कुल राशि रु. 39,23,90,000.00 (उनचासी करोड़ तेईस लाख नब्बे हजार) राशि संबंधित संस्था के बैंक खाते में सीधे RTGS के माध्यम से राशि हस्तांतरित की जा रही है। सहज सुलभ संदर्भ हेतु विद्यालयों की सूची इस पत्र के साथ संलग्न है। जिलेवार संख्या निम्नानुसार है-

क	जिला	प्राथमिक शाला			उच्च प्राथमिक शाला			हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय			महायोग
		विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	बालोद	806	5000	4030000	408	10000	4080000	173	25000	4325000	12435000
2	बलौदाबाजार	1175	5000	5875000	635	10000	6350000	245	25000	6125000	18350000
3	बलरामपुर	1342	5000	6710000	546	10000	5460000	126	25000	3150000	15320000
4	बरतर	1495	5000	7475000	597	10000	5970000	162	25000	4050000	17495000
5	बेमेतरा	743	5000	3715000	388	10000	3880000	160	25000	4000000	11595000
6	बीजापुर	481	5000	2405000	178	10000	1780000	62	25000	1550000	5735000
7	बिलासपुर	1648	5000	8240000	758	10000	7580000	285	25000	7125000	22945000
8	दंतेवाड़ा	573	5000	2865000	188	10000	1880000	59	25000	1475000	6220000
9	धमतरी	860	5000	4300000	444	10000	4440000	159	25000	3975000	12715000
10	दुर्ग	585	5000	2925000	341	10000	3410000	171	25000	4275000	10610000

क	जिला	प्राथमिक शाला			उच्च प्राथमिक शाला			हाई/हायर सेकेंडरी विद्यालय			महायोग
		विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	विद्यालयों की संख्या	प्रति विद्यालय स्वीकृत राशि	कुल जारी राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	गरियाबंद	959	5000	4795000	446	10000	4460000	142	25000	3550000	12805000
12	जांजगीर-चांपा	1517	5000	7585000	775	10000	7750000	292	25000	7300000	22635000
13	जशपुर	1594	5000	7970000	464	10000	4640000	146	25000	3650000	16260000
14	कांकेर	1541	5000	7705000	611	10000	6110000	225	25000	5625000	19440000
15	कवर्धा	970	5000	4850000	488	10000	4880000	147	25000	3675000	13405000
16	कोण्डागांव	1218	5000	6090000	602	10000	6020000	149	25000	3725000	15835000
17	कोरबा	1458	5000	7290000	518	10000	5180000	178	25000	4450000	16920000
18	कोरिया	940	5000	4700000	407	10000	4070000	137	25000	3425000	12195000
19	महासमुंद्र	1276	5000	6380000	491	10000	4910000	169	25000	4225000	15515000
20	मुंगेली	658	5000	3290000	272	10000	2720000	124	25000	3100000	9110000
21	नारायणपुर	379	5000	1895000	120	10000	1200000	34	25000	850000	3945000
22	रायगढ़	1932	5000	9660000	895	10000	8950000	260	25000	6500000	25110000
23	रायपुर	757	5000	3785000	460	10000	4600000	205	25000	5125000	13510000
24	राजनांदगांव	1823	5000	9115000	786	10000	7860000	310	25000	7750000	24725000
25	सुकमा	548	5000	2740000	145	10000	1450000	49	25000	1225000	5415000
26	सूरजपुर	1377	5000	6885000	545	10000	5450000	152	25000	3800000	16135000
27	सरगुजा	1308	5000	6540000	557	10000	5570000	156	25000	3900000	16010000
	महायोग:-	29963		149815000	13065		130650000	4477		111925000	392390000

राशि रु. 39,23,90,000.00 (उन्चालीस करोड़ तेईस लाख नब्बे हजार)

2/ इस बजट से शासकीय शालाओं में बेहतर उपयोग करने हेतु "खेल गढ़िया" नामक कार्यक्रम किया जाना है। इस कार्यक्रम का निम्नलिखित उद्देश्य है :-

- बच्चों को विभिन्न खेलों से जोड़ते हुए उन्हें खेल खेलने हेतु प्रोत्साहित करने हेतु रणनीति तैयार करना।
- शाला प्रबंधन समिति को बच्चों को खेल खिलाने से संबंधित विभिन्न जानकारियों से अवगत कराने हेतु सामग्री तैयार कर उनका सहयोग लेना।
- समुदाय को बच्चों के साथ जोड़कर विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आवश्यक कार्यक्रम प्रस्तावित करना।
- स्थानीय खेलों को बढ़ावा देने एवं स्थानीय उपलब्ध संसाधनों से बच्चों को खेलने हेतु अधिकतम सुविधा उपलब्ध करवाना।
- स्कूलों में प्रारंभिक स्तर पर ही खेल प्रतिभाओं की पहचान कर अन्य विभागों से समन्वय कर उन्हें आगे बढ़ाने हेतु आवश्यक सहयोग के क्षेत्रों की पहचान करना।

3/ इस बजट के उपयोग हेतु मार्गदर्शी निर्देश एतद् द्वारा निम्नानुसार जारी किये जा रहे हैं:-

- प्रत्येक शाला पारंपरिक एवं क्षेत्रीय खेलों को बढ़ावा देने हेतु कम लागत की खेल सामग्री अथवा उपकरण को स्थानीय स्तर पर कय करें।
- निर्धारित गुणवत्ता के उपकरण/सामग्री ही छोगो शासन भण्डार कय नियम 2002 (यथासंशोधित-मार्च 2010) के प्रावधानों का पालन करते हुए कय करें।

- शाला अपनी सुविधा अनुसार अन्य सामग्री का भी कय कर सकती है। प्रावधानित बजट के अंदर की कय की कार्यवाही की जाए।
 - क्रय किए जाने हेतु विद्यालय स्तर पर निम्न समिति का गठन किया जाए

(i) संबंधित संस्था का प्राचार्य/प्रधान पाठक	-	अध्यक्ष
(ii) वरिष्ठ शिक्षक/लिपिकीय स्टाफ (में से एक)	-	कोषाध्यक्ष
(iii) खेलकूद में रुचि लाने वाला एक पालक/पालिका	-	सदस्य
(iv) प्राचार्य/प्रधान पाठक द्वारा नामांकित कोई दो संस्था का शिक्षक	-	सदस्य

 (यदि कोई व्यायाम शिक्षक या क्रीडा अधिकारी हो तो उसे प्राथमिकता दी जाये)
 - क्रय किए जाने के पश्चात् सामग्री गुणवत्ता एवं भौतिक सत्यापन कराया जाए।
 - यह ध्यान रहे कि उक्त राशि का उपयोग किसी भी स्थिति में 31 मार्च 2020 तक पूर्ण कर लिया जाए तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, जिला मिशन समन्वयक एवं प्राचार्यों से प्राप्त कर राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ रायपुर को भेजें।
 - सामग्री कय के पश्चात् विद्यालयीन भण्डार पंजी में दर्ज कर प्रमाण पत्र प्राप्ति के पश्चात् ही भुगतान सुनिश्चित किया जावे।
 - यह स्पष्ट किया जाता है कि क्रय की उपकरण/सामग्रियां संबंधित संस्था के उपयोग के लिए है तथा इन सामग्रियों को सुरक्षा के साथ संस्था में ही रखा जाना है।
 - किसी भी स्थिति में विद्यालय द्वारा परिवहन या अन्य व्यय का भुगतान नहीं किया जाए।
 - किसी भी स्थिति में सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर प्रदायकर्ता फर्म को भुगतान न किया जाये।
 - खेल सामग्री के उपयोग के लिए दिशा निर्देश एवं खेलों की सामग्री देने के साथ-साथ बच्चों की सुरक्षा एवं खेल मैदान एवं सामग्री के रखरखाव के संबंध में जानकारी दी जाए।
 - शाला में बच्चों को खेलने हेतु सहयोग देने हेतु समुदाय का सहयोग लिया जाए एवं समस्त खेल सामग्री, उपकरण शाला प्रधान अध्यापक, प्राचार्य एवं समुदाय से खेल में सहयोग देने के इच्छुक दल एवं शाला प्रबंधन समिति के सदस्य आपस में मिलकर एक समिति गठित कर उसके माध्यम से तय कर सकेंगे। खेल सुविधाओं के विकास के लिए समुदाय से अधिक से अधिक सहयोग लेंगे एवं बच्चों को नियमित खेलाने की जिम्मेदारी समुदाय के सदस्यों को देंगे।
 - खेल सामग्री देते समय इस बात पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाए कि शालाओं को उपलब्ध बजट में समुदाय और किस प्रकार से अधिक से अधिक सहयोग अपने ओर से कर सकते हैं और शाला में खेल गतिविधियों के आयोजन की सतत् मॉनिटरिंग कर सकते हैं।
 - ग्रामीण स्तर पर ऐसे व्यक्ति जो किसी खेल को बढ़ावा देने में अपनी ओर से स्वेच्छा से सहयोग देने को तत्पर हो तो उस खेल को भी बढ़ावा देने हेतु इस बजट में फोकस किया जा सकता है।
 - सभी शालाएं अपने यहां की आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर किसी खेल को चुनकर उसमें विशेषज्ञता हासिल करने हेतु रणनीति बनाकर काम कर सकते हैं।
 - ऐसे खेलों को भी ध्यान में रखा जाए, जिन्हें खेलों इंडिया में स्थान दिया गया हो और जो उन खेलों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए प्रारंभिक तौर पर आवश्यक हो।
- 4/ इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित खेलों में से कुछ खेलों पर अलग-अलग शालाओं में फोकस कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है :-
- आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉस्केटबाल, बॉक्सिंग, फुटबाल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, क्रबड्डी, खो-खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबाल, कुश्ती, वेट-लिफ्टिंग
- ये सभी खेल "खेलों इंडिया" में चयन के लिए होने वाली प्रतियोगिताओं में शामिल होने के लिए आवश्यक हैं।

प्राथमिक स्तर पर खेले जाने योग्य कुछ सुझावात्मक खेल

दौड़	कूद	कंचे	रस्सी कूद	गोला फेंक
कबड्डी	खो-खो	पिट्टुल	बोरा दौड़	गेंडी
रस्साकस्सी	कैरम	मल्लखंब	टायर दौड़	जूड़ा
योग	फुटबाल	तिरंदाजी	हैंडबाल	हॉकी
सॉफ्ट टेनिस	भौरा	बॉस्केटबॉल	पतंगबाजी	बैंडमिंटन

उच्च प्राथमिक स्तर पर खेले जाने योग्य कुछ सुझावात्मक खेल

एथलेटिक्स	बॉक्सिंग	शतरंज	साईक्लिंग	गोला फेंक
कबड्डी	खो-खो	पिट्टुल	बोरा दौड़	आंख-मिचौली
रस्साकस्सी	कैरम	मल्लखंब	तैराकी	जूड़ा
योग	फुटबाल	क्रिकेट	हैंडबाल	हॉकी
सॉफ्ट टेनिस	पतंगबाजी	बॉस्केटबाल	नेटबाल	बैंडमिंटन
पंजा लड़ाना	कुश्ती	वजन उठाना	क्रिकेट	तिरंदाजी

हाई/हायर सेकेण्डरी विद्यालय स्तर पर खेले जाने योग्य कुछ सुझावात्मक खेल-

एथलेटिक्स	बॉक्सिंग	शतरंज	साईकिलिंग	गोला फेंक
कबड्डी	खो-खो	पिट्टुल	बोरा दौड़	आंख-मिचौली
रस्साकस्सी	कैरम	मल्लखंब	तैराकी	जूड़ा
योग	फुटबाल	क्रिकेट	हैंडबाल	हॉकी
सॉफ्ट टेनिस	पतंगबाजी	बास्केट बाल	नेटबाल	बैंडमिन्टन
पंजा लड़ाना	कुश्ती	वजन उठाना	क्रिकेट	तिरंदाजी

- ये सभी सुझावात्मक खेलों की सूची है, इनके चयन करने हेतु शाला स्तर पर शिक्षकों, समुदायों, माताओं एवं बच्चों विशेषकर बाल कैबिनेट के खेलमंत्री को अवश्य सम्मिलित करते हुए शालाओं में खेल व्यवस्था हेतु आवश्यक योजना बनायें। उपरोक्त में से कुछ खेलों को चिन्हांकित कर उनके विकास के लिए सामग्री क्रय करें।
- खेल तय करते समय समुदाय आस पास कोई खेल विशेषज्ञ बच्चों को खेल अभ्यास के लिए तैयार हो तो उनकी सेवायें अवश्य लेते हुए उनकी विशेषज्ञता वाले खेल को शाला में फोकस कर लागू किया जाए।
- 5/- खेल सामग्री क्रय एवं उपयोग की प्रक्रिया राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा शालाओं को खेल सामग्री हेतु राशि निम्नलिखित व्यवस्थाएं करने के आधार पर जारी की जा सकेगी:-
 - शाला स्तर पर समुदाय से बच्चों के खेल में सहयोग देने के इच्छुक व्यक्तियों एवं शाला प्रबंध समिति के सदस्य आपस में बैठकर चर्चा कर शाला के प्राचार्य/प्रधानपाठक एवं एक नामांकित सदस्य जिसे खेल की जिम्मेदारी देनी होगी के साथ मिलकर कम से कम दस सदस्यीय दल के माध्यम से शालाओं में "खेल गढ़िया" कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
 - शाला या संकुल स्तर पर यदि कोई खेल विशेषज्ञ अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हों तो उनके सहयोग से उनकी विशेषज्ञता वाले किसी खेल को संकुल या चयनित शाला में फोकस कर लागू करने की व्यवस्था कर योजना बना सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई तिरंदाजी या मल्लखंब में विशेषज्ञ सेवाएं देने को तत्पर हो तो उस शाला में उसी खेल को ध्यान में रखकर सामग्री अथवा उपकरण लेने होंगे।
 - किसी भी कीमत पर केन्द्रीय खरीदी नही की जायेगी, क्योंकि यह शाला में बच्चों की संख्या, सभी को शामिल करने एवं अधिक से अधिक बच्चों को खेल में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देने के साथ-साथ स्थानीय परिस्थितियों एवं संसाधनों को ध्यान में रखकर तय किया जाएगा। किसी गांव में तैरने की बेहतर सुविधा एवं तैयार सिखाने के लिए इच्छुक लोग

- उपलब्ध हों तो वहां तैराकी पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उससे संबंधित व्यवस्थाएं इस बजट से की जानी होंगी।
- सामग्री क्रय करते समय स्थानीय कारीगरों को मौका देने का प्रयास करें जैसे— पतंग, भौरें, क्रिकेट के किट आदि क्रय करने हेतु स्थानीय कारीगरों से लिए जाने को प्राथमिकता देने से उन्हें भी सहयोग मिल सकेगा और सामग्री कम कीमत में मिल सकेगी।
 - सभी क्रय सामग्री एवं व्यय का संधारण शासकीय नियमानुसार किया जाना होगा और स्टॉक पंजी में सामग्री आदि का दर्ज कर सभी चीजें व्यवस्थित रखें।
 - सामग्री के सुरक्षित रखने हेतु अलमारी या स्टोरेज व्यवस्था होनी चाहिए और किसी एक शिक्षक को इस कार्य की जिम्मेदारी देनी होगी और सामग्री को बच्चों की पहुंच में रखा जाना होगा ताकि वे आवश्यकतानुसार खेलते समय इनका लाभ ले सकें।
 - संकुल समन्वयक द्वारा उनके संकुल की शालाओं में प्राप्त राशि से क्रय की गयी सामग्री एवं खेलकार्य के लिए किए गए व्यय का अनुमोदन करेंगे एवं इस दिशा में हो रही प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदार होंगे।
 - संकुल समन्वयक शैक्षिक कैलेण्डर के अनुरूप अपने-अपने संकुल में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग करेंगे और सभी शालाओं को इसमें शामिल करेंगे।
 - शालाओं में खेल के लिए अलग से कालखण्ड एवं समय की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा और सभी बच्चों को उनके स्तर एवं शौक के आधार पर खेलने के लिए सामग्री उपलब्ध होनी चाहिए। किसी भी बच्चे चाहे वह विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हों, उनके लिए खेल सामग्री होनी चाहिए।
 - इस कार्यक्रम के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा और शालाओं को खेल सामग्री एवं सुविधाएं देते समय अधिक से अधिक सामुदायिक सहभागिता लिया जाना सुनिश्चित किया जावे।

संलग्न—उपरोक्तानुसार



प्रबंध संचालक

समग्र शिक्षा

छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.क्र./1754/समग्र शिक्षा/प्राथमिक एवं माध्यमिक/कीड़ा/2019-20 रायपुर दिनांक: 03/11/2019
प्रतिलिपि—

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
3. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी सह जिला परियोजना अधिकारी, छ0ग0 को सूचनार्थ।
5. समस्त जिला मिशन समन्वयक, छ0ग0 को सूचनार्थ।
6. समस्त जिला परियोजना अधिकारी, छ0ग0 को सूचनार्थ।
7. संबंधित प्रधान पाठक/प्राचार्य.....छ0ग0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


प्रबंध संचालक

समग्र शिक्षा

छत्तीसगढ़, रायपुर

परिशिष्ट "उन्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 23 (क्र. 1455) की जानकारी]

क्र	जिला	वर्ष	प्रयोजन	प्रभावित कृषकों की संख्या	मुआवजा प्राप्त कृषकों की संख्या	भुगतान की गई मुआवजा राशि	शेष मुआवजा आप्राप्त कृषकों की संख्या	वितरण हेतु शेष मुआवजा राशि
1	दुर्ग	2018	महादेव एनीकट सौंदर्यीकरण योजना	03	03	3,17,90,702	—	—
		2019	सड़क निर्माण, सेतु निर्माण, मार्ग चौड़ीकरण,	247	183	10,33,57,005	64	3,25,27,789
		2020	जलाशय निर्माण					
2	राजनांदगांव	2018	सड़क निर्माण, नहर निर्माण, डुबान, बांध निर्माण, मार्ग निर्माण, बायपास मार्ग, चौड़ीकरण, पुल निर्माण, औद्योगिक प्रयोजन	528	447	49,64,23,374	81	3,86,17,237
		2019	सड़क निर्माण, नहर निर्माण, डुबान, बांध निर्माण, मार्ग निर्माण, बायपास मार्ग, चौड़ीकरण, पुल निर्माण, औद्योगिक प्रयोजन एवं रेल लाईन निर्माण	362	70	6,45,22,455	292	46,37,32,506

		2020	सड़क निर्माण, नहर निर्माण, डुबान, बांध निर्माण, मार्ग निर्माण, बायपास मार्ग, चौड़ीकरण, पुल निर्माण, औद्योगिक प्रयोजन रेल लाईन निर्माण एवं गुड्स शेड निर्माण	173	128	11,08,92,477	45	1,31,07,946
3	बेमेतरा	2018	हेम्प व्यपवर्तन दांयी तट नहर ग्राम मड़ई, अंधियारखोर-मरका मार्ग पुल निर्माण ग्राम पड़कीडीह, हेमाबंद-भंवरदा-अमलीडीह मार्ग में संकरी नदी पर पुल निर्माण, चकरभाठा/परपोड़ी जलाशय ग्राम परपोड़ी, सिरसा जलाशय योजना सिंघौरी (सार्वजनिक प्रयोजन)	27	27	1,04,88,670	0	0
		2019	मऊ-मल्दा मार्ग हाफ नदी पर पुल निर्माण ग्राम खम्हरिया, सोढ़ रेवे देवरबीजा मार्ग निर्माण एवं लेंजवारा तारालीम मार्ग (सार्वजनिक प्रयोजन),	206	190	2,85,03,863	16	22,49,936
		2020	झिपनिया केनाल निर्माण ग्राम चिल्फी	12	0	0	12	47,40,000

4	कबीरधाम	2018, 2019 एवं 2020	सड़क निर्माण एवं नहर नाली निर्माण एवं डूबान	990	629	18,36,03,142	357	16,28,44,367
5	बालोद	2018,	मोहड़ जलाशय परियोजना	1057	105	11,47,29,000	02	21,25,100
		2019	मोहदीपाट नहर परियोजना	88	85	2,27,38,440	03	4,50,000
		2020	तरौद से दैहान बाईपास	09	—	—	09	73,24,990

परिशिष्ट "तीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 28 (क्र. 1592) के भाग (ख) एवं (ग) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में दिनांक 01-01-2019 से दिनांक 04-02-2021 तक की गई नियुक्ति/अनुमोदन की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के संबंध में			नियुक्तिकर्ता अधिकारी / पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्या नियुक्ति में सेवानियम का पालन किया गया है	अनुमोदन / अनुमति प्रदायकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम
			कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रायपुर	कुम्हारी	श्री पवन कुमार निषाद	विक्रेता	15-04-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
2		धरसीवा	श्री अमन निर्मलकर	विक्रेता (अंशकालिक)	01-09-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
3		दोंदेकला	कु. कुलेश्वरी वर्मा	कम्प्यूटर ऑप. दैनिक वेतन पर (संवैदा)	01-09-2019	श्रीमती स्मिता अखिलेश, शाखा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
4		आरंग	श्री खोमन निषाद	विक्रेता	26-06-2019	अध्यक्ष एवं कर्मचारी चयन समिति द्वारा	नहीं	अनुमोदन नहीं
5		मानिकचौरी (पिपरौद - उपाजर्न केन्द्र)	श्री लाकेश साहू	डाटा ऑपरेटर	27-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी / समिति प्रबंधक	नहीं	अनुमोदन नहीं
6		पटेवा	श्री महेन्द्र कुमार तारक	डाटा ऑपरेटर	30-11-2020	श्री अशोक साहू शाखा प्रबंधक एवं प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
7		कठिया (वर्तमान में बजारी)	श्री चतुर साहू	डाटा ऑपरेटर	10-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
8		रवेली	श्री तिलेश्वर सोनकर	डाटा ऑपरेटर (दैनिक वेतन पर)	01-12-2020	अध्यक्ष एवं संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
9		नगपुरा	श्री नितीश सिंह	डाटा ऑपरेटर	19-11-2020	अध्यक्ष एवं संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
10	धमतरी	भखारा	श्री हरखराम साहू	भृत्य	16-11-2020	चयन समिति की अनुशंसा पर संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति किया गया है।	हां	अनुमोदन नहीं
11	महारासमुंद	नरतोरा	परसुराम यादव	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	29-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
12		खल्लारी	श्री खोमन लाल पटेल	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	30-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
13		सिरीपठारीमुडा	श्री मगन लाल छाबड़ा	दैनिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर (दैनिक वेतन पर)	01-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
14		सिरीपठारीमुडा	श्री युवराज साहू	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (दैनिक वेतन पर)	01-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
15		गबौद	श्री ओमप्रकाश साहू	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	20-09-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
16		रिसीकेला	श्री चितकुमार पटेल	विक्रेता	30-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	श्री आर. डी. कुल्हारा, प्रभारी उप पंजीयक
17		रिसीकेला	श्री हेमराज चौधरी	विक्रेता	30-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	श्री आर. डी. कुल्हारा, प्रभारी उप पंजीयक
18		बरोडाबाजार	श्री चपेश्वर साहू	भृत्य (अनुकम्पा नियुक्ति)	07-09-2020	संचालक मंडल	हां	अनुमोदन नहीं
19	बलौदाबाजार भाटापारा	लवन	श्री सुनील कुमार पाण्डेय	प्रोसेस सर्वर	01-04-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
20		बोरसी	श्री हिलेश्वर कैवर्त्य	कम्प्यूटर ऑपरेटर	30-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21		बोरसी	श्री देवसिंग यादव	विक्रेता	30-04-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
22		बोरसी	श्री हरिश पटेल	विक्रेता	30-04-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
23		बोरसी	श्री कमलेश पटेल	कम्प्युटर ऑपरेटर	24-11-2020	श्री डी.के. भरतद्वाज, (सहकारिता विस्तार अधिकारी) प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
24		बोरसी	श्री फागुन यादव	चपरासी	24-11-2020	श्री डी.के. भरतद्वाज, (सहकारिता विस्तार अधिकारी) प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
25		कटगी	श्री रामस्वरूप यादव	विक्रेता	25-02-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
26		कटगी	श्री अजय कुमार वर्मा	विक्रेता	25-02-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
27	बलौदाबाजार भाटापारा	कटगी	श्री सनत कुमार झाहू	विक्रेता	07-08-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
28		कटगी	श्री लीलाधर वर्मा	चपरासी	25-02-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
29		सरसीवां	श्री मनीष बंजारे	भृत्य	21-01-2021	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
30		गिरौद	श्री विष्णु प्रसाद पटेल	विक्रेता	25-01-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
31		गिरौद	श्री कौशलेश मिर्री	विक्रेता	25-01-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
32		गिरौद	श्री नंदकुमार पटेल	विक्रेता	25-01-2019	संचालक मंडल सह चयन कमेटी	नहीं	अनुमोदन नहीं
33		सरसीनी	श्री अनंतकुमार यादव	दैनिक विक्रेता	07-07-2020	श्री देवेन्द्र कुमार नेताम, (सहकारिता निरीक्षक) प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
34		अर्जुनी	श्रीमती कविता वर्मा	अस्थायी कम्प्युटर ऑपरेटर	27-11-2020	श्री अमरनाथ राठौर, (सहकारिता विस्तार अधिकारी) प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
35		भाटापारा	श्री मनोज देवांगन	अस्थायी चौकीदार	08-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
36	बिलासपुर	लाखासार	पवन कुमार चंद्राकर	लिपिक	01-07-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
37		गनियारी	विनीत कौशिक	वैकल्पिक आपरेटर	19-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
38		घुटकू	मनोज कुमार	अतिरिक्त कर्मचारी	26-03-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
39		घुटकू	शांता साहू	कार्यवाहक संस्था प्रबंधक	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
40		घुटकू	अमन भोई	विक्रेता	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
41		घुटकू	किशन लोनिया	भृत्य	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
42		घुटकू	सुनील यादव	चौकीदार / भृत्य	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
43		पोड़ी	अरुण कौशिक	प्र०संस्था प्रबंधक	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
44		पोड़ी	सावन कौशिक	भृत्य	29-11-2020	श्री जी.पी. बिन्दु सहा. अधिकारी तखतपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं
45		भरारी	गौरव कुमार	लिपिक	02-12-2020	प्रभारी संस्था प्रबंधक	नहीं	अनुमोदन नहीं
46		टाडा	कु० पूनीता कौशिक	कम्प्यूटर आपरेटर	28-11-2020	श्री एस. आर.भगत,स०वि.अधिकारी कोटा एवं प्रभारी संस्था प्रबंधक	नहीं	अनुमोदन नहीं
47		टाडा	भगत सिंह पोर्ते	चौकीदार	28-11-2020	श्री एस. आर.भगत,स०वि.अधिकारी कोटा एवं प्रभारी संस्था प्रबंधक	नहीं	अनुमोदन नहीं
48		कुवा	चन्द्रशंखर कौशिक	विक्रेता	21-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
49	जाजगीर-चांपा	मंहत	श्रीमति आशा देवी राठौर (अनुकंपा)	विक्रेता	29-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	संयुक्त पजीयक द्वारा दि. 4.3.2020
50		मंहत	श्री फुलेश्वर राठौर	विक्रेता	20-05-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51		महत	श्रीमति कामिनी सिंह	सहा. कम्प्यूटर ऑपरेटर	01-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
52		सिवनी	श्री संतोष बरेट	चौकीदार	23-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
53		धुरकोट	श्री लोकपाल धीवर	विक्रेता	20-10-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
54		धुरकोट	श्री गगन धीवर	भृत्य	10-07-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
55		धुरकोट	श्री राजेश कहरा	चौकीदार	10-07-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
56		जांजगीर	श्रीमती शीतला सिंह	घपरासी (अनुकम्पा)	24-05-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
57		पहरिया	आयुश सिंह	विक्रेता	30-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
58		पहरिया	ओंकर कंबट	लिपिक	19-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
59		कुटरा	रविकांत कश्यप	विक्रेता	27-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
60		कुटरा	रूपेश कुमार कश्यप	भृत्य	28-05-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
61		कुटरा	जितेन्द्र कुमार पटेल	चौकीदार	28-05-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
62		सालखन	सोहन लाल कश्यप	विक्रेता	05-09-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
63		सालखन	महेश कुमार	भृत्य	05-09-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
64		नवागढ़	श्री अनिल कश्यप	डा.ए.आ.	26-10-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
65		बम्हनीडीह	रोहित कुमार कुर्रे	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
66		बम्हनीडीह	नवनीत साहू	विक्रेता	01-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
67		बम्हनीडीह	सुनील डडसेना	चौकीदार	01-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
68		बम्हनीडीह	संजीव पटेल	चौकीदार	01-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
69		बम्हनीडीह	छललाल राठौर	चौकीदार	01-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
70		बम्हनीडीह	चन्द्रप्रकाश जायसवाल	चौकीदार	01-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
71		करनौद	लक्ष्मी पटेल	लिपिक	30-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
72		करनौद	रविशंकर जलतारे	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
73		बघौद	रमेश महत	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
74		बघौद	नूतन साहू	विक्रेता	01-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
75		कुम्हारीकला	संजय कुमार	विक्रेता	30-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	संयुक्त पंजीयक द्वारा दि. 23.8.2019
76		कुम्हारीकला	पुष्पेन्द्र राठौर	विक्रेता	30-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	
77		डुमरपारा	ओमप्रकाश धवाईत	कम्प्यूटर ऑपरेटर	21-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
78		सिरियागढ	सुकराम पटेल	चौकीदार	17-01-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
79		पुटीडीह	शैलेन्द्र मैत्री	विक्रेता	17-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
80		पुटीडीह	भुवन साहू	चौकीदार	18-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
81		शिवरीनारायण	श्री अश्वनी कुमार साहू	चौकीदार	28-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
82		राहौद	देवेन्द्र कुमार साहू	लेखापाल	07-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
83		राहौद	कमलेश कुमार	विक्रेता	07-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
84		राहौद	हेमंत कुमार	चौकीदार	07-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
85		ससहा	कृष्ण कुमार साहू	विक्रेता(दे.वे.)	27-05-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
86		सकरेली	प्रभात कुमार जायसवाल	लिपिक	11-08-2020	संचालक मंडल	नहीं	संयुक्त पंजीयक द्वारा 29.5.2020
87		सकरेली	रूप पटेल	दैनिक विक्रेता	05-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
88		पोरथा	पिताम्बर साहू	दैनिक विक्रेता	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
89		पोरथा	सनत यादव	कम्प्यूटर ऑपरेटर	15-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	संयुक्त पंजीयक द्वारा 19.9.2019
90		पोरथा	कृष्ण राठौर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	15-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	
91		पोरथा	कु. बीना साहू	दैनिक कम्प्यूटर ऑपरेटर	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
92		पोरथा	समीर राठौर	दैनिक भृत्य	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
93		बरपाली	जितेन्द्र कंवर	चौकीदार	25-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
94		अडमार	तिलेश गबेल	भृत्य	01-05-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
95		सक्ति	यज्ञादत पाण्डेय	विक्रेता	08-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
96		सक्ति	देवनाशयण पटेल	चौकीदार	08-06-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
97	कोरवा	लाफा	श्री महेंद्र कुमार जगत	विक्रेता	24-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
98		लाफा	श्री भरत कश्यप	विक्रेता	18-03-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
99		चैतना	श्री दीपक कुमार कश्यप	कम्प्यूटर ऑपरेटर	30-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
100		चैतना	श्री धनेशराम	चौकीदार	26-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
101		सोहागपुर	श्री दीपक कुमार साहू	विक्रेता	28-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9
102		सोहागपुर	श्री नरेन्द्र कुमार साहू	कम्प्यूटर ऑपरेटर	28-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
103		सुखरीकला	श्री धनराज साहू	विक्रेता	26-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
104		बरपाली	श्री बलराम प्रसाद कश्यप	कम्प्यूटर ऑपरेटर	31-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
105		करतला	श्री विजय कुमार राठिया	विक्रेता	20-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
106		करतला	श्री गंगाधर कुमार राठिया	कम्प्यूटर ऑपरेटर	20-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
107		सिरमिना	श्री शोमेश्वर देवांगन	कम्प्यूटर ऑपरेटर	29-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
108		सिरमिना	श्री जीवन सिंह	चौकीदार	01-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
109		हरदीबाजार	युगलकिशोर यादव	कम्प्यूटर ऑपरेटर	25-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
110		बरपाली	श्री भोगसिंह कंवर	विक्रेता	11-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
111		बरपाली	श्री लालीराम यादव	गैस गोदाम चौकीदार	30-07-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
112	मुगेली	लोरमी	श्री राममैया राजपूत	लिपिक	01-04-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
113		लोरमी	श्री शरद साहू	विक्रेता	01-04-2019	संचालक मंडल	नहीं	सहायक पंजीयक द्वारा 13.2.2018
114		बोडतरा	श्री होमचंद जायसवाल	विक्रेता	06-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
115		खाम्ही	श्री सुरज कुमार	लिपिक सहायक	10-06-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
116		दाऊकपा	श्री ईश्वर साहू	विक्रेता	05-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
117	रायगढ़	कोकडीतराई	दीपक डनसेना	डाटा एंट्री आपरेटर	28-08-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
118		तारापुर	लक्ष्मण पटेल	डाटा एंट्री आपरेटर	01-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
119		टारपाली	दिलीप प्रधान	लिपिक	19-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
120		टारपाली	मदन प्रधान	सह. लिपिक	14-12-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
121		जांभगांव	रवि चौहान	सह. लिपिक	15-09-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
122		जतरी	अभिलाष गुप्ता	सह. लिपिक	26-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
123		जतरी	चंद्राकर पटेल	आपरेटर	15-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
124		कोडपाली	कार्तिकेश्वर	आपरेटर	02-09-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
125		उलखर	नरेन्द्र चंद्रा	सह. प्रबंधक	29-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
126			संजय पटेल	सह. प्रबंधक	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
127			कुंदन डनसेना	कम्प्यूटर आपरेटर	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
128		आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या0 जैपुरा पं0क0 833	प्रताप पटेल	लिपिक	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
129			कपिल श्रीवास	कम्प्यूटर आपरेटर	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
130			डनकेश्वर डनसेना	सह. लिपिक	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
131			ओस राम पटेल	लेखापाल	21-11-2020	प्राधिकृत अधिकारी	नहीं	अनुमोदन नहीं
132		छरटांगर	सुरेन्द्र साव	सह. लिपिक	01-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
133		छरटांगर	नंदलाल राठिया	चौकीदार	01-02-2021	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
134		धौराभांटा	देवानंद गुप्ता	सह. लिपिक	23-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
135		सरईपाली	गंगाप्रसाद यादव	सह. लिपिक	12-07-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
136	दुर्ग	कोहका	कोमल साहू	ऑपरेटर सह लिपिक	14-06-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
137		कुधरेल	त्रिलोक कुमार	कम्प्यूटर आपरेटर	19-10-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
138		झीट	पुरुषोत्तम सिन्हा	लिपिक सह कम्प्यूटर	07-08-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
139	सरगुजा	चान्दों (लखनपुर)	रुदन राम	प्र. प्रबंधक	01-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
140		नमनाकलां	प्रवीण गुप्ता	कम्प्यूटर आपरेटर	11-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
141			शिवचरण बरवा	भृत्य	11-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
142		खैरवार	पप्पू प्रताप राजवाड़े	कम्प्यूटर आपरेटर	11-02-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
143		बतौली	अरविन्द टोप्पो	कम्प्यूटर आपरेटर	30-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
144	बलरामपुर		श्रीमती निर्मला गुप्ता	सहायक प्रबंधक	27-11-2019	प्राधिकृत अधिकारी श्री शांतिपुस तिकी, स.वि.अ. वाड्डफनगर	नहीं	अनुमोदन नहीं
145		बरतीकला	दीपक गुप्ता	आपरेटर	27-11-2019	प्राधिकृत अधिकारी श्री शांतिपुस तिकी, स.वि.अ. वाड्डफनगर	नहीं	अनुमोदन नहीं
146			सुखन राम	रात्रि रक्षक	09-06-2019	प्राधिकृत अधिकारी श्री शांतिपुस तिकी, स.वि.अ. वाड्डफनगर	नहीं	अनुमोदन नहीं
147		डोंगरो	ऋषभ गुप्ता	सहायक प्रबंधक	03-05-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
148			मुपेन्द्र यादव	रात्रि रक्षक	03-09-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
149	सूरजपुर	प्रतापपुर	मुनेश कुमार सिंह	भृत्य	04-01-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
150	Y	जगन्नाथपुर	लालबहादुर	लिपिक	16-12-2019	प्राधिकृत अधिकारी श्री टी. टोप्पो, स.नि.	नहीं	अनुमोदन नहीं	
151		दवनकरा	भूपेन्द्र कुमार	कम्प्यूटर ऑपरेटर	15-09-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
152			महेश कुमार	सहायक लिपिक	14-04-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
153			आदित्य	कम्प्यूटर ऑपरेटर	01-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
154		गोविन्दपुर	रामप्रसाद	चौकीदार	11-01-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
155		सलका	विश्वनाथ ठाकुर	धान खरीदी प्रभारी	27-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
156			पप्पु राजवाड़े	कम्प्यूटर ऑपरेटर	27-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
157		जयनगर	बिरेन्द्र कुमार	रात्रि रक्षक	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
158			तुलेश्वर प्रजापति	केन्द्र प्रभारी	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
159			मनीष राजवाड़े	कम्प्यूटर ऑपरेटर	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
160			कमल कुमार सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
161			संजय प्रताप सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	28-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
162		नवगई	जवाहिर लाल	मृत्य	15-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
163		केवरा-	ऋषु दुबे	लिपिक	01-07-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
164			गिरजाशंकर यादव	धान खरीदी प्रभारी	29-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
165			नंदलाल सिंह	कम्प्यूटर ऑपरेटर	29-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
166		सोनपुर	साधना कुशवाहा	सहायक	11-05-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
167	शिवप्रसाद नगर	यसीम अकरम	कम्प्यूटर ऑपरेटर	12-01-2020	प्राधिकृत अधिकारी श्री ए.के. अंसारी, व.स.नि.	नहीं	अनुमोदन नहीं		
168	समानुजनगर	राजेन्द्र सिंह	सहा. विक्रेता	23-08-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
169		देवकीनन्दन	सहा. विक्रेता	09-12-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
170	पौंडी	व्यास नारायण	कम्प्यूटर ऑपरेटर	27-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
171		राजेश सिंह	लेखापाल	03-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
172		चक्रधारी सिंह	सहायक विक्रेता	27-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
173		उमाशंकर यादव	रात्रि रक्षक	27-11-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
174		सूरजपुर	जितेन्द्र कुशवाहा	दैनिक मजदूर	04-12-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
175	संजय सिंह		सहायक विक्रेता	02-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
176	शारदा गुप्ता		सहायक विक्रेता	02-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
177	बसदेई	तलित राजवाड़े	कम्प्यूटर ऑपरेटर	21-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
178	कोरिया	सिंगरौली	इन्द्रपाल बैगा	सहायक लिपिक	12-12-2020	प्राधिकृत अधिकारी श्री एस. के. गुप्ता, स.वि.अ. बैकुण्ठपुर	नहीं	अनुमोदन नहीं	
179	चैनपुर	कोटाडोल	अंकुर तिवारी	कम्प्यूटर ऑपरेटर	11-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
180		छिन्दडांड	प्रदीप कुमार	लिपिक सह कम्प्यूटर	20-11-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
181		श्रवण कुमार	समिति सहायक	25-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
182			कमलेश मरकाम	आपरेटर	25-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
183		डोडकी	अजय हितकर	आपरेटर	12-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
184		केल्हारी	अवनीश सिंह	लिपिक सहायक	30/06/2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
185		जशपुर	कुनकुरी	दिलीप ताम्रकार	लिपिक	11-02-2019	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
186		किलकिला	चन्द्रभान सिदार	आपरेटर	17-01-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
187		समला	तेजस यादव	आपरेटर	01-12-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
188		धरजियाबधान	मानस बंजारा	आपरेटर	09-10-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
189	कोतवा	गेंदलाल पैकरा	प्रबंधक	26-05-2020	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
190	सुकमा	नेतानार	श्री सुंदरलाल यादव	धान खरीदी प्रभारी	24-11-2020	श्री झितरुराम अध्यक्ष एवं संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं	
191			श्री नीलाधर सेठिया	कम्प्यूटर ऑपरेटर	24-11-2020				
192			श्री मीरू राम बेको	बारदाना प्रभारी	24-11-2020				
193			श्री रुखधर यादव	चौकीदार	24-11-2020				
194	गादीरास	श्री किशोर कुमार कोडी	ऑपरेटर	28-08-2020	श्री बोंकेराम अध्यक्ष एवं संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं		
195		श्री शेखर चंद नायक	लिपिक	15-10-2019					
196		श्री श्याम लाल	चौकीदार	15-10-2019					

प्रपत्र "ब"

प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में परिपत्र क्र./4456, दिनांक 21-12-2020 जारी होने के पश्चात् भर्ती/अनुमति की जिलेवार जानकारी

क्र.	जिले का नाम	समिति का नाम	नियुक्ति किए गए कर्मचारियों के संबंध में			नियुक्तकर्ता अधिकारी / पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	क्या नियुक्ति में सेवानियम का पालन किया गया है	अनुमोदन / अनुमति प्रदायकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम
			कर्मचारी का नाम	पदनाम	नियुक्ति दिनांक			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	बलौदाबाजार-भाटापारा	सरसीवां	श्री मनीष बंजारे	भूत्य	21-01-2021	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं
2	रायगढ़	छर्टांगर	नंदलाल राठिया	घोंकीदार	01-02-2021	संचालक मंडल	नहीं	अनुमोदन नहीं

परिशिष्ट "ईकतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 29 (क्र. 1593) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

क	जिला का नाम	विद्या मितान से रखे गये अतिथि शिक्षक
1	2	3
1	महासमुंद	34
2	बलौदाबाजार	20
3	गरियाबंद	82
4	धमतरी	32
5	कबीरधाम (कवर्धा)	15
6	बालोद	20
7	राजनांदगांव	88
8	बिलासपुर	56
9	कोरबा	97
10	सक्ती	5
11	रायगढ़	96
12	कांकेर (उत्तर बस्तर)	167
13	नारायणपुर	58
14	कोण्डागांव	156
15	जगदलपुर	168
16	दंतेवाड़ा	31
17	बीजापुर	53
18	सुकमा	57
19	कोरिया	159
20	बलरामपुर-रामानुजगंज	185
21	सूरजपुर	147
22	जशपुर	14
23	सरगुजा	92
	योग	1832

प्रपत्र "ब"

क.	जिला	बी.एड की योग्यता नहीं रखने वाले अतिथि शिक्षकों की संख्या
1	2	3
1	महासमुन्द	0
2	बलौदाबाजार	0
3	गरियाबंद	0
4	धमतरी	0
5	कबीरधाम	0
6	बालोद	0
7	राजनांदगांव	0
8	बिलासपुर	0
9	कोरबा	0
10	सक्ती	0
11	रायगढ़	0
12	कोरिया	0
13	बलरामपुर—रामानुजगंज	0
14	सूरजपुर	0
15	जशपुर	0
16	अंबिकापुर	0
17	कांकेर	0
18	नारायणपुर	0
19	कोण्डागांव	18
20	जगदलपुर	0
21	दन्तेवाड़ा	0
22	बीजापुर	0
23	सुकमा	0
	योग	18

परिशिष्ट "बतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 22 (क्र. 1635) के भाग (क) की जानकारी]

क्र.	ट्रस्टी का नाम	पंजीयन तिथि	ट्रस्ट का उपयोग	ट्रस्ट की संपत्ति	ट्रस्टी के अध्यक्ष / सचिव	ट्रस्ट कितने वर्षों के लिए पंजीकृत है।	रिमार्क
01	श्री कबीर जागू आश्रम ग्राम सेनचुवा	24.05.2006	ट्रस्टियों द्वारा	28.35 लाख रु/ 1.63 हे० खसरा नं०-358 कुल खसरा 04 कृषि भूमि एवं अन्य को मिलाकर	श्री अनुकरण दास / श्री भूषण दास	स्थायी पंजीयन	
02	शांतिघाट धमतरी	03.02.1984	सार्वजनिक	13999904 रु०/ खसरा नं०-2426/2 रकबा 0.053हे० सहित किराया एवं दान से	श्री लक्ष्मी महावर / श्री विपीन पवार	स्थायी पंजीयन	
03	टिम्बर मर्चेन्ट चेरिटेबल ट्रस्ट धमतरी	04.02.1984	ट्रस्टियों द्वारा	2990349रु०/ नजूल भूमि खसरा नं०-1147 रकबा 12.257हे० भवन सहित किराया एवं दान	श्री मनसुखदास	स्थायी पंजीयन	
04	बाके विहारी मंदिर धमतरी	13.01.1992	सार्वजनिक	4162935रु०/नजूल भूमि खसरा नं०-1147 रकबा 12.257हे० भवन सहित किराया एवं दान से	डॉ० एन०पी० गुप्ता / श्री राजेन्द्र गुप्ता	स्थायी पंजीयन	
05	श्रीराम जानकी गठ गौरी ट्रस्ट धमतरी	12.05.1993	ट्रस्टियों द्वारा	कोई सम्पत्ति नहीं है।	श्री रोहितास मिश्रा / राकेश लोहाना	स्थायी पंजीयन	
06	मेसर्स बी.एस.किरी चेरिटेबल ट्रस्ट धमतरी	31.03.1993	ट्रस्टियों द्वारा	1577818/- रु० खसरा नं०-835 रकबा 0.02हे० दान एवं सदस्यता शुल्क	श्री कांतिलाल किरी मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी	स्थायी पंजीयन	
07	आनंद धर्मार्थ लोक न्यास धमतरी	22.07.1997	ट्रस्टियों द्वारा	-	श्री अजीत लाल निवासी, धमतरी	स्थायी पंजीयन	
08	गायत्री परिवार ट्रस्ट धमतरी	30.12.1999	सार्वजनिक	889070/-रु० खसरा नं०-168/11 रकबा 0.076हे० दान एवं सदस्यता शुल्क	श्री हर्षद मेहता निवासी, धमतरी मुख्य प्रबंधक ट्रस्टी	स्थायी पंजीयन	
09	श्री प्रेमप्रकाश आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट धमतरी	02.12.2005	सार्वजनिक	6975457/-रु० सिंचाई विभाग की भूमि 0.98हे० एवं दान से	श्री स्वामी भगत प्रकाश उर्फ धर्मदास	स्थायी पंजीयन	

10	हिन्दू अनाथालय न्यास धमतरी	03.12.2005	सार्वजनिक	289226 / -रु० खसरा नं०-210, 492, 560 कुल रकबा 2.90 हे० कृषि भूमि एवं दान से	श्री हीरा महावर / श्री किरण कुमार गांधी	स्थायी पंजीयन	
11	आदिशक्ति मां अंगार मोती ट्रस्ट गंगरेल	19.11.2001	सार्वजनिक	551034 / -रु० खसरा नं०-171 रकबा 2.59 हे० कृषि एवं दान से	श्री शिववरण नेताम कार्यकारी अध्यक्ष / श्री रामनाथ धुव	स्थायी पंजीयन	
12	महर्षि मुक्त आश्रम श्री ज्ञानेश्वर मंदिर ट्रस्ट परसतराई	10.06.1993	ट्रस्टियों द्वारा	2.27 करोड़ रु० लगभग कृषि भूमि मिलाकर दान से	श्री महावीर साहू / श्री बेनीपाल	स्थायी पंजीयन	
13	राधाकृष्ण मंदिर न्यास रावणगुडा	01.12.2005	ट्रस्टियों द्वारा	488129 / रु० खसरा नं०-169 रकबा 2.59 हे०	श्री मोरचंज यदू / श्री जागेश्वर	स्थायी पंजीयन	
14	श्री राम जानकी मंदिर न्यास छाती	14.01.1992	सार्वजनिक	-	श्री नरेश कुमार यदु / सतीश चंद्राकर	स्थायी पंजीयन	
15	विद्यासागर गोविन्दीदेवी चेरिटेबल ट्रस्ट धमतरी	31.03.2009	ट्रस्टियों द्वारा	कुल 42 रकबा ,रकबा 16.6834	श्री रामगोपाल अग्रवाल	स्थायी पंजीयन	

परिशिष्ट "तैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 27 (क्र. 1644) के भाग (क) की जानकारी]

खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भवन विहीन एवं जर्जर भवनों की विकासखण्डवार जानकारी

क्र.	वि.ख.	शाला का नाम	भवन की स्थिति	क्र.	वि.ख.	शाला का नाम	भवन की स्थिति
1	छुरिया	शा.हाईस्कूल मोरकुटुम्ब	विहीन	27	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला गोडलवाही	जर्जर
2	छुरिया	शा.हाईस्कूल सालहेटोला	विहीन	28	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला परंवाडीह	जर्जर
3	छुरिया	शा.हाईस्कूल चिरचारी खुर्द	विहीन	29	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला उमरवाही	जर्जर
4	छुरिया	शा.प्राथ.शाला जोधरा	जर्जर	30	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला संबलपुर	जर्जर
5	छुरिया	शा.प्राथ.शाला छिन्दीबिरही	जर्जर	31	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला लालूटोला	जर्जर
6	छुरिया	शा.प्राथ.शाला पथरा नवागांव	जर्जर	32	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला दानीटोला	जर्जर
7	छुरिया	शा.प्राथ.शाला अरजकुंड	जर्जर	33	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला खोराटोला	जर्जर
8	छुरिया	शा.प्राथ.शाला राना मटिया	जर्जर	34	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला बेलरगोंदी	जर्जर
9	छुरिया	शा.प्राथ.शाला धोबनी	जर्जर	35	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला पैरीटोला	जर्जर
10	छुरिया	शा.प्राथ.शाला जनकपुर	जर्जर	36	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला तेलिनबांधा	जर्जर
11	छुरिया	शा.प्राथ.शाला उमरवाही	जर्जर	37	छुरिया	शा.पूर्व मा.शाला पिनकापार	जर्जर
12	छुरिया	शा.प्राथ.शाला संबलपुर	जर्जर	38	चौकी	प्रा.शा. सिगरायटोला	जर्जर
13	छुरिया	शा.प्राथ.शाला चंदिया	जर्जर	39	चौकी	प्रा.शा. मक्के	जर्जर
14	छुरिया	शा.प्राथ.शाला मिटकूटोला	जर्जर	40	चौकी	प्रा.शा. मोहगांव	जर्जर
15	छुरिया	शा.प्राथ.शाला मनहोरा	जर्जर	41	चौकी	प्रा.शा. मरारटोला	जर्जर
16	छुरिया	शा.प्राथ.शाला पांगरीकला	जर्जर	42	चौकी	प्रा.शा. खुर्सीपार	जर्जर
17	छुरिया	शा.प्राथ.शाला बंशीबंजारी	जर्जर	43	चौकी	प्रा.शा. चिखली	जर्जर
18	छुरिया	शा.प्राथ.शाला कोलियारी	जर्जर	44	चौकी	प्रा.शा. केकतीटोला	जर्जर
19	छुरिया	शा.प्राथ.शाला घुपसाल(छु)	जर्जर	45	चौकी	प्रा.शा. थैलीटोला	जर्जर
20	छुरिया	शा.प्राथ.शाला खुंटा छुरिया	जर्जर	46	चौकी	बा.प्रा.शा. बांधाबाजार	जर्जर
21	छुरिया	शा.प्राथ.शाला मुंजाल पाथरी	जर्जर	47	चौकी	प्रा.शा. मांझीटोला	जर्जर
22	छुरिया	शा.प्राथ.शाला फांफामार	जर्जर	48	चौकी	प्रा.शा. कहाडकसा	जर्जर
23	छुरिया	शा.प्राथ.शाला मातेखेडा	जर्जर	49	चौकी	प्रा.शा. सिरमुंदा	जर्जर
24	छुरिया	शा.प्राथ.शाला गोपालपुर	जर्जर	50	चौकी	प्रा.शा. छछानपाहरी	जर्जर
25	छुरिया	शा.प्राथ.शाला नवांगांव	जर्जर	51	चौकी	शा.पूर्व मा.शाला बांधाबाजार	जर्जर
26	छुरिया	शा.प्राथ.शाला कुबराडीह	जर्जर	52	चौकी	शा.पूर्व मा.शाला चौकी	जर्जर

परिशिष्ट "चौतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 41 (क्र. 1670) की जानकारी]

क्र.	जिला	पदनाम							
		प्रधान पाठक पाथमिक शाला		प्रधान पाठक उच्च प्राथमिक शाला		शिक्षक		व्याख्याता	
		स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त	स्वीकृत	रिक्त
1	रायपुर	719	320	409	171	2499	406	2176	201
2	बलौदाबाजार	1175	649	622	372	3038	997	2654	768
3	महासमुंद	1281	1031	489	351	2223	695	1974	608
4	धमतरी	864	655	434	241	1701	436	1752	288
5	गरियाबंद	968	742	428	219	1917	540	1176	510
6	दुर्ग	574	339	331	192	1894	224	1999	168
7	राजनांदगांव	1865	1343	766	429	3590	901	3331	580
8	बेमेतरा	743	621	384	143	1812	631	1575	323
9	बालोद	809	527	404	173	1956	525	1988	109
10	कबीरधाम	973	850	484	327	2117	662	1451	308
11	बिलासपुर	1106	770	514	299	2467	356	1990	64
12	मुंगेली	659	558	272	165	1353	443	1189	396
13	सक्ती (शैक्षणिक जिला)	765	626	362	284	1570	263	1452	323
14	जांजगीर-चांपा	762	585	408	310	1924	395	1563	116
15	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	545	442	232	78	946	395	690	194
16	रायगढ़	1971	1055	904	515	3538	1210	2734	503
17	कोरबा	379	24	518	213	1718	34	1504	42
18	अबिकापुर	1285	769	558	151	2378	500	1543	118
19	सूरजपुर	1377	1007	552	187	2316	1059	2142	530
20	बलरामपुर	1356	1125	547	170	2259	1033	1559	639
21	कोरिया	953	803	413	228	1740	743	1421	551
22	जशपुर	1651	628	467	121	1887	211	2118	320
23	बस्तर	1526	1219	631	283	2610	815	1799	500
24	कांकेर	1591	1007	608	178	2332	746	2353	416
25	कोण्डागांव	1227	967	602	195	2244	745	1720	756
26	दत्तेवाड़ा	596	452	230	52	681	74	404	176
27	सुकमा	618	484	164	41	810	233	427	231
28	बीजापुर	815	701	225	51	922	493	529	231
29	नाशायणपुर	428	359	134	58	573	245	355	141

परिशिष्ट "पैंतीस"

[अतारांकित प्रश्न संख्या 43 (क्र. 1685) की जानकारी]

क्र.	शाला का नाम	मदवार उपलब्ध कराई गई राशि						
		मरम्मत व रख-रखाव कार्य	अतिरिक्त शाला भवन	किचन शोड निर्माण	कम्प्यूटर	फर्नीचर	अन्य सामग्री	योग
जिला जांजगीर-चाम्पा								
2019-20								
1	हायर सेकेण्डरी स्कूल	1600000		1526000		7684859	10680585	21491444
2	हाई स्कूल	1639340				3145298	3659232	8443870
3	मिडिल स्कूल	3339340		3797000		12431923		19568263
4	प्रायमरी स्कूल	3256340		1884000		1163588		6303928
	योग	9835020	0	7207000	0	24425668	14339817	55807505
2020-21 (5/2/2021 तक)								
1	हायर सेकेण्डरी स्कूल					4017669		4017669
2	हाई स्कूल					2826262		2826262
3	मिडिल स्कूल					7413984		7413984
4	प्रायमरी स्कूल					925609		925609
	योग	0	0	0	0	15183524	0	15183524
शैक्षणिक जिला सक्ती								
2019-20								
1	हायर सेकेण्डरी स्कूल	770000	0	0	0	6468106	16294865	23532971
2	हाई स्कूल	406000	0	0	0	2584343	4613535	7603878
3	मिडिल स्कूल	275000	0	0	0	7191398	815080	8281478
4	प्रायमरी स्कूल	270000	0	0	0	1004146	2798110	4072256
	योग	1721000	0	0	0	17247993	24521590	43490583
2020-21 (5/2/2021 तक)								
1	हायर सेकेण्डरी स्कूल	0	0	0	0	6721527	10556575	17278102
2	हाई स्कूल	0	0	0	0	1133901	1219561	2353462
3	मिडिल स्कूल	1500000	471000	0	0	5632028	3522612	11125640
4	प्रायमरी स्कूल	3000000	0	0	0	673346	4590200	8263546
	योग	4500000	471000	0	0	14160801	19888948	39020749

परिशिष्ट "छत्तीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 46 (क्र. 1696) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

बंटाकन, नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्सन की जानकारी जिला जांजगीर चांपा छ.ग.

वर्ष 2019 की स्थिति में

क्र	अनु.वि.	वि.ख.	तहसील	कुल प्राप्त आवेदन	बंटाकन			नामांतरण			सीमांकन			डायवर्सन		
					दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित
1	जांजगीर	नवागढ	जांजगीर	1330	168	51	117	288	132	156	440	339	101	434	434	0
2			नवागढ	460	180	70	110	185	119	66	95	73	22			
3		अकलतरा	अकलतरा	232	110	41	69	79	35	44	43	25	18			
4		बलौदा	बलौदा	765	342	58	284	299	116	183	124	0	124			
5	पामगढ	पामगढ	पामगढ	759	275	131	144	312	150	162	128	104	24	44	44	0
6	चांपा	बम्हनीडीह	चांपा	496	172	16	156	243	25	218	48	2	46	33	33	0
7	डभरा	डभरा	डभरा	261	44	36	8	91	76	15	103	103	0	23	23	0
8	सक्ती	सक्ती	सक्ती	329	50	18	32	97	41	56	104	90	14	78	78	0
9		मालखरौदा	मालखरौदा	352	150	137	13	130	118	12	72	63	9			
10		जैजैपुर	जैजैपुर	434	152	40	112	183	64	119	99	2	97			
कुल योग:-				5418	1643	598	1045	1907	876	1031	1256	801	455	612	612	0

टीप:- राजस्व वर्ष 2019-20 की जानकारी 01 अक्टूबर 2019 से 30 सितम्बर 2020 तक की है, चाही गई जानकारी सितम्बर की स्थिति में है चालू राजस्व वर्ष में सभी प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है।

बंटाकन, नामांतरण, सीमांकन एवं डायवर्सन की जानकारी जिला जांजगीर चांपा छ.ग.

वर्ष 2020 की स्थिति में

क्र	अनु.वि.	वि.ख.	तहसील	कुल प्राप्त आवेदन	बंटाकन			नामांतरण			सीमांकन			डायवर्सन			
					दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	दर्ज	निराकृत	लंबित	
1	जांजगीर	नवागढ़	जांजगीर	1016	45	27	18	279	179	100	80	78	2	612	612	0	
2			नवागढ़	256	115	81	34	113	23	90	28	13	15				
3			शिवरीनारायण	208	83	1	82	89	0	89	36	0	36				
4			अकलतरा	अकलतरा	238	46	4	42	51	11	40	141	40				101
5			बलौदा	बलौदा	352	125	119	6	192	19	173	35	35				0
6	पामगढ़	पामगढ़	पामगढ़	537	176	39	137	229	79	150	56	28	28	76	76	0	
7	चांपा	बम्हनीडीह	चांपा	655	172	16	156	243	25	218	48	2	46	192	192	0	
8	डभरा	डभरा	डभरा	339	23	13	10	140	62	78	100	19	81	76	76	0	
9	सक्ती	सक्ती	सक्ती	360	24	5	19	39	12	27	49	17	32	248	248	0	
11		मालखरौदा	मालखरौदा	349	142	142	0	177	2	175	30	0	30				
12		जैजैपुर	जैजैपुर	336	127	124	3	183	13	170	26	0	26				
कुल योग:-				4646	1078	571	507	1735	425	1310	629	232	397	1204	1204	0	

टीप:- राजस्व वर्ष 2020-21 की जानकारी 01 अक्टूबर 2020 से 30 सितम्बर तक की है, चाही गई जानकारी सितम्बर की स्थिति में है चालू राजस्व वर्ष में सभी प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है।

परिशिष्ट "सैंतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 47 (क्र. 1597) के भाग (ग) की जानकारी]

जिला जांजगीर-चांपा में संचालित छात्रावासों को प्रदाय किये गये
रेफ्रिजरेटरों की विकासखंडवार जानकारी

क्र.	विकास खंड	सरल क्रमांक	संस्था का नाम	रेफ्रिजरेटर की संख्या
1	2	3	4	5
1	नवागढ़	1	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, जांजगीर	1
		2	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, जांजगीर	1
		3	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास, जांजगीर	1
		4	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास जांजगीर	1
		5	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जांजगीर	1
		6	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास नवागढ़	1
		7	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जांजगीर	1
		8	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नवागढ़	1
		9	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास केरा	1
		10	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सलखन	1
		11	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कुटरा	1
2	अकलतरा	12	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, अकलतरा	1
		13	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, अकलतरा	1
		14	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास अकलतरा	1
		15	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास अकलतरा	1
		16	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अकलतरा	1
		17	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास नरियरा	1
		18	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पोड़ीदलहा	1
		19	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कापन	1
		20	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटमीसुनार	1
		21	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हरदी जर्वे	1
		22	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तिलई	1
3	बलौदा	23	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, चारपारा	1
		24	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बलौदा	1
		25	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बलौदा	1
		26	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खिसोरा	1
		27	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खैजा	1

772/1

क्र.	विकास खंड	सरल क्रमांक	संस्था का नाम	रेफिजरेटर की संख्या
1	2	3	4	5
	बलौदा	28	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बलौदा	1
		29	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बुड़गहन	1
		30	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पहरिया	1
4	सक्ती	31	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास सक्ती	1
		32	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, सक्ती	1
		33	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खैरा	1
		34	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास सक्ती	1
		35	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सक्ती	1
		36	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बाराद्वार	1
		37	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सक्ती	1
		38	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास लवसरा	1
		39	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बाराद्वार	1
		40	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जर्वे	1
5	बम्हनीडीह	41	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास, चाँपा	1
		42	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास बिर्सा	1
		43	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास झरना	1
		44	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बम्हनीडीह	1
		45	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सारागांव	1
		46	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास चाँपा	1
		47	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास बिर्सा	1
		48	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास चाँपा	1
		49	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, चोरिया (बम्हनीडीह)	1
		50	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास अफरीद	1
		51	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास बिर्सा	1
6	पामगढ़	52	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, पामगढ़	1
		53	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, पामगढ़	1
		54	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, राहौद	1
		55	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पामगढ़	1
		56	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास खरौद	1

क्र.	विकास खंड	सरल क्रमांक	संस्था का नाम	रेफिजरेटर की संख्या
1	2	3	4	5
	पामगढ़	57	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास राहौद	1
		58	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास पामगढ़	1
		59	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास खरौद	1
		60	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास भुईगांव (राहौद)	1
		61	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास तनौद	1
		62	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास ससहा	1
7	जैजैपुर	63	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, हसौद	1
		64	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जैजैपुर	1
		65	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ठठारी	1
		66	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास दतौद	1
		67	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास हसौद	1
		68	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास कचंदा	1
		69	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पेण्डी	1
		70	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ओड़ेकेरा	1
		71	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास हसौद	1
		72	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास जैजैपुर	1
		73	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास सलनी	1
8	डभरा	74	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, डभरा	1
		75	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास डभरा	1
		76	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास डभरा	1
		77	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास डभरा	1
		78	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास कोटमी	1
		79	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास कोटमी	1
		80	प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास चन्द्रपुर	1
		81	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास धुरकोट	1
9	मालखरौदा	82	पोस्ट मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास, मालखरौदा	1
		83	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास मालखरौदा	1
		84	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास पिरदा	1
		85	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास सिंघरा	1
		86	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास फगुरम	1

1/1/1

क.	विकास खंड	सरल क्रमांक	संस्था का नाम	रेफिजरेटर की संख्या
1	2	3	4	5
	मालखरौदा	87	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास अड़भार	1
		88	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास छपोरा	1
		89	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास मालखरौदा	1
		90	प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति कन्या छात्रावास छपोरा	1
			योग	90

परिशिष्ट "अडतीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 52 (क्र. 1715) के भाग (क) एवं (ख) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

जिला-नारायणपुर, कोण्डागांव एवं जगदलपुर के छात्रावास/आश्रमों हेतु क्रय सामग्री/मात्रा/फर्म/किये गये भुगतान/सत्यापनकर्ता का नाम व पदनाम तथा सत्यापन में क्या पाया गया की जानकारी

जिला	संस्था / फर्म का नाम	सामग्री का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा	किया गया भुगतान	सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम	सत्यापन में क्या पाया गया
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर	मयंक इन्टरप्राईसेज, नारायणपुर	ए.ई.डी. बल्ब	2333	1329810.00	प्रभारी अधिकारी वित्त, जिला कार्यालय नारायणपुर महाप्रबंधक, जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र नारायणपुर सहायक आयुक्त, कार्या. कलेक्टर आदिवासी विकास शाखा नारायणपुर जिला शिक्षा अधिकारी, नारायणपुर कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय नारायणपुर अधीक्षक, पोस्ट मैट्रिक आदिवासी बालक छात्रावास नारायणपुर	सामग्री गुणवत्तायुक्त पाया गया।
		सिलिंग फेन	355			
		आयरन तखत	217	932883.00		
		मेट्रेसेस	707	2261697.00		
	महावीर इन्टरप्राईसेज	पतिला	78	342966.00		
	द्विवेदी वेल्डींग वर्कस	अलमीरा	31	349990.00		
	महावीर इन्टरप्राईसेज	मेट्रेसेस	186	595014.00		
	योग			5812360.00		
कोण्डागांव	मेसर्स चंदन इंटरप्राईजेस, पैलेस रोड, जगदलपुर	क्वायर मेट्रेसेस (गद्दा)	1198 नग	1656028.00	डिप्टी कलेक्टर/अध्यक्ष सहायक आयुक्त/सदस्य सचिव प्राचार्य आई.टी.आई./सदस्य मण्डल संयोजक/सदस्य कनिष्ठ लेखा अधिकारी/सदस्य	सामग्री गुणवत्तायुक्त पाया गया।
	मेसर्स विग्नेश्वरा फाईबर्स प्रा.लिमि., हैदराबाद, तेलंगाना	क्वायर मेट्रेसेस (गद्दा)	476 नग	1099022.00		
	मेसर्स स्वास्तिक सेल्स, रायपुर, छ.ग.	मच्छरदानी	3000 नग	618392.00		
	मेसर्स नलीन मेडिकल स्टोर्स, सूरजपुर, छ.ग.	फिनाईल	4690 लीटर	328480.00		
	मेसर्स वर्षा इंडस्ट्रीज बेमेतरा, छ.ग.	स्टूडेंट टेबल, स्टूडेंट चेयर	689 सेट	1386945.00		
		योग				

जिला	संस्था / फर्म का नाम	सामग्री का नाम	क्रय सामग्री की मात्रा	किया गया भुगतान	सत्यापनकर्ता अधिकारी का पदनाम	सत्यापन में क्या पाया गया
1	2	3	4	5	6	7
जगदलपुर	मनीषा इन्डस्ट्रीज सक्ति छ0ग0	स्टील थाली	1789	0	अधीक्षक / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बस्तर कोषालय अधिकारी, जगदलपुर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जगदलपुर सहायक संचालक हाथकरघा जगदलपुर सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जगदलपुर प्राचार्य, आई.टी.आई. जगदलपुर कनिष्ठ लेखा अधिकारी, आदिवासी विकास जगदलपुर प्रभारी अधिकारी एन.आई.सी. जिला कार्यालय जगदलपुर	जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति द्वारा क्रय सामग्रियों का भौतिक सत्यापन दिनांक 12.01.2021 को किया गया। भौतिक सत्यापन के दौरान मनीषा इण्डस्ट्रीज जांजगीर चांपा से 954 नग क्रय की गई स्टील जग का स्पेशिफिकेशन निर्धारित गुणवत्ता एवं मापदण्ड के अनुरूप नहीं पाये जाने के फलस्वरूप सामग्री कार्यालयीन पत्र क्र. /288/ दिनांक 19.01.2021 द्वारा संबंधित फर्म को वापस की गई। शेष फर्मों से क्रय की गई सामग्री निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता के अनुरूप पाये जाने से क्रय समिति द्वारा संबंधित फर्मों को भुगतान की अनुशंसा की गई है।
	अग्रवाल इंडस्ट्रीज जगदलपुर	ट्यूब लाईट सेट	456	0		
	अग्रवाल इंडस्ट्रीज जगदलपुर	एल0ई0डी0 लैम्प	742	0		
	स्वास्तिक सेल्स पडरी रायपुर	मच्छरदानी	1436	0		
	अग्रवाल इंडस्ट्रीज जगदलपुर	विद्यार्थी कुर्सी	316	0		
		विद्यार्थी टेबल	239	0		
	विप्रा फर्निचर जगदलपुर	विद्यार्थी कुर्सी	136	0		
		विद्यार्थी टेबल	113	0		
	अरविन्द्र इंडस्ट्रीज सिलतारा रायपुर	फोम गद्दा	416	0		
	शिवा इंटरनेशनल, उन्नाव, उत्तर प्रदेश	फोम गद्दा	692	0		
	अग्रवाल इंडस्ट्रीज जगदलपुर	आयरन तखत	142	0		
	वर्षा इण्डस्ट्रीज बेमेतरा	आयरन तखत	362	1563840		
	ओरियेन्ट सेल्स कॉर्पोरेशन	प्रेसर कुकर	19	0		
	शिखा ट्रेडर्स चित्रकोट रोड धरमपुरा	फिनाईल	1333 लीटर	0		
खादी तथा ग्रामोद्योग भण्डार जगदलपुर	रंगीन चादर	1000	350000			
केन्द्रीय जेल जगदलपुर	लकड़ी तखत	138	0			
	योग			1913840		

नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जिला-नारायणपुर, कोण्डागांव एवं जगदलपुर में संचालित छात्रावास/आश्रमों में किये गये निर्माण कार्यों की जानकारी

विधानसभा क्षेत्र	जिला	मद/योजना का नाम	कार्य का नाम	लागत राशि	भुगतान राशि	कार्य की स्थिति पूर्ण/अपूर्ण
1	2	3	4	5	6	7
नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र	नारायणपुर	विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना	आदिवासी बालक आश्रम कुडमेल में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम गोमागाल में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम थुलथुली में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम जुवाड़ा में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम मुरुमवाड़ा में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम रेकावाया में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम गोंमें में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	5.500	कार्य पूर्ण
			आदिवासी बालक आश्रम आसनार में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम रायनार में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम हिकुल में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम पिड़ियाकोट में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम लंका में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	0.00	कार्य प्रगति पर
			आदिवासी बालक आश्रम बेनूर में शौचालय निर्माण कार्य	5.500	5.500	कार्य पूर्ण
			योग			71.50
जगदलपुर		विभागीय अनुरक्षण/लघु निर्माण मद	50 सीटर कन्या आश्रम विश्रामपुरी को आदर्श संस्था के रूप में विकसित करने हेतु	25.000	0.00	अपूर्ण
		संविधान के अनुच्छेद 275(1) मद अंतर्गत	कन्या शिक्षा परिसर भानपुरी में जूनियर साइंस लेब की स्थापना	16.000	0.00	अप्रारंभ
		योग			41.00	0.00
कोण्डागाँव			निरंक			

परिशिष्ट "उनचालीस"

[अतारंकित प्रश्न संख्या 53 (क्र. 1720) के भाग (क) की जानकारी]

जिला	क्र.	विद्यालय का नाम
1.	2.	3.
सरगुजा	1	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कमलेश्वरपुर, विकासखण्ड, मैनपाठ
	2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, रीखी, विकासखंड, उदयपुर
	3	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेतला, विकासखंड, सीतापुर
	4	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवपुर विकासखंड, बतौली
सूरजपुर	5	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, शिवप्रसादनगर, विकासखंड, भैयाथान
	6	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ओड़गी, विकासखंड, ओड़गी,
	7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, खोरमा, विकासखंड, प्रतापपुर
	8	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, परवातीपुर, विकासखंड, प्रेमनगर
रायगढ़	9	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटेमुड़पार, विकासखंड, खरसिया
	10	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बयासी, विकासखंड, धरमजयगढ़
	11	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छतारांगढ़, विकासखंड, घरघोड़ा
कबीरधाम	12	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, तरेगांवजंगल, विकासखंड, बोड़ला
जगदलपुर	13	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, करपावण्ड, विकासखंड, बकावण्ड
	14	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेसोली, विकासखंड बस्तर
	15	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मेटावाड़ा, विकासखंड, तोकापाल
	16	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गधियाँ, विकासखंड, लोहांडीगुड़ा
	17	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोडेनार, विकासखंड, बास्तानार
	18	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छिदवाड़ा, विकासखंड, दरभा

जिला	क.	विद्यालय का नाम
1.	2.	3.
कांकेर	19	बालक एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, लामकन्हार, विकासखंड, अंतागढ़
	20	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बारदेवरी, विकासखंड, कांकेर
	21	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नरहरपुर, विकासखंड, नरहरपुर
	22	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, फरासकोट, विकासखंड, भानुप्रतापपुर
	23	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, हिलचुर, विकासखंड, दुर्गकोंदल
जशपुर	24	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सन्ना, विकासखंड, बगीचा
	25	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, घोलेंग, विकासखंड, जशपुर
	26	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, धुधरुंड, विकासखंड, कांसाबेल
	27	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकरापारा, विकासखंड, पत्थलगांव
दन्तेवाड़ा	28	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कटेकल्याण, विकासखंड, कटेकल्याण
	29	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दन्तेवाड़ा, विकासखंड, दन्तेवाड़ा
	30	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, हरम, विकासखंड, गीदम
	31	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कुआँकोण्डा, विकासखंड, कुआँकोण्डा
राजनांदगांव	32	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पेण्डी, विकासखंड, राजनांदगांव
	33	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ख्वासफड़की, विकासखंड, मानपुर
	34	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, माडिग फीडिंग घेनु, विकासखंड, मोहला
कोरिया	35	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पोड़ीडीह, विकासखंड, खड़गवा
	36	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, घुघरा, विकासखंड, सोनहत
	37	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, जमथान, विकासखंड, भरतपुर

जिला	क्र.	विद्यालय का नाम
1.	2.	3.
बीजापुर	38	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भैरमगढ़, विकासखंड, भैरमगढ़
	39	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बीजापुर, विकासखंड, बीजापुर
	40	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, रुद्राराम, विकासखंड, भोपालपट्टनम
	41	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगीगुड़ा, विकासखंड, उसुर
कोरबा	42	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छुरीकला, विकासखंड, कटघोरा
	43	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, लाफा, विकासखंड, पाली
	44	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, रामपुर, विकासखंड, पोड़ीउपरोड़ा
गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	45	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, डोंगरिया, विकासखंड, मरवाही
	46	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, लाटा, विकासखंड, पेण्ड्रा
	47	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, नेवसा-पेण्ड्रा रोड, विकासखंड, गौरेला
कोण्डागांव	48	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मर्दापाल, विकासखंड, कोण्डागांव
	49	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बेडमा, विकासखंड, केशकाल
	50	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, चिचाड़ी, विकासखंड, फरसगाँव
	51	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कोरगाँव, विकासखंड, बड़ेराजपुर
	52	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, माकडी, विकासखंड, माकडी
नारायणपुर	53	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छेरीबेड़ा, विकासखंड, नारायणपुर
	54	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छोटेडोंगर, विकासखंड, ओरछा
बलरामपुर	55	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भेलवाडीही, विकासखंड, बलरामपुर
	56	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, मदनपुर, विकासखंड, वाड़फनगर
	57	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, रामनगर, विकासखंड, कुसमी
	58	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, देवीगंग, विकासखंड, रामचन्द्रपुर
	59	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बुधा बगीचा, विकासखंड, राजपुर
सुकमा	60	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दोहना, विकासखंड, शंकरगढ़
	61	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, सुकमा, विकासखंड, सुकमा
	62	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, ऐराबोर, विकासखंड, कोन्टा
	63	कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलातीकरा, विकासखंड, छिंदगढ़

जिला	क्र.	विद्यालय का नाम
1.	2.	3.
गरियाबंद	64	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, केसोडोर, विकासखंड, छुरा
	65	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, गिरहोला, विकासखंड, मैनपुर
धमतरी	66	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पथरीडीह, विकासखंड, नगरी
बालोद	67	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, दल्लीराजहरा, विकासखंड, डौण्डी
बलौदाबाजार	68	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बलदाकछार, विकासखंड, कसडोल
जांजगीर	69	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, पलारी खुर्द, विकासखंड, सक्ती
महासमुन्द्र	70	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, भोरी, विकासखंड, भोरी
मुंगेली	71	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, बंधवा, विकासखंड, लोरभी

परिशिष्ट "चालीस"
[आचार्यकृत प्रश्न संख्या 54 (क्र. 1723) की जानकारी]

प्रपत्र "अ"

राजगामी सम्यदा की भूमि अन्य विभाग अथवा संस्था जिनको आबंटित/हस्तांतरित की गई है की जानकारी

क्र	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रूपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	लालचंद्र बहादुर एजूकेशनल सोसायटी	शाला भवन निर्मित	राजनांदगांव 40	196/2 - 2.47 कुल 2.47 ए०	269565.00	10783.00	म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक एफ-37-25/84 7/ 2- ए दिनांक 23.03.94 के अनुसार दिया गया।	30 वर्ष	भू-भाटक प्राप्त होता है।
2	अध्यक्ष गुजराती शिक्षण संस्था राजनांदगांव	शाला भवन	राजनांदगांव 40	203/1-0.08, 204-0.56, 209/1-1.64, 209/3-0. 35, 709/4-2.37 कुल 5.00 ए०	653400.00	13068.00	म.प्र. शासन राजस्व विभाग के पत्र क्रमांक 6-35/सात/नजूल/94 दिनांक 21.05.97 के अनुसार दिया गया।	30 वर्ष	भू-भाटक प्राप्त होता है।
3	जिला साहू संघ राजनांदगांव	शाला भवन निर्माण	राजनांदगांव 40	219-0.57, 220-0.68 कुल 1.25 ए०	282520.00	145460.00	आदेश क्रमांक /5368/3783/भू.अ./रा/2003 दिनांक 22.08.07 से प्राप्त	30 वर्ष	रु.427980/- प्रब्याजी जमा की गई।
4	जिला साहू संघ राजनांदगांव	शाला भवन निर्माण हेतु	राजनांदगांव 40	220-0.30 कुल 0.30 ए०	3286748.00	192252.00	छ.ग.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-4-52/सात-1 /2014 रायपुर दिनांक 10.09.2014	30 वर्ष	राशि जमा नहीं किया गया है
5	बलभद्र अगवाल शिक्षण संस्था राजनांदगांव	शाला भवन निर्माण हेतु	राजनांदगांव 40	220-1.00 कुल 1.00 ए०	9,58,239.00	19165.00	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश पृ.क्र./4-74/ सात-1/08 रायपुर दिनांक 22.11.2011 के अनुसार	30 वर्ष	-
6	अध्यक्ष प्रेस क्लब गृह निर्माण समिति मर्यादित राजनांदगांव	आवासीय कालोनी निर्माण हेतु	कौरिनभाटा 39	518-10.00 कुल 10.00 ए०	99618600.00	5728070.00	छ०ग० शासन के आदेश क्रमांक/एफ-4-85/सात-1/2018 दिनांक 30.10.2018 (आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया)	30 वर्ष	प्रब्याजी भू-भाटक जमा नहीं कराया गया।

क	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रूपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	वर्ल्ड रेनवल स्पीयुअल ट्रस्ट घरदान भवन लालबाग राजनांदगांव	राजयोग ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण हेतु	कौरिनभाटा 39	284-1.15 कुल 1.15 ए०	3142510.00	78563.00	छ०ग० शासन के आदेश क्रमांक/एफ-4-68/सात-1/2016 रायपुर दिनांक 11.10.2017 (आधिपत्य प्रदान नहीं किया गया)	30वर्ष	प्रब्याजी जमा एवं भू-भाटक नियमित रूप से होता है।
8	जिला यादव समाज राजनांदगांव	सामाजिक भवन हेतु	कौरिनभाटा 39	171-1.00 एकड़	3125073.00	156254.00	छ०ग० शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर एफ-4-194/सात-1/2015 दिनांक 17/07/2018		शासन द्वारा निर्धारित प्रब्याजी भू-भाटक राशि जमा नहीं कराया गया भूमि का आबंटन नहीं दिया गया है।
9	राजस्व तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ गृह निर्माण समिति	कालोनी निर्माण	राजनांदगांव 40	196 /2 - 6.00 ए० कुल 6.00 ए०	58084.00	25404.00	कलेक्टर राजनांदगांव के आदेश दिनांक 22.01.79 शासन आदेश प्राप्त ळ21माक/एफ-4-217/सात-1/2015 रायपुर दिनांक 01.03.2016	30 वर्ष	-
10	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल	सब स्टेशन निर्माण	नंदई 41	1574 - 3.84 ए० कुल 3.84 ए०	247680.00	17280.00	कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 12.01.90 द्वारा अग्रिम अधिपत्य शासनादेश अप्राप्त	-	प्रब्याजी जमा एवं भू-भाटक नियमित रूप से नियमित जमा होता है।
11	कृषि उपज मंडी समिति, छुरिया	कृषि उपज मंडी	छुरिया 20	507 - 15.84 ए० कुल 15.84 ए०	83368.00	6253.00	कलेक्टर आदेश दिनांक 05.03.90 द्वारा अग्रिम अधिपत्य दिया गया।	-	अधियहित
12	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, राजनांदगांव	आई.टी.आई. निर्मित	पेण्डी 36	738-18.00 कुल 8.00 ए०	नि:शुल्क	नि:शुल्क	शासनादेशक्रमांक/एफ-4-208/सात-1/2005 रायपुर दिनांक 06.01.2006	-	
13	शासकीय महिला पॉलिटेक्नीक राजनांदगांव	कालेज भवन निर्माण हेतु	पेण्डी 36	738-12.00 कुल 12.00 ए०	2550000	-	कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 15.02.2007 द्वारा अग्रिम अधिपत्य दिया गया। शासनादेश आपेक्षित	-	प्रब्याजी एवं भू-भाटक रूपया 25.50 लाख जमा कराया

क	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रुपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	केन्द्रीय विद्यालय विद्यालय संगठन नई दिल्ली	सेन्ट्रल स्कूल भवन निर्माण बाबत।	पेण्ड्री 36	738-10.00 कुल 10.00 ए०	25.00	निःशुल्क	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय नया रायपुर का आदेश दिनांक 09 मार्च 2015 क्रमांक एफ 4-115/सात-1/2013 के द्वारा	-	-
15	आई. आर.बटालियन	बटालियन भवन निर्माण	पेण्ड्री 36	738-60.00 कुल 60.00 ए०	229500.00	-	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग का पत्र क्र 3884/4913/राजस्व 2001 रायपुर दिनांक 1.09.2001	-	रु.2295000/- प्रब्याजी भू-भाटक जमा की गई।
16	शिक्षा विभाग, छुरिया	रानी सूर्यमुखी देवी महाविद्यालय भवन निर्माण	छुरिया 20	149-1.00 कुल 1.00 ए०	229109.00	-	प्रस्ताव शासन को प्रेषित। कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 31.01.2006 के अनुसार अग्रिम अधिपत्य दिया गया।	-	रु.229109/- प्रब्याजी जमा की गई।
17	सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग राजनांदगांव	एकलव्य आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु	पेण्ड्री 36	738-20.00 कुल 20.00 ए०	निःशुल्क	-	छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग रायपुर के आदेश क्रमांक एफ-1- 286/सात-1/10 रायपुर दिनांक 23.12.2011 के अनुसार हस्तांतरित किया गया।	-	-
18	छ.ग. गृह निर्माण मंडल राजनांदगांव	अटल विहार के निर्माण हेतु	पेण्ड्री 36	738-18.00 कुल 18.00 ए०	784080.00	32204.00	शासनादेश क्रमांक एफ-4-58 /सात-1/2013 रायपुर दिनांक 06.06.2016 द्वारा आबटित	-	राशि 816284.00 रूपया जमा
19	छ.ग. गृह निर्माण मंडल राजनांदगांव	दीनदयाल आवास गृह निर्माण हेतु	कौरिनभाटा 38	328-9.37 कुल 9.37 ए०	3126750.00	171972.00	छ.ग.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-4-7/सात-1 /08 रायपुर दिनांक 10.10.2008	-	-
20	छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग	स्टेडियम निर्माण हेतु	डोंगरगांव	460/1-1.39, 260/2-0.20, 561-242. 562-5.13.563-0.03 कुल 9.17 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	छ.ग.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-4-47/सात-1 /03 रायपुर दिनांक 6.06.2003	-	-

क	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रव्याजी रुपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग	एस्ट्रो टर्फ हाकी ग्राउण्ड निर्माण हेतु	राजनांदगांव 40	203/1-1.68, 204/6-0.82, 209/3-0.04, 209/2-0.88, 209/4-3.40, 210-0.46, 211/5-2.36 कुल 9.64 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार अग्रिम अधिपत्य प्रदान किया गया।	-	-
22	उच्च शिक्षा विभाग रायपुर	कालेज निर्माण हेतु	सोमनी 64	141-10.00 कुल 10.00 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	छ.ग.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-4-63/सात-1/2016 रायपुर दिनांक 01.10.2016	-	-
23	लोक स्वा.यांत्रिकी विभाग राजनांदगांव	जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु	सोमनी 64	305-3.00 कुल 3.00 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	छ.ग.शासन राजस्व विभाग मंत्रालय रायपुर का आदेश क्रमांक एफ-4-83/सात-1/2016 रायपुर दिनांक 01.10.2017	-	-
24	सी.एस.आई.डी.सी.	अपेरल ट्रेनिंग सेन्टर निर्माण हेतु	पेन्डी 36	738-1.00 कुल 1.00 ए०	1012500.00	50825.00	कलेक्टर आदेश दिनांक 24.10.2009	-	प्रव्याजी एवं भूभाटक की राशि 1012500.00 रुपये जमा
25	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, छुरिया	स्टोर निर्माण हेतु	छुरिया 20	149-0.50 कुल 0.50 ए०	6361.00	निर्धारण नहीं	प्रव्याजी की राशि जमा करा कर कलेक्टर महोदय आदेश दिनांक 20.07.91 को अग्रिम अधिपत्य दिया गया।	-	प्रव्याजी राशि जमा

प्रपत्र "ब"

राजगामी सम्पदा की भूमि अन्य विभाग अथवा संस्था जिनका आबंटन/हस्तांतरण हेतु शासन को प्रेषित प्रस्ताव एवं लंबित होने का कारण

क	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रुपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	रायपुर धर्म प्रदेशीय समाज रायपुर	वाइडनर स्कूल निर्माण	राजनांदगांव 40	183- 3.45 ए० कुल 3.45 ए०	निर्धारण नहीं	निर्धारण नहीं	(a) आर.के.खन्ना सचिव म.प्र.शासन राजस्व (जनरल-2)भोपाल को प्रस्ताव पत्रक्रमांक/7694/एस-सी-1/ दिनांक 12.12.1975 को प्रेषित किया गया। (b) स्मरण पत्र समय-समय पर प्रेषित किया गया। अंतिम स्मरण पत्र क्रमांक /01/रा.सं./2020 राजनांदगांव,दिनांक 25.01.2021 को प्रेषित किया गया।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
2	शासकीय दुग्ध डेयरी, राजनांदगांव	शासकीय दुग्ध डेयरी	नंदई 41	241 - 5.00 ए० कुल 5.00 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	(a) सचिव म.प्र.शासन (श.सा. 2) भोपाल को पत्र क्रमांक/39/रा.सं./83 राजनांदगांव दिनांक 12.09.83 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित। (b) स्मरण पत्र क्रमांक/30/रा.सं./97 राजनांदगांव,दिनांक 13.10.97 शासन को प्रेषित किया गया।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
3	राजीव गांधी शिक्षा मिशन	खण्ड स्रोत भवन निर्मित	कौरिनभाठा 38	113 - 2.50 ए० कुल 2.50 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग को पत्र क्रमांक/15/रा.सं./95 राजनांदगांव, दिनांक 17.05.95 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। शासन को प्रस्ताव प्रेषित कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 12.01.95 के अनुसार अग्रिम अधिपत्य दिया	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
4	साइंस कालेज राजनांदगांव	कालेज भवन निर्मित	राजनांदगांव 40	203/3-1.10, 204-0.82, 205/1-3.58, 25/1-8.83, 209/1-0.48, 209/3-0.12, 209/4-0.21 ए० कुल 15.14 ए०	2667741.00	निःशुल्क	सचिव छ.ग.शासन राजस्व विभाग रायपुर को पत्र क्रमांक/29/रा.सं./2002 राजनांदगांव, दिनांक 23.09.2002 के द्वारा प्रस्ताव को प्रेषित किया गया।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।

क	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रूपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	नगर पालिक निगम, राजनांदगांव	यातायात नगर निर्माण हेतु	पेण्डी 36	738-20.00 कुल 20.00 ए०	8500000.00	निःशुल्क	कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 9.08.2006 से अग्रिम अधिपत्य दिया गया। (a) सचिव छ. ग.शासन राजस्व विभाग रायपुर को अर्ध.शास. पत्र क्रमांक/20 /रा.सं./2004 राजनांदगांव, दिनांक 10.08.2004 द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया। (b) स्मरण पत्र अर्ध.शास. पत्र क्रमांक/35/रा.सं./2006 राजनांदगांव, दिनांक 23.10.2006 प्रेषित किया गया।		न.नि. द्वारा रूपये 25.00 लाख जमा कराया गयाशासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
6	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव	थाना भवन निर्माण हेतु	सोमनी 64	305-5.00 कुल 5.00 ए०	847105.00	निर्धारण नहीं	(a) पत्र क्रमांक/25/रा.सं./2001 राजनांदगांव, दिनांक 21.09.2001 को प्रस्ताव सचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया।कलेक्टर महोदय के आदेशदिनांक 21.08.2002से अग्रिम अधिपत्य दिया गया। (b) स्मरण पत्र क्रमांक/28/रा.सं./2006 राजनांदगांव, दिनांक 27.08.2006 इसके अतिरिक्त समय-समय पर स्मरण पत्र भेजा गया है।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
7	पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव	थाना भवन	छुरिया 20	394-5.00 कुल 5.00 ए०	222170.00	निर्धारण नहीं	(a) सचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग रायपुर को पत्र क्रमांक/71/रा.सं./2003 राजनांदगांव, दिनांक 05.09.2003 को प्रस्ताव सचिव छ.ग. शासन राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया। (b) स्मरण पत्र क्रमांक/26/रा.सं./2006 राजनांदगांव, दिनांक 27.08.2006 इसके अतिरिक्त समय-समय पर स्मरण पत्र भेजा गया है।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।

क्र	विभाग एवं संस्था का नाम	प्रयोजन	ग्राम एवं प.ह.नंबर	खसरा नंबर एवं रकबा एकड़ में	प्रब्याजी रुपये में	भू-भाटक वार्षिक	हस्तांतरण के आदेश क्रमांक/दिनांक	अवधि	लंबित होने का कारण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	राजीव गांधी शिक्षा मिशन, छुरिया	खण्ड स्रोत भवन निर्माण हेतु	छुरिया 20	149-2.00 कुल 2.00 ए०	निःशुल्क	निःशुल्क	(a) सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल को प्रस्ताव पत्र क्रमांक/17/रा.सं./95 राजनांदगांव, दिनांक 10.05.95 द्वारा सचिव म. प्र.शासन राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।
9	दूरसंचार विभाग, छुरिया	टावर एवं टेलीफोन एक्सचेंज	छुरिया 20	149-1.00 कुल 1.00 ए०	50000.00	निर्धारण नहीं	(a) प्रस्ताव सचिव म.प्र.शासन राजस्व विभाग भोपाल को पत्र क्रमांक/17/ रा.सं./98 राजनांदगांव दिनांक 17.04.98 के द्वारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया।	-	शासन से प्रब्याजी एवं भू भाटक निर्धारण एवं आबंटन आदेश अप्राप्त है।

परिशिष्ट "ईकचालीस"
[अतारांकित प्रश्न संख्या 55 (क्र. 1724) की जानकारी]

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटांकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
छुईखदान	3	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	2017-18	0	-	0	-	0	-	
			2018-19	0	-	0	-	0	-	
			2019-20	37	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	0	-	14	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	266	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	0	-	25	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटाकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
खैरागढ़	5	लंबित प्रकरण के निराकरण हेतु नियमित सुनवाई की जा रही है।	2017-18	0	नामांतरण हेतु लंबित प्रकरण ईशतहार प्रकाशन, आवदेक/अनावदेक साक्ष्य हेतु, प्रतिपरीक्षण एवं पटवारी प्रतिवेदन हेतु लंबित है। समय-सीमा में लंबित प्रकरण का निराकरण कर लिया जावेगा।	0	बटाकन के प्रकरण में आपत्ति होने के कारण लंबित है। जिसका निराकरण कर लिया जावेगा।	0	-	
			2018-19	16		0		0		
			2019-20	28		1		91		
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	132		2		142		

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटांकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण / सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डोंगरगढ़	3	03 प्रकरण आपत्ति के निराकरण लंबित है। आपत्ति का निराकरण हेतु कार्यवाही किया जा रहा है।	2017-18	0	-	0	-	0	-	
			2018-19	6	01 प्रकरण आपत्ति के निराकरण हेतु लंबित है। आपत्ति का निराकरण यथाशीघ्र कर लिया जावेगा। 01 प्रकरण सिविल कोर्ट में वाद चलने के कारण लंबित है। 02 प्रकरण आवेदक साक्ष्य के प्रतिपरीक्षण हेतु लंबित है। 01 प्रकरण अनावेदक साक्ष्य हेतु लंबित है। 01 प्रकरण आदेश हेतु नियत है। शेष प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	0		14	अछोली-नागतराई रेलवे भू-अर्जन मुआवजा संबंधी कार्य में सलग्न होने के कारण। बोरतलाव-पनियाजोब तीसरी रेलवे लाईन सर्वे संबंधी कार्य में सलग्न होने के कारण। बजरंगीडीह कुहीकोड़ा नवीन राजस्व ग्राम सर्वे संबंधी कार्यों में सलग्न होने के कारण। प्रसाद योजना के तहत जमीन आंबटन कार्य में सलग्न होने के कारण।	
			2019-20	40		0		40		
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	365		0		272		

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटांकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राजनांदगांव	3	सभी प्रकरण प्रक्रिया धीन है, शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	2017-18	0	-	0	-	0	-	
			2018-19	0	-	0	-	0	-	
			2019-20	1	कोरोना काल में न्यायालयों का कार्य स्थागित रखा गया था, उसके पश्चात पक्षकार सूचना देने के पश्चात भी लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे जिससे निराकरण में देरी हुई।	6	कोरोना काल में न्यायालयों का कार्य स्थागित रखा गया था, उसके पश्चात पक्षकार सूचना देने के पश्चात भी लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे जिससे निराकरण में देरी हुई।	0	-	
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	431	कोरोना काल में न्यायालयों का कार्य स्थागित रखा गया था, उसके पश्चात पक्षकार सूचना देने के पश्चात भी लंबे समय तक न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे जिससे निराकरण में देरी हुई। सभी प्रकरण 1 वर्ष के भीतर के हैं सभी प्रकरण प्रक्रिया धीन है, शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	201	सभी प्रकरण प्रक्रिया धीन है, शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	320	सभी प्रकरण प्रक्रिया धीन है, शीघ्र निराकरण कर लिया जावेगा।	

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटाकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
छुरिया	133	छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 व 110 में दिए गए प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा रही है।	2017-18	0	-	0	-	0	-	
			2018-19	4	लंबित 04 आवेदन प्रकरण में अनावेदक द्वारा प्रारंभिक आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण में जाने के कारण विलंब हुआ है।	0	-	9		
			2019-20	8	प्रकरण समय-सीमा के भीतर है जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	0	-	15		
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	121	प्रकरण समय-सीमा के भीतर है जिसमें नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	2	बटाकन के दो प्रकरण जनवरी 2021 में दर्ज किया गया है। जो समय-सीमा के भीतर है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।	114	तहसील छुरिया में 9 राजस्व निरीक्षक मंडल हैं किन्तु वर्तमान में 5 राजस्व निरीक्षक पदस्थ हैं राजस्व निरीक्षक की संख्या कम होने के कारण सीमांकन में विलंब है जिसमें अभियान चला कर सीमांकन की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी	

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटाकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण / सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
डोंगरगांव	3	प्रकरण 2020-21 का है। प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जा रही है।	2017-18	0	-	0	-	0	-	
			2018-19	0	-	0	-	0	-	
			2019-20	2	01 प्रकरण अपर आयुक्त महोदय दुर्ग संभाग दुर्ग में अपील में मांग होने के कारण संबंधित प्रकरण प्रेषित की गई है। एवं 01 प्रकरण उसी भूमि से संबंधित होने के कारण न्यायालय प्रतिपरीक्षण हेतु नियत है।	0	-	0	-	
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	152	19 प्रकरण आदेश, 34 प्रकरण दावा-आपत्ति, 46 प्रकरण साक्ष्य, आपत्ति निराकरण हेतु 10 प्रकरण, 43 प्रकरण पटवारी प्रतिवेदन हेतु नियत है।	0	-	80	80 प्रकरण समय-सीमा के भीतर है। राजस्व निरीक्षकों को सीमांकन किये जाने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण लंबित है।	

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विक्रय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटांकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मोहला	0	-	2017-18		0	-	0	-	0	-
			2018-19	0	-	0	-	0	-	
			2019-20	0	-	0	-	2	राजस्व निरीक्षक से सीमांकन रिपोर्ट अप्राप्त होने के कारण लंबित है।	
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	37	13 प्रकरण ईशतहार के लिए लंबित है और 07 प्रकरण आदेश हेतु नियत है। 05 आवेदन दस्तावेज साक्ष्य हेतु नियत है। 01 कथन हेतु लंबित है। 11 पटवारी प्रतिवेदन हेतु लंबित है।	0	-	81	सीमांकन के 81 प्रकरण समय- सीमा के भीतर है राजस्व निरीक्षको को सीमांकन किए जाने हेतु ज्ञापन प्रेषित किया गया है प्रतिवेदन अप्राप्त होने से लंबित है।	

तहसील का नाम	वर्ष 2017-18 से 04.02.2021 तक राजनांदगांव जिले के अंतर्गत भूमि के कय विकय रजिस्ट्री उपरांत विवादित होने पर कितने प्रकरण प्रमाणिकरण हेतु शेष है ?	प्रकरण पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?	लंबित नामांतरण प्रकरण			लंबित बटांकन प्रकरण		लंबित सर्वेक्षण/सीमांकन प्रकरण		कैफियत
			वर्ष	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	लंबित संख्या	लंबित होने का कारण	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मानपुर	0	--	2017-18	0	--	0	--	0	--	
			2018-19	0	--	0	--	0	--	
			2019-20	0	--	6	01 प्रकरण कलेक्टर महोदय के न्यायालय में पुनरीक्षण हेतु प्रेषित किया गया है। 02 प्रकरण में फर्द का प्रकाशन किया गया है। 02 प्रकरण में हल्का पटवारी से फर्द प्राप्त नहीं हुआ है। 01 प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया है।	2	वर्षाकाल काल के कारण सीमांकन नहीं किया जा सका था, जिसे शीघ्र पूर्ण कर लिया जावेगा।	
			2020-2021 दिनांक 04.02.2021	17	09 प्रकरण में ईशतहार का प्रकाशन किया गया है। 05 प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया है। 02 प्रकरण में हल्का पटवारी से वारिसान रिपोर्ट तथा 01 प्रकरण आवेदक के जवाब हेतु नियत होने के कारण लंबित है।	9	04 प्रकरण में ईशतहार का प्रकाशन किया गया है। 05 प्रकरण हल्का पटवारी के फर्द हेतु नियत होने से लंबित है।	63	सभी आवेदन समय-सीमा के भीतर है। राजस्व निरीक्षक को ज्ञापन प्रेषित किया गया है। प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने से लंबित है।	